



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दूसरी
SECOND

पूरक अनुदान मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2025-2026

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसरण में संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) (क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च, March, 2026

परिचायक टिप्पणी

विषय:-अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरा बैच, 2025-2026

वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के दूसरे बैच में 61 अनुदान शामिल हैं। ₹2,81,289.26 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद से अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय में कुल मिलाकर ₹2,01,142.96 करोड़ का प्रस्ताव है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या संवर्धित प्राप्तियों/वसूलियों से मिलान करके सकल अतिरिक्त व्यय कुल मिलाकर ₹80,145.71 करोड़ है। इसके अलावा, नई सेवा या सेवा के नई लिखतों से जुड़े मदों में बचत के पुनर्विनियोजन को सक्षम बनाने के लिए व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपये के हिसाब से ₹59 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. अतिरिक्त व्यय के लिए पूरक अनुदान/विनियोगों की मदें जिनमें निवल नकद व्यय शामिल है, निम्नलिखित हैं:

INTRODUCTORY NOTE

Subject:-Second batch of Supplementary Demands for Grants, 2025-2026.

The Second Batch of Supplementary Demands for Grants for 2025-26 includes 61 Grants. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹2,81,289.26 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹2,01,142.96 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹80,145.71 crore. Besides, token provision of ₹59 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of supplementary grants/appropriations for additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(रूपए करोड़ में Rupees in crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS		
6 उर्वरक विभाग		6 Department of Fertilisers		
(क) सब्सिडी के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) स्वदेशी पीएंडके-जेन घटक (₹5244 करोड़) और आयातित पीएंडके-जेन घटक (₹7866 करोड़) के लिए (ii) स्वदेशी पीएंडके-एससी घटक (₹498 करोड़) और आयातित पीएंडके-एससी घटक (₹747 करोड़) के लिए (iii) स्वदेशी पीएंडके-एसटी घटक (₹258 करोड़) और आयातित पीएंडके-एसटी घटक (₹387 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure under the Nutrient Based Subsidy Policy towards Subsidies (i) for Indigenous P&K-Gen Component (₹5244 crore) and for Imported P&K-Gen Component (₹7866 crore) (ii) for Indigenous P&K-SC Component (₹498 crore) and for Imported P&K-SC Component (₹747 crore) (iii) for Indigenous P&K-ST Component (₹258 crore) and for Imported P&K-ST Component (₹387 crore).	15,000.00	-	15,000.00
(ख) (i) स्वदेशी यूरिया-जेन घटक (₹3697.02 करोड़) के भुगतान के अंतर्गत सब्सिडी के लिए यूरिया सब्सिडी के अंतर्गत (ii) स्वदेशी यूरिया-अनुसूचित जाति घटक (₹351.09 करोड़) (iii) स्वदेशी यूरिया-अनुसूचित जनजाति घटक (₹181.89 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure under Urea Subsidy towards Subsidies under the payment for (i) Indigenous Urea-Gen Component (₹3697.02 crore) (ii) Indigenous Urea-SC Component (₹351.09 crore) (iii) Indigenous Urea-ST Component (₹181.89 crore).	4,230.00	-	4,230.00

(ii)

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) व्यापार आयुक्तों के तहत भते (₹10.75 करोड़), (ii) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एनईआईए) के तहत अनुदान (₹1059.22 करोड़), (iii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (डब्ल्यूटीओ) के तहत योगदान (₹13.76 करोड़), (iv) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-अन्य संगठनों के तहत योगदान (₹1.13 करोड़)।	For meeting additional expenditure (i) Allowances (₹10.75 crore) under the Trade Commissioners, (ii) Grants-In-Aid-General (₹1059.22 crore) under the National Export Insurance Account (NEIA), (iii) Contribution (₹13.76 crore) under the International Cooperation(WTO), (iv) Contribution (₹1.13 crore) under the International Cooperation-Other Organisations.	1,080.17	-	1,080.17
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
विकास कार्य योजना के लिए सब्सिडी के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत (i) अनुसूचित जातियों (₹13641.28 करोड़) (ii) अनुसूचित जनजातियों (₹10000 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Subsidies for Development Action Plan for (i) Scheduled Castes (₹13641.28 crore) (ii) Scheduled Tribes (₹10000 crore) under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY).	23,641.28	-	23,641.28
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
(क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) कला संस्कृति विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹100.11 करोड़), छात्रवृत्ति (₹13.16 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹9.29 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹15.85 करोड़), (ii) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के तहत विज्ञापन और प्रचार (₹0.49 करोड़), (iii) संग्रहालयों के विकास के तहत कार्यालय व्यय (₹1 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹1	(a) For meeting additional expenditure (i) Grants-In-Aid-General (₹100.11 crore), Scholarships (₹13.16 crore) , Other Revenue Expenditure (₹9.29 crore), Other Revenue Expenditure (₹15.85 crore) under the Kala Sanskriti Vikas Yojana, (ii) Advertising And Publicity (₹0.49 crore) under the Anthropological Survey Of India, (iii) Office Expenses (₹1 crore), Advertising And			

		(रूपए करोड़ में Rupees in crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
	करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹12.04 करोड़), (iv) कला संस्कृति विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹9.94 करोड़), छात्रवृत्ति (₹1.41 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹1 करोड़), (v) कला संस्कृति विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹3.22 करोड़), छात्रवृत्ति (₹0.73 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹0.52 करोड़)।			
	Publicity (₹1 crore), Grants For Creation Of Capital Assets (₹12.04 crore) under the Development Of Museums, (iv) Grants-In-Aid-General (₹9.94 crore), Scholarships (₹1.41 crore), Other Revenue Expenditure (₹1 crore) under the Kala Sanskriti Vikas Yojana, (v) Grants-In-Aid-General (₹3.22 crore), Scholarships (₹0.73 crore), Other Revenue Expenditure (₹0.52 crore) under the Kala Sanskriti Vikas Yojana.	169.26	-	169.26
(ख) कला संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹11.88 करोड़), छात्रवृत्तियां (₹1.70 करोड़) और अन्य राजस्व व्यय (₹1.20 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure toward Grants-In-Aid-General (₹11.88 crore), Scholarships (₹1.70 crore) and Other Revenue Expenditure (₹1.20 crore) under the Kala Sanskriti Vikas Yojana.	14.78	-	14.78
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
(क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (₹0.20 करोड़), (ii) गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) (₹3 करोड़) और (iii) सेना के अधीन निर्माण कार्य (₹10 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure (i) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (₹0.20 crore), (ii) Directorate General of Quality Assurance (DGQA) (₹3 crore) and (iii) Works (₹10 crore) under Army.	5.70	-	5.70
(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) सेना कर्मियों (आरक्षित सहित) के तहत ₹772.43 करोड़, (ii) परिवहन के तहत ₹462.32 करोड़, (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत ₹6,140.80 करोड़, (iv) भंडार के तहत ₹3,655.26 करोड़, (v) निर्माण कार्यों के तहत ₹795.48 करोड़, (vi) राष्ट्रीय कैडेट कोर के	(b) For meeting additional expenditure (i) ₹772.43 crore under the Army Personnel (including Reservists), (ii) ₹462.32 crore under the Transportation, (iii) ₹6,140.80 crore under the Ex-Servicemen Contributory Health Scheme, (iv) ₹3,655.26 crore under the Stores, (v) ₹795.48 crore			

(iv)

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
तहत ₹191.76 करोड़, (vii) रंगरूटों के लिए वेतन और भत्तों के तहत ₹283 करोड़, (viii) स्पेक्ट्रम प्रभागों के अंतर्गत ₹17,469.13 करोड़, (ix) अन्य व्यय के अंतर्गत ₹499.98 करोड़, (x) अधिक भुगतान की कटौती वसूलियों के अंतर्गत ₹1.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।	under the Works, (vi) ₹191.76 crore under the National Cadet Corps, (vii) ₹283 crore under Pay & Allowances for Recruits, (viii) ₹17,469.13 crore under the Spectrum Charges, (ix) ₹ 499.98 crore under the Other Expenditure, (x) ₹ 1.50 crore under the Deduct Recoveries of Overpayment.	26,236.87	-	26,236.87
(ग) संयुक्त स्टाफ के अधीन अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure under the Joint Staff.	0.02	-	0.02
(घ) (i) परिवहन (₹21.70 करोड़), (ii) मरम्मत और रखरखाव (₹50 करोड़), (iii) कार्य (₹10 करोड़), (iv) संयुक्त कर्मचारी (₹213.56 करोड़), (v) स्पेक्ट्रम प्रभाग (₹8661.43 करोड़), और (vi) अन्य व्यय (₹30.03 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure under (i) Transportation (₹21.70 crore), (ii) Repairs and Maintenance (₹50 crore), (iii) Works (₹10 crore), (iv) Joint Staff (₹213.56 crore), (v) Spectrum Charges (₹8661.43 crore), and (vi) Other Expenditure (₹30.03 crore).	5,787.89	-	5,787.89
(ङ) कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure under the Works.	2.00	-	2.00
(च) (i) नागरिक (₹402.70 करोड़), (ii) परिवहन (₹25.43 करोड़), (iii) निर्माण कार्य (₹75.96 करोड़), (iv) रंगरूटों के लिए वेतन और भत्ते (₹78 करोड़), (v) स्पेक्ट्रम प्रभाग (₹10000 करोड़), (vi) अन्य व्यय (₹229.44 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting additional expenditure under (i) Civilians (₹402.70 crore), (ii) Transportation (₹25.43 crore), (iii) Works (₹75.96 crore), (iv) Pay & Allowances for Recruits (₹78 crore), (v) Spectrum Charges (₹10000 crore), (vi) Other Expenditure (₹229.44 crore).	9,398.00	-	9,398.00
22 रक्षा पेंशन	22 Defence Pensions			
(क) अवकाश नकदीकरण लाभ-सेना के अंतर्गत पेंशन प्रभागों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Pensionary Charges under the Leave Encashment Benefits - Army.	0.49	-	0.49
(ख) अधिवर्षिता पेंशन और सेवानिवृत्ति भत्ता- सेना के तहत पेंशन प्रभागों (₹279.46 करोड़) के लिए ₹391.01 करोड़; रिवाइड - सेना (₹7.30 करोड़); रिवाइड - नौसेना (₹1.11 करोड़); रिवाइड - वायु सेना (₹1 करोड़) और पेंशन शुल्क	(b) For meeting additional expenditure of ₹391.01 crore towards Pensionary Charges (₹279.46 crore) under the Superannuation Pension & Retirement Allowance - Army; Rewards - Army (₹7.30 crore); Rewards -			

		(रूपए करोड़ में Rupees in crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
(₹102.14 करोड़) अवकाश नकदीकरण लाभ- वायु सेना के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	Navy (₹1.11 crore); Rewards - Air Force (₹1 crore) and Pensionary Charges (₹102.14 crore) under the Leave Encashment benefits - Air Force.	391.01	-	391.01
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
30 आर्थिक कार्य विभाग	30 Department of Economic Affairs			
(क) स्वर्ण आरक्षित निधि-सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना, 2015 में अंतर-खाता अंतरण (₹1703.44 करोड़) के लिए (ii) आर्थिक स्थिरीकरण निधि के तहत अंतर-खाता अंतरण (₹100,000 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Inter Account Transfers (₹1703.44 crore) to Gold Reserve Fund-Sovereign Gold Bond Scheme, 2015 (ii) Inter Account Transfers (₹100,000 crore) under the Economic Stabilization Fund.	59,085.28	-	59,085.28
(ख) भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज) के अंतर्गत ऋण लाइनों के लिए ब्याज समानीकरण सहायता के अंतर्गत सब्सिडी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Subsidies under the Interest Equalization Support For Lines Of Credit Under Indian Development And Economic Assistance Scheme (Ideas).	3,788.00	-	3,788.00
32 वित्तीय सेवाएं विभाग	32 Department of Financial Services			
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को इक्विटी सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure to infuse the equity support to Small Industries Development Bank of India (SIDBI).	-	3,000.00	3,000.00
42 राज्यों को अंतरण	42 Transfers to States			
(क) ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान (₹5741 करोड़), शहरी स्थानीय निकाय अनुदान (₹6000 करोड़), राज्य आपदा अनुक्रिया निधि अनुदान (₹2681.60 करोड़), राज्य आपदा शमन निधि अनुदान (₹3864.20 करोड़), प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक अवसंरचना के लिए सहायता (₹3830 करोड़), शहरी स्वास्थ्य एवं निदुरूह केन्द्र (शहरी के लिए) (₹2000 करोड़), भवन रहित उपकेन्द्र, पीएचसी, सीएचसी (ग्रामीण के लिए) (₹6000 करोड़) और साझा नगरपालिका सेवाएं (₹225 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid-General under Rural Local Bodies Grants (₹5741 crore), Urban Local Bodies Grants (₹6000 crore), State Disaster Response Fund Grants (₹2681.60 crore), State Disaster Mitigation Fund Grants (₹3864.20 crore), Support for Diagnostic Infrastructure to the Primary Healthcare Facilities (₹3830 crore), Urban Health And Wellness Centres (For Urban) (₹2000 crore), Building-Less Sub Centres, PHCs, CHCs (For Rural) (₹6000 crore) and Shared Municipal Services (₹225 crore).	30,116.80	-	30,116.80

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्लॉक ऋणों सहित बैक-टू-बैक ऋण) (₹2957 करोड़) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता-कार्यक्रम घटक (₹699 करोड़) और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय प्रतिभूति उपकर निधि (₹699 करोड़) में अंतरण के अंतर्गत अंतर लेखा अंतरण के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants for creation of capital assets under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Back-to-Back Loans including Block Loans) (₹2957 crore), Assistance to States for Public Health Infrastructure - Programme Component (₹699 crore) and Inter Account Transfers under transfer to 'Health Security Se National Security Cess Fund' (₹699 crore).	3,416.00	-	3,416.00
(ग) पूंजीगत निवेश के लिए विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण के रूप में विशेष सहायता की योजना के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Loans and Advances under the Scheme for Special Assistance as Loan to Union Territories with Legislature for Capital Investment.	-	4,354.00	4,354.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
49 गृह मंत्रालय	49 Ministry of Home Affairs			
(क) गृह मंत्रालय प्रशासन के तहत कार्यालय व्यय (₹5 करोड़), (ii) एनडीएमसी और एसएआई के लिए भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और कर (₹84 करोड़), (iii) गृह मंत्रालय प्रशासन के तहत अन्य के लिए किराया (₹1.70 करोड़), (iv) विज्ञापन और प्रचार (₹3.34 करोड़), मरम्मत और रखरखाव (₹1.30 करोड़), अवार्ड और पुरस्कार (₹1 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹1.15 करोड़) और (v) विभागीय लेखा संगठन के लिए अन्य के लिए किराया (₹0.16 करोड़) (गृह मंत्रालय)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Office Expenses (₹5 crore) under MHA Admin, (ii) Rent, Rates and Taxes For Land and Buildings (₹84 crore) to NDMC and SAI, (iii) Rent for Others (₹1.70 crore) under MHA Admin, (iv) Advertisement & Publicity (₹3.34 crore), Repair & Maintenance (₹1.30 crore), Awards and Prizes (₹1 crore), Domestic Travel Expenses (₹1.15 crore) under Admin Section MHA and (v) Rent for others (Rs 0.16 crore) for Departmental Accounting Organization (MHA).	90.70	-	90.70
(ख) (i) अन्य राजस्व व्यय (₹5.78 करोड़) और (ii) व्यावसायिक सेवाओं (₹0.05 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Other Revenue Expenditure (₹5.78 crore) and (ii) Professional Services (₹0.05 crore).	5.78	-	5.78

		(रूपए करोड़ में Rupees in crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत (i) अंशदान (₹49.99 करोड़), (ii) घरेलू यात्रा व्यय (₹35 करोड़), भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और कर (₹5.13 करोड़), सामग्री और आपूर्ति (₹7 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹3.30 करोड़) और आपदा प्रबंधन परियोजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.41 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Contribution (₹49.99 crore) under the National Disaster Management Programme, (ii) Domestic Travel Expenses (₹35 crore), Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings (₹5.13 crore), Materials and Supplies (₹7 crore), Other Revenue Expenditure (₹3.30 crore) under the National Disaster Response Force and (iii) Grants-in-aid General (₹0.41 crore) under Disaster Management Projects.	100.42	-	100.42
(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए भुगतान के अंतर्गत सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards Subsidies under the Payment For Helicopter Services in NE Region.	26.76	-	26.76
(ङ) आरजी और सीसीआई के कार्यालय के अधीक्षण के अधीन भूमि और भवनों के लिए किराया, दरों और करों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure towards Rent, Rates and Taxes For Land and Buildings under the Superintendence for Office of RG&CCI.	1.00	-	1.00
(च) (i) होमगार्ड्स के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹49.99 करोड़), (ii) नागरिक सुरक्षा के तहत सामान्य अनुदान (₹14 करोड़) और (iii) बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी), कार्बी आंगलॉंग स्वायत्त परिषद (केएएसी), और उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) के लिए प्रशासनिक अवसंरचना के विकास के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting additional expenditure towards (i) Grants- In - Aid - General (₹49.99 crore) under Home Guards, (ii) Grants-In-Aid-General (₹14 crore) under Civil Defence and (iii) Grants For Creation of Capital Assets (₹10 crore) under the Development of Administrative Infrastructure For Bodoland Territorial Council (BTC) Karbi Anglong Autonomous Council (Kaac), and North Cachar Hills Autonomous Council (NCHAC).	73.99	-	73.99

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
51 पुलिस	51 Police			
(क) सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय (₹0.30 करोड़), (ii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (₹8.03 करोड़), (iii) दिल्ली पुलिस का निर्देशन और प्रशासन (₹0.50 करोड़) के तहत अन्य राजस्व व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Other Revenue Expenditure under the (i) Directorate General Of Border Security Force(₹0.30 crore) , (ii) Indo-Tibetan Border Police(₹8.03 crore), (iii) Direction And Administration of Delhi Police(₹0.50 crore).	8.83	-	8.83
(ख) (i) विभिन्न योजनाओं के तहत घरेलू यात्रा व्यय (₹260.39 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹121.77 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹169.94 करोड़), सामग्री और आपूर्ति (₹154.99 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10.81 करोड़), अन्य के लिए किराया (₹95.78 करोड़), कार्यालय व्यय (₹79.72 करोड़), राशन की लागत (₹10.86 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹43.62 करोड़), ईंधन और स्नेहक (₹63.25 करोड़), प्रशिक्षण व्यय (₹51.92 करोड़), हथियार और गोला-बारूद (₹42.47 करोड़), अवकाश यात्रा रियायत (₹39.53 करोड़), लघु सिविल और विद्युत कार्य (₹36.93 करोड़), मरम्मत और रखरखाव (₹31.49 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹27.07 करोड़), भूमि और भवनों के लिए आरआरटी (₹18.22 करोड़), गुप्त सेवा व्यय (₹0.91 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹11.73 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹10.63 करोड़), रिवार्ड (₹10.42 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹7.72 करोड़), मुद्रण और प्रकाशन (₹6.28 करोड़), मजदूरी (₹4.56 करोड़) और (ii) सीआईएसएफ के लिए घरेलू यात्रा व्यय (₹75.75 करोड़), अनुसंधान के लिए अन्य राजस्व व्यय (₹175 करोड़), राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के लिए कार्यालय व्यय (₹7 करोड़), राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के लिए सामग्री और आपूर्ति (₹1.80 करोड़) और सीमा सुरक्षा बल के लिए गुप्त सेवा व्यय (₹12 करोड़) के तहत मांग को पूरा करने के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure (i) towards Domestic Travel Expenses (₹260.39 crore), Other Revenue Expenditure (₹121.77 crore), Medical Treatment (₹169.94 crore), Material & Supplies (₹154.99 crore), Grant for Creation of Capital Assets (₹10.81 crore), Rent for Others (₹95.78 crore), Office Expenses (Rs.79.72 crore), Cost of Ration (₹10.86 crore), Grant-in-Aid General (₹43.62 crore), Fuel & Lubricants (₹63.25 crore), Training Expenses (₹51.92 crore), Arms & Ammunition (₹42.47 crore), Leave Travel Concession (₹39.53 crore), Minor Civil & Electrical Works (₹36.93 crore), Repair & Maintenance (₹31.49 crore), Professional Services (₹27.07 crore), RRT for Land & Buildings (₹18.22 crore), Secret Service Expenditure (₹0.91 crore), Foreign Travel Expenses (₹11.73 crore), Digital Equipment (₹10.63 crore), Rewards (₹10.42 crore), Advertising & Publicity (₹7.72 crore), Printing & Publication (₹6.28 crore), Wages (₹4.56 crore) under various schemes and (ii) to meet the demand under Domestic Travel Expenses (₹75.75 crore) for CISF, Other Revenue Expenditure (₹175 crore) for Research, Office Expenses (₹7 crore) for National Police Academy, Materials & Supplies (₹1.80 crore) for National Police Academy) and Secret Service Expenditure (₹12 crore) for Border Security Force.	1,323.01	-	1,323.01

		(रूपए करोड़ में Rupees in crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
(ग) (i) चुनाव कर्तव्यों पर पुलिस से संबंधित व्यय के लिए अनुदान/प्रतिपूर्ति के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹17.45 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, (ii) विदेशियों के पंजीकरण और निगरानी के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹9.99 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-In-Aid-General (₹17.45 crore) under the Grants/Reimbursement for Police Related Expenses on election duties, (ii) Grants-In-Aid-General (₹9.99 crore) under the Registration and Surveillance of Foreigners.	27.44	-	27.44
52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52 Andaman and Nicobar Islands			
(क) श्री विजय पुरम नगर परिषद के कर्मचारियों के लिए वेतन सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid Salaries for the employees of Sri Vijaya Puram Municipal Council.	6.02	-	6.02
(ख) ग्राम पंचायतों को समतुल्य अनुदान जारी करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid-General for release of matching grant to Gram Panchayat.	12.00	-	12.00
(ग) (i) विद्युत क्रय के भुगतान के लिए अन्य राजस्व व्यय (₹6 करोड़) (ii) विद्युत संयंत्र आपूर्तियों के संचालन के लिए हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की खरीद के लिए सामग्री और आपूर्ति (₹114.80 करोड़) और (iii) एचएसडी के परिवहन के लिए अन्य के लिए किराया (₹18.62 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Other Revenue Expenditure (₹6 crore) for payment of power purchase (ii) Materials and Supplies (₹114.80 crore) for procurement of High Speed Diesel (HSD) for running of Power Plant Supplies and (iii) Rent for Others (₹18.62 crore) for transportation of HSD.	139.42	-	139.42
(घ) पवन हंस लिमिटेड को हेलीकॉप्टर प्रभागों के भुगतान के लिए अन्य लोगों के लिए किराए के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards Rent for Others for payment of helicopter charges to Pawan Hans Limited.	50.00	-	50.00
58 जम्मू और कश्मीर को अंतरण	58 Transfers to Jammu and Kashmir			
संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under 'Central Assistance to Union Territories'.	5,000.00	-	5000.00

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting			
प्रसार भारती के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1823.66 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Grants-In-Aid-General (₹1823.66 crore) under the Prasar Bharti.	1,744.64	-	1744.64
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
65 विधि और न्याय	65 Law and Justice			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति के तहत (i) व्यावसायिक सेवाओं (₹317.87 करोड़), (ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹339.07 करोड़), (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹1614.55 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards (i) Professional Services (₹317.87 crore) under the reimbursements to State/Union Territory Govts, (ii) Professional Services (₹339.07 crore) under the reimbursements to State/Union Territory Govts, (iii) Professional Services (₹1614.55 crore) under the reimbursements to State/Union Territory Govts.	2,271.49	-	2271.49
66 चुनाव आयोग	66 Election Commission			
कार्यालय व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) द्वारका, नई दिल्ली में आईआईआईडीईएम परिसर के संचालन और रखरखाव के लिए चुनाव के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और बिजली, टेलीफोन, पानी शुल्क आदि जैसे भुगतान (₹3.20 करोड़) और (ii) आयोग में आईटी इंफ्रा को मजबूत करने के लिए क्लाउड सेवाओं के लिए बीएसएनएल/सीडैक से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भुगतान करने के लिए स्थापना और आउटसोर्स कर्मचारियों को भुगतान (₹7 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards Office Expenses under (i) Imparting Training For Elections towards Operation and Maintenance of the IIIDEM campus at Dwarka, New Delhi and payments like electricity, telephone, water charges etc. (₹3.20 crore) and (ii) Establishment for making payment towards availing services from BSNL/CDAC for cloud services to robust the IT Infra in the Commission and payment to outsourced staff etc (₹7 crore).	10.20	-	10.20
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
96 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	96 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण के तहत व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Professional Services under the Institutional Development And Capacity Building.	39.03	-	39.03

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
98 वस्त्र मंत्रालय	98 Ministry of Textiles			
मूल्य समर्थन योजना के तहत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद के तहत सब्सिडी (₹1718.56 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	For meeting additional expenditure towards Subsidies (₹1718.56 crore) under the Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under Price Support scheme	494.68	-	494.68
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	193,788.96	7,354.00	201,142.96

3. अनुदान की अनुपूरक मांगों के इस बैच में ₹80,145.71 करोड़ के तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग के प्रस्ताव शामिल हैं, जो मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या संबंधित बचत से मेल खाते हैं। मदें इस प्रकार हैं:

परमाणु ऊर्जा विभाग

3 परमाणु ऊर्जा

- (क) (i) भारी पानी के परिचालन व्यय के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं (₹15 करोड़) की ओर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (ii) भारी पानी परियोजनाओं के सुधार/संशोधन के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण (₹3.02 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
- (ख) आवास परियोजना योजना के अंतर्गत (i) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹0.90 करोड़), भवन एवं संरचना (₹3.23 करोड़) अवसंरचना विकास परियोजनाओं, भवनों एवं संरचनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹2.47 करोड़), (ii) परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र (वीईसीसी) की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अंतर्गत मशीनरी एवं उपकरण (₹0.50 करोड़), मेगा विज्ञान परियोजनाओं के अंतर्गत भूमि (₹21.63 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹80,145.71 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

3 Atomic Energy

- (a) For meeting additional expenditure towards (i) Professional Services (₹15 crore) under the Operational Expenses Of Heavy Water, (ii) Machinery And Equipment (₹3.02 crore) under the Improvement/ Modifications Of Heavy Water Projects
- (b) For meeting additional expenditure towards (i) Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹0.90 crore), Buildings And Structures (₹3.23 crore) under the Infrastructure Development Projects, Buildings And Structures (₹2.47 crore) under the Housing Projects Scheme, (ii) Machinery And Equipment (₹0.50 crore) under the R&D Projects Of Variable Energy Cyclotron Centre (VECC), (iii) Land (₹21.63 crore) under the Mega Science Projects.

-	18.02	18.02
-	28.73	28.73

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
7 औषध विभाग	7 Department of Pharmaceuticals			
(क) (i) व्यावसायिक सेवाएं (₹8.27 करोड़), (ii) जीआईए-जनरल (₹129.50 करोड़) फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए (पीआरआईपी), (iii) मैसर्स आरडीपीएल (₹2.2905 करोड़) के नुकसान को बट्टे खाते में डालना के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Professional Services (₹8.27 crore), (ii) GIA-General (₹129.50 crore) under Promotion of Research and Innovation in Pharma MedTech sector (PRIP), (iii) Write off of loss of M/s. RDPL (₹2.2905 crore).	2.30	-	2.30
(ख) संबद्ध कार्यालयों के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्करों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए - आर्थिक सेवाएं।	(b) For meeting additional expenditure towards Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment under the Attached Offices - Economic Services.	-	0.37	0.37
नागरिक विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागरिक विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के तहत ऋण और अग्रिम के लिए।	For Loans and Advances under the Alliance Air Aviation Limited.	-	150.00	150.00
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
(i) व्यापार आयुक्तों के तहत भत्ते (₹10.75 करोड़), (ii) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के तहत अनुदान सहायता (₹1059.22 करोड़), (iii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (डब्ल्यूटीओ) के तहत योगदान (₹13.76 करोड़), (iv) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-अन्य संगठनों के तहत योगदान (₹1.13 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards (i) Allowances (₹10.75 crore) under the Trade Commissioners, (ii) Grants-In-Aid-General (₹1059.22 crore) under the National Export Insurance Account (NEIA), (iii) Contribution (₹13.76 crore) under the International Cooperation(WTO), (iv) Contribution (₹1.13 crore) under the International Cooperation-Other Organisations.	4.70	-	4.70
11 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
(i) केंद्रीय ब्याज सब्सिडी योजना घटक (₹1.54 करोड़), (ii) पूर्वतर औद्योगिक नीति 1997 योजना के व्यापक बीमा योजना घटक (₹0.06 करोड़) के तहत सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Subsidies under the (i) Central Interest Subsidy Scheme Component (₹1.54 crore), (ii) Comprehensive Insurance Scheme Component of North East Industrial Policy 1997 Scheme (₹0.06 crore).	1.60	-	1.60

(रूप में करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
12 डाक विभाग	12 Department of Posts			
(क) सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment under the IT Modernization Project 2.0.	-	4.57	4.57
(ख) ₹83.19 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) संपदा प्रबंधन के लिए भवनों और संरचनाओं (₹4.34 करोड़) के तहत भवन और संरचनाएं (ii) डाक परिचालन योजना के लिए मोटर वाहन (₹0.57 करोड़) और सामान्य सेवाओं के लिए मेल मोटर वाहन के तहत मोटर वाहन (₹5 करोड़) (iii) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹2.11 करोड़), मशीनरी और उपकरण (₹4.77 करोड़), डाकघरों के आधुनिकीकरण के तहत फर्नीचर और फिक्स्चर (₹4.10 करोड़) (iv)सेटिंग उप ऑफ मेल बीजनेस्स सेंटर के तहत मशीनरी और उपकरण (₹0.10 करोड़), सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (v) मशीनरी और उपकरण (₹7.27 करोड़), सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹1.71 करोड़) के तहत व्यापार विस्तार (स्पीड पोस्ट) के तहत (vi) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹4.02 करोड़) प्रशासनिक प्रबंधन का आधुनिकीकरण-डाक निदेशालय (vii) मशीनरी और उपकरण (₹3.60 करोड़)परियोजना प्रबंधन ईकाई के तहत (viii) आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत आईटी इंफ्रा के लिए डाक और रसद और सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹23 करोड़) के लिए डाक और रसद और सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹22.50 करोड़) के तहत प्रशासनिक प्रबंधन-डाक निदेशालय	(b) For meeting additional expenditure of ₹83.19 crore towards (i) Buildings and Structures (₹4.34 crore) under the Buildings for Estates Management (ii) Motor Vehicles (₹0.57 crore) for Postal Operations Scheme and Motor Vehicles (₹5 crore) under the Mail Motor Vehicles For Ordinary Services (iii)Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹2.11 crore), Machinery and Equipment (₹4.77 crore), Furniture & Fixtures (₹4.10 crore) under the Modernization of Post Offices (iv) Machinery and Equipment (₹0.10 crore), Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹0.10 crore) under the Setting up of Mail Business Centre (v) Machinery and Equipment (₹7.27 crore), Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹1.71 crore) under the Business Expansion (Speed Post) (vi) Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹4.02 crore) under the Modernisation of Administrative Management-Postal Directorate (vii) Machinery and Equipment (₹3.60 crore) under the Project Management Unit (viii) Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹23 crore) for Postal and Logistics and Information, Computer and Telecommunications (ICT) Equipment (₹22.50 crore) for IT Infra under the IT Modernization Project 2.0.	-	83.19	83.19

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
13 दूरसंचार विभाग	13 Department of Telecommunications			
सरकारी गारंटी के आह्वान पर एमटीएनएल को ऋण देने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम के मद में ₹236.163 करोड़ के ऋण और अग्रिमों के व्यय को पूरा करने के लिए। इसकी पूर्ति गारंटी मोचन निधि से की जाएगी।	For meeting expenditure towards Loans and Advances of ₹236.163 crore on account of advance from Contingency Fund of India taken to extend loan to MTNL on Invocation of Government Guarantee. This will be met from Guarantee Redemption Fund.	-	236.17	236.17
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION			
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
(i) फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.11 करोड़) (ii) मशीनरी और उपकरण (₹0.15 करोड़), (iii) सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹0.80 करोड़), (iv) अन्य अचल संपत्तियां (₹0.03 करोड़), (v) सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹0.05 करोड़), (vi) राष्ट्रीय चीनी संस्थान के तहत अमूर्त संपत्ति (₹0.01 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards (i) Furniture & Fixtures (₹0.11 crore) (ii) Machinery And Equipment (₹0.15 crore), (iii) Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment (₹0.80 crore) under Establishment, (iv) Other Fixed Assets (₹0.03 crore),(v) Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment (₹0.05 crore), (vi) Intangible Assets (₹0.01 crore) under National Sugar Institute.	-	1.15	1.15
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
17 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	17 Ministry of Corporate Affairs			
निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के तहत (i) अन्य राजस्व व्यय (₹6 करोड़) और (ii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरण के लिए संवितरण (₹7,542.19 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards (i) Other Revenue Expenditure (₹6 crore) under Investor Education and Protection Fund and (ii) Inter Account Transfers (₹7,542.19 crore) towards transfer to Investor Education and Protection Fund.	6.00	-	6.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19 Ministry of Defence (Civil)			
(क) सचिवालय सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वेतन (₹0.20 करोड़) और भत्तों (₹0.10 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Salaries (₹0.20 crore) and Allowances (₹0.10 crore) under Secretariat General Services.	0.30	-	0.30

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
(ख) तटरक्षक संगठन के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Other Revenue Expenditure under the Coast Guard Organisation.	0.01	-	0.01
(ग) जनरल स्टोर्स की बिक्री और खरीद के लिए सामग्री और आपूर्ति (₹2,352.97 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, फर्म-मांग (एएफडी) मदों और विविध खर्चों के लिए; और (ii) कैटीन स्टोर विभाग के तहत ब्याज भुगतान (₹14.83 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Materials & Supplies (₹2,352.97 crore) for sale and purchase of general stores, Against-Firm-Demand (AFD) items and miscellaneous expenses; and (ii) Interest payments (₹14.83 crore) under Canteen Stores Department.	2,188.80	-	2,188.80
(घ) तटरक्षक संगठन (सीजीओ) के अंतर्गत भवनों और संरचनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards Buildings & Structures under Coast Guard Organization (CGO).	-	1.70	1.70
(ङ) सड़कों और पुलों के अंतर्गत अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों (₹145 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure for Infrastructural Assets (₹145 crore) under Roads and Bridges.	-	33.00	33.00
20 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
(क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) सेना कार्मिक (जलाशयों सहित) (₹772.43 करोड़) (ii) परिवहन (₹462.32 करोड़) (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (₹6,140.80 करोड़) (iv) भंडार (₹3,655.26 करोड़) (v) कार्य (₹795.48 करोड़) (vi) राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹191.76 करोड़) (vii) रंगरूटों के लिए वेतन और भत्ते (₹284.50 करोड़) (viii) स्पेक्ट्रम प्रभार (₹17,469.13 करोड़) और (ix) सेना के तहत अन्य व्यय (₹499.98 करोड़) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure (i) Army Personnel (including Reservists) (₹772.43 crore) (ii) Transportation (₹462.32 crore) (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (₹6,140.80 crore) (iv) Stores (₹3,655.26 crore) (v) Works (₹795.48 crore) (vi) National Cadet Corps (₹191.76 crore) (vii) Pay & Allowances for Recruits (₹284.50 crore) (viii) Spectrum Charges (₹17,469.13 crore) and (ix) Other Expenditure (₹499.98 crore) under Army.	829.82	-	829.82
(ख) (i) परिवहन (₹21.70 करोड़), (ii) मरम्मत और रखरखाव (₹50 करोड़), (iii) कार्य (₹10 करोड़), (iv) संयुक्त कर्मचारी (₹213.56 करोड़), (v) स्पेक्ट्रम प्रभार (₹8661.43 करोड़), और (vi) अन्य व्यय (₹30.03 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure under (i) Transportation (₹21.70 crore), (ii) Repairs and Maintenance (₹50 crore), (iii) Works (₹10 crore), (iv) Joint Staff (₹213.56 crore), (v) Spectrum Charges (₹8661.43 crore), and (vi) Other Expenditure (₹30.03 crore).	530.00	-	530.00

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) (i) नागरिक (₹402.70 करोड़), (ii) परिवहन (₹25.43 करोड़), (iii) कार्य (₹75.96 करोड़), (iv) रंगरूटों के लिए वेतन और भत्ते (₹78 करोड़), (v) स्पेक्ट्रम प्रभार (₹10000 करोड़), (vi) अन्य व्यय (₹229.44 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure under (i) Civilians (₹402.70 crore), (ii) Transportation (₹25.43 crore), (iii) Works (₹75.96 crore), (iv) Pay & Allowances for Recruits (₹78 crore), (v) Spectrum Charges (₹10000 crore), (vi) Other Expenditure (₹229.44 crore).	725.38	-	725.38
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21 Capital Outlay on Defence Services			
(क) भूमि (₹30.24 करोड़) और अन्य उपकरणों (₹3.37 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Land (₹30.24 crore) and Other Equipments (₹3.37 crore).	-	33.61	33.61
(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) कार्य (₹256.18 करोड़), (ii) डीजीक्यूए वर्क्स (₹10 करोड़), (iii) एयरक्राफ्ट और एयरो इंजन (₹9873.14 करोड़), (iv) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजनाएं (₹30 करोड़) और (v) राष्ट्रीय राइफलस (₹72 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Works (₹256.18 crore), (ii) DGQA Works (₹10 crore), (iii) Aircraft and Aero Engines (₹9873.14 crore), (iv) Ex-Servicemen Contributory Health Schemes (₹30 crore) and (v) Rashtriya Rifles (₹72 crore).	-	1,843.37	1,843.37
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
28 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (एनएएफ) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Grants-In-Aid-General under the "National Adaptation Fund (NAF)".	16.84	-	16.84
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
30 आर्थिक कार्य विभाग	30 Department of Economic Affairs			
(क) स्वर्ण रिजर्व निधि-सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, 2015 में अंतर-खाता अंतरण (₹1703.44 करोड़) (ii) आर्थिक स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत अंतरण (₹1,00,000 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Inter Account Transfers (₹1703.44 crore) to Gold Reserve Fund-Sovereign Gold Bond Scheme, 2015 (ii) Inter Account Transfers (₹1,00,000 crore) under the Economic Stabilization Fund.	42,618.16	-	42,618.16

		(रूपए करोड़ में Rupees in crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
(ख) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के अभिदान के अंतर्गत अंशदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Subscription under the Subscription To International Development Association.	-	2.87	2.87
32 वित्तीय सेवा विभाग	32 Department of Financial Services			
लैन अवसंरचना के उन्नयन के लिए सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under 'Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment' for upgradation of LAN infrastructure.	-	5.50	5.50
41 पेंशन	41 Pensions			
साधारण पेंशन के तहत पेंशन शुल्क (₹55 करोड़), ग्रेच्युटी के तहत पेंशन प्रभार (₹3 करोड़), नई पेंशन योजना के तहत सरकारी अंशदान के लिए पेंशन प्रभार (₹1.80 करोड़), राज्य सरकारों से वसूल किए जाने वाले उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकारी अंशदान के लिए पेंशन शुल्क (₹0.20 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure of ₹70 crore towards Pensionary Charges (₹55 crore) under the Ordinary Pensions, Pensionary Charges (₹3 crore) under Gratuity, Pensionary Charges (₹1.80 crore) towards Government Contribution under New Pension Scheme, Pensionary Charges (₹0.20 crore) towards Government Contribution under Unified Pension Scheme for Individual Corpus and Pensionary Charges (₹10 crore), in respect of High Court Judges recoverable from State Government(s).	70.00	-	70.00
42 राज्यों को अंतरण	42 Transfers to States			
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्लॉक ऋणों सहित बैक-टू-बैक ऋण) (₹2957 करोड़) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के लिए अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता कार्यक्रम घटक (₹699 करोड़) और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय प्रतिभूति उपकर निधि (₹699 करोड़) में अंतरण के अंतर्गत अंतरण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।	For meeting additional expenditure towards Grants for creation of capital assets under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Back-to-Back Loans including Block Loans) (₹2957 crore), Assistance to States for Public Health Infrastructure - Programme Component (₹699 crore) and Inter Account Transfers under transfer to 'Health Security Se National Security Cess Fund' (₹699 crore).	699.00	-	699.00

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए लचीले पूल के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) को अंतर-खाता अंतरण (₹11626.88 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।	For meeting additional expenditure towards Inter Account Transfers (₹11626.88 Crore) to Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN) to meet expenditure under Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and National Urban Health Mission.	10,721.88	-	10,721.88
भारी उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES			
48 भारी उद्योग मंत्रालय	48 Ministry of Heavy Industries			
सचिवालय-आर्थिक सेवाओं के तहत मशीनरी और उपकरण (₹0.17 करोड़), सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹0.23 करोड़), फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.13 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards (i) Machinery and Equipment (₹0.17 crore), Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹0.23 crore), Furniture & Fixtures (₹0.13 crore) under the Secretariat-Economic Services.	-	0.53	0.53
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
49 गृह मंत्रालय	49 Ministry of Home Affairs			
(क) गृह मंत्रालय प्रशासन के तहत कार्यालय व्यय (₹5 करोड़), (ii) एनडीएमसी और एसएआई के लिए भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और कर (₹84 करोड़), (iii) गृह मंत्रालय प्रशासन के तहत अन्य के लिए किराया (₹1.70 करोड़), (iv) विज्ञापन और प्रचार (₹3.34 करोड़), मरम्मत और रखरखाव (₹1.30 करोड़), इनाम और पुरस्कार (₹1 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹1.15 करोड़) और (v) विभागीय लेखा संगठन के लिए अन्य के लिए किराया (₹0.16 करोड़) (गृह मंत्रालय)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Office Expenses (₹5 crore) under MHA Admin, (ii) Rent, Rates And Taxes For Land And Buildings (₹84 crore) to NDMC and SAI, (iii) Rent for Others (₹1.70 crore) under MHA Admin, (iv) Advertisement & Publicity (₹3.34 crore), Repair & Maintenance (₹1.30 crore), Awards and Prizes (₹1 crore), Domestic Travel Expenses (₹1.15 crore) under Admin Section MHA and (v) Rent for others (₹0.16 crore) for Departmental Accounting Organization (MHA).	6.79	-	6.79

		(रूपए करोड़ में Rupees in crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<p>(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत (i) अंशदान (₹49.99 करोड़), (ii) घरेलू यात्रा व्यय (₹35 करोड़), भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और कर (₹5.13 करोड़), सामग्री और आपूर्ति (₹7 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹3.30 करोड़) और (iii) आपदा प्रबंधन परियोजनाओं के तहत सामान्य अनुदान (₹0.41 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।</p>	<p>(b) For meeting additional expenditure towards (i) Contribution (₹49.99 crore) under the National Disaster Management Programme, (ii) Domestic Travel Expenses (₹35 crore), Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings (₹5.13 crore), Materials and Supplies (₹7 crore), Other Revenue Expenditure (₹3.30 crore) under the National Disaster Response Force and (iii) Grants-in-aid General (₹0.41 crore) under Disaster Management Projects.</p>	3.50	-	3.50
<p>(ग) हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए अन्य प्रशासनिक अनुदानों के तहत सब्सिडी (₹1.23 करोड़) जम्मू, कश्मीर और लद्दाख डिवीजन गृह मंत्रालय और (ii) अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं (ओडीएमपी) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.12 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।</p>	<p>(c) For meeting additional expenditure towards (i) Subsidies (₹1.23 crore) under the Other Administrative Grants for Helicopter Services Jammu, Kashmir & Ladakh Division MHA and (ii) Grant in Aid General (₹0.12 crore) for Other Disaster Management Projects (ODMP).</p>	1.23	-	1.23
<p>51 पुलिस</p> <p>(क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) घरेलू यात्रा व्यय (₹260.39 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹132.77 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹169.94 करोड़), सामग्री और आपूर्ति (₹154.99 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹10.81 करोड़), अन्य के लिए किराया (₹95.78 करोड़), कार्यालय व्यय (₹79.72 करोड़), राशन की लागत (₹10.86 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹43.62 करोड़), ईंधन और स्नेहक (₹63.25 करोड़), प्रशिक्षण व्यय (₹51.92 करोड़), हथियार और गोला-बारूद (₹42.47 करोड़),</p>	<p>51 Police</p> <p>(a) For meeting additional expenditure (i) towards Domestic Travel Expenses (₹260.39 crore), Other Revenue Expenditure (₹132.77 crore), Medical Treatment (₹169.94 crore), Material & Supplies (₹154.99 crore), Grant for Creation of Capital Assets (₹10.81 crore), Rent for Others (₹95.78 crore), Office Expenses (₹79.72 crore), Cost of Ration (₹10.86 crore), Grant-in-Aid General (₹43.62 crore), Fuel & Lubricants (₹63.25 crore), Training Expenses (₹51.92 crore), Arms & Ammunition (₹42.47 crore), Leave Travel</p>			

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अवकाश यात्रा रियायत (₹39.53 करोड़), लघु सिविल और विद्युत कार्य (₹36.93 करोड़), मरम्मत और रखरखाव (₹31.49 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹27.07 करोड़), भूमि और भवनों के लिए आरआरटी (₹18.22 करोड़), गुप्त सेवा व्यय (₹0.91 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹11.73 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹10.63 करोड़), पुरस्कार (₹10.42 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹7.72 करोड़), विभिन्न योजनाओं के तहत मुद्रण और प्रकाशन (₹6.28 करोड़), मजदूरी (₹4.56 करोड़) और (ii) सीआईएसएफ के लिए घरेलू यात्रा व्यय (₹75.75 करोड़), अनुसंधान के लिए अन्य राजस्व व्यय (₹164 करोड़), राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के लिए कार्यालय व्यय (₹7 करोड़), राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के लिए सामग्री और आपूर्ति (₹1.80 करोड़) और सीमा सुरक्षा बल के लिए गुप्त सेवा व्यय (₹12 करोड़) के तहत मांग को पूरा करने के लिए।	Concession (₹39.53 crore), Minor Civil & Electrical Works (₹36.93 crore), Repair & Maintenance (₹31.49 crore), Professional Services (₹27.07 crore), RRT for Land & Buildings (₹18.22 crore), Secret Service Expenditure (₹0.91 crore), Foreign Travel Expenses (₹11.73 crore), Digital Equipment (₹10.63 crore), Rewards (₹10.42 crore), Advertising & Publicity (₹7.72 crore), Printing & Publication (₹6.28 crore), Wages (₹4.56 crore) under various schemes and (ii) to meet the demand under Domestic Travel Expenses (₹75.75 crore) for CISF, Other Revenue Expenditure (₹164 crore) for Research, Office Expenses (₹7 crore) for National Police Academy, Materials & Supplies (₹1.80 crore) for National Police Academy and Secret Service Expenditure (₹12 crore) for Border Security Force.	260.55	-	260.55
(ख) पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for the Police Modernisation Division.	100.00	-	100.00
53 चंडीगढ़ मध्यस्थों को भुगतान के लिए व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	53 Chandigarh For meeting additional expenditure towards Professional Services for payment to mediators.	3.77	-	3.77
55 लद्दाख विद्युत क्षेत्र की देनदारियों को चुकाने के लिए अन्य राजस्व व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	55 Ladakh For meeting additional expenditure towards Other Revenue Expenditure for clearing power sector liabilities.	63.20	-	63.20
56 लक्षद्वीप स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यूटी शेयर जारी करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹59.57 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	56 Lakshadweep For meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹59.57 crore) for release of UT share under Smart City Mission.	18.35	-	18.35

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60 Ministry of Housing and Urban Affairs			
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन के तहत (i) फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.01 करोड़) (ii) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) के तहत निवेश (₹55.58 करोड़), (iii) सॉवरेन ग्रीन फंड-एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं के तहत इंटर अकाउंट ट्रांसफर (₹957.83 करोड़) अतिरिक्त के व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards (i) Furniture & Fixtures (₹0.01 crore) under the Town and Country Planning Organisation, (ii) Investment (₹55.58 crore) under the National Building Construction Corporation Ltd. (NBCC), (iii) Inter Account Transfers (₹957.83 crore) under the Sovereign Green Fund-MRTS And Metro Projects.	-	1,013.41	1013.41
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting			
भारत के प्रेस महापंजीयक के संबद्ध कार्यालय के अधीन सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्करों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Information, Computer, Telecommunications (Ict) Equipment under the Attached Office of Press Registrar General of India.	-	0.28	0.28
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
69 खान मंत्रालय	69 Ministry of Mines			
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यकलापों के तहत अवसंरचनात्मक आस्तियों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Infrastructural Assets under the Geological Survey of India Activities.	-	28.39	28.39
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
72 पंचायती राज मंत्रालय	72 Ministry of Panchayati Raj			
सचिवालय-आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरणों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Information, Computer, Telecommunications Equipment under the Secretariat-Economic Services.	-	0.75	0.75
संसदीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS			
73 संसदीय कार्य मंत्रालय	73 Ministry of Parliamentary Affairs			
सूचना के लिए, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण राष्ट्रीय सरकार क्लाउड (एनजीसी) में डिजिटल विधानमंडलों के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) की मेजबानी के लिए।	For Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment for hosting National eVidhan Application (NeVA) for Digital Legislatures at National Government Cloud (NGC).	-	1.05	1.05

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	86 Ministry of Road Transport and Highways			
(i) राष्ट्रीय राजमार्ग निधि-अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) के मुद्रीकरण के माध्यम से एनएचएआई में निवेश (₹18837 करोड़) (ii) टीएसपी घटक से सड़क विंग के कार्यों के तहत अन्य योजनाओं के लिए अवसंरचनात्मक आस्तियां (₹3000 करोड़) (iii) सकल बजटीय सहायता (₹1000 करोड़) के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत सड़क स्कंध/राज्य पीडब्ल्यूडी के तहत कार्यों के लिए ढांचागत आस्तियां।	For meeting additional expenditure under (i) Investment in NHAI through Monetization of National Highways Fund-Infrastructure Investment Trust (InvITs) (₹18837 crore) (ii) Infrastructural Assets for Other Schemes under Works of Road Wing from TSP component (₹3000 crore) (iii) Infrastructural Assets for Works under Roads Wing/state Pwds under Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas through Gross Budgetary Support (₹1000 crore).			
		-	17,647.31	17,647.31
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	89 Department of Science and Technology			
(क) सचिवालय के अंतर्गत घरेलू यात्रा व्यय (₹0.55 करोड़), कार्यालय व्यय (₹2.17 करोड़), मरम्मत और अनुरक्षण (₹0.56 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Domestic Travel Expenses (₹0.55 crore), Office Expenses (₹2.17 crore), Repair And Maintenance (₹0.56 crore) under Secretariat.	3.28	-	3.28
(ख) सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा और क्षमता निर्माण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹20 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹115 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-In-Aid-General (₹20 crore) and Grants For Creation Of Capital Assets (₹115 crore) under the Super Computing Facility And Capacity Building.	135.00	-	135.00
91 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	91 Department of Scientific and Industrial Research			
(क) केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत निवेश के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Investment under the Central Electronics Limited.	-	1.00	1.00

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) भवन औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और सामान्य अनुसंधान सुविधाओं (बर्ड) के अंतर्गत भवनों और संरचनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Buildings And Structures under the Building Industrial R&D and Common Research Facilities (Bird).	-	0.28	0.28
कुल तकनीकी	Total Technical	59,010.46	21,135.25	80,145.71
4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक ₹1 लाख का सांकेतिक अनुपूरक अनुदान लेने का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए दर्शाए गए व्यय को राजस्व या पूंजी अनुभाग, जैसा भी मामला हो, के भीतर बचत के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया जाएगा।	4. Token Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
1 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture and Farmers Welfare			
2401- फसल पालन	2401- Crop Husbandry	641.50	-	641.50
4401- फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4401- Capital Outlay on Crop Husbandry	-	0.25	0.25
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
2852- उद्योगों	2852- Industries	157.73	-	157.73
3401- परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401- Atomic Energy Research	46.00	-	46.00
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
6 उर्वरक विभाग	6 Department of Fertilisers			
4855- उर्वरक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4855- Capital Outlay on Fertilizer Industries	-	0.01	0.01
नागरिक उड्डयन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागरिक उड्डयन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
5053- नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	5053- Capital Outlay on Civil Aviation	-	0.01	0.01
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
9 कोयला मंत्रालय	9 Ministry of Coal			
2803- कोयला और लिग्नाइट	2803- Coal and Lignite	185.00	-	185.00
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
2407- वृक्षारोपण	2407- Plantations	88.19	-	88.19

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
11 उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475- Other General Economic Services	0.17	-	0.17
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13 दूरसंचार विभाग	13 Department of Telecommunications			
3275- अन्य संचार सेवाएं	3275- Other Communication Services	193.16	-	193.16
3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451- Secretariat-Economic Services	5.35	-	5.35
5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5275- Capital Outlay on other Communication Services	-	10501.70	10501.70
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202- Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	-	2.00	2.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19 Ministry of Defence (Civil)			
2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052- Secretariat-General Services	560.99	-	560.99
20 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
2080- रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	2080- Defence Services-Research & Development	0.05	-	0.05
2080- रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	2080- Defence Services-Research & Development	13.50	-	13.50
शिक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF EDUCATION			
25 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	25 Department of School Education and Literacy			
2202- सामान्य शिक्षा	2202- General Education	218.43	-	218.43
3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601- Grants-in-aid to State Governments	3000.00	-	3000.00
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
28 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
3435- पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435- Ecology and Environment	4.25	-	4.25
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
29 विदेश मंत्रालय	29 Ministry of External Affairs			
2061- विदेश मंत्रालय	2061- External Affairs	45.00	-	45.00

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
30 आर्थिक कार्य विभाग	30 Department of Economic Affairs			
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070- Capital Outlay on other Administrative Services	-	0.08	0.08
4076- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076- Capital Outlay on Defence Services	-	33262.00	33262.00
32 वित्तीय सेवाएं विभाग	32 Department of Financial Services			
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475- Other General Economic Services	73.91	-	73.91
36 प्रत्यक्ष कर	36 Direct Taxes			
2020- आय और व्यय पर करों का संग्रह	2020- Collection of Taxes on Income and Expenditure	435.00	-	435.00
41 पेंशन	41 Pensions			
2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071- Pensions and other Retirement Benefits	1650.00	-	1650.00
42 राज्यों को अंतरण	42 Transfers to States			
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2245- Relief on account of Natural Calamities	2028.00	-	2028.00
7601- राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601- Loans and Advances to State Governments	-	4454.00	4454.00
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
43 मत्स्य पालन विभाग	43 Department of Fisheries			
2405- मत्स्य पालन	2405- Fisheries	13.00	-	13.00
44 पशुपालन और डेयरी विभाग	44 Department of Animal Husbandry and Dairying			
2403- पशुपालन	2403- Animal Husbandry	60.00	-	60.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
2210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210- Medical and Public Health	25.05	-	25.05
भारी उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES			
48 भारी उद्योग मंत्रालय	48 Ministry of Heavy Industries			
2852- उद्योग	2852- Industries	15.67	-	15.67
4858- इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹500.00 करोड़ शामिल हैं)।	4858- Capital Outlay On Engineering Industries (this includes ₹500.00 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	-	500.00	500.00

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
49 गृह मंत्रालय	49 Ministry of Home Affairs			
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4070- Capital Outlay on other Administrative Services	-	0.12	0.12
51 पुलिस	51 Police			
4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	4055- Capital Outlay on Police	-	200.00	200.00
52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52 Andaman and Nicobar Islands			
3051- बंदरगाह और लाइट हाउस	3051- Ports and Light Houses	0.01	-	0.01
53 चंडीगढ़	53 Chandigarh			
2217- शहरी विकास	2217- Urban Development	25.00	-	25.00
5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	5452- Capital Outlay on Tourism	-	0.42	0.42
54 दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	54 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu			
2217- शहरी विकास	2217- Urban Development	10.00	-	10.00
56 लक्षद्वीप	56 Lakshadweep			
5225- दूरसंचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5225- Capital Outlay on Telecommunication Services	-	52.31	52.31
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
60 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	60 Ministry of Housing and Urban Affairs			
2217- शहरी विकास	2217- Urban Development	0.02	-	0.02
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475- Other General Economic Services	11.00	-	11.00
6217- शहरी विकास के लिए ऋण	6217- Loans for Urban Development	-	303.26	303.26
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
62 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग	62 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
2701- मध्यम सिंचाई	2701- Medium Irrigation	29.80	-	29.80
3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601- Grants-in-aid to State Governments	200.00	-	200.00
4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	4701- Capital Outlay on Medium Irrigation	-	0.20	0.20
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
64 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	64 Ministry of Labour and Employment			
2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230- Labour, Employment and Skill Development	210.71	-	210.71
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
68 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	68 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
2851- ग्राम और लघु उद्योग	2851- Village and Small Industries	415.06	-	415.06

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	71 Ministry of New and Renewable Energy			
2810- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2810- New and Renewable Energy	720.50	-	720.50
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
72 पंचायती राज मंत्रालय	72 Ministry of Panchayati Raj			
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515- Other Rural Development Programmes	0.46	-	0.46
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
76 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	76 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
4802- पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	4802- Capital Outlay on Petroleum	-	7754.98	7754.98
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
79 विद्युत मंत्रालय	79 Ministry of Power			
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801- Capital Outlay on Power Projects	-	10.21	10.21
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
85 रेल मंत्रालय	85 Ministry of Railways			
5002- भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	5002- Capital Outlay on Indian Railways-Commercial Lines	-	850.00	850.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
87 ग्रामीण विकास विभाग	87 Department of Rural Development			
2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501- Special Programmes For Rural Development	4000.00	-	4000.00
2505- ग्रामीण रोजगार	2505- Rural Employment	30000.00	-	30000.00
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
92 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	92 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship			
2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230- Labour, Employment and Skill Development	3.70	-	3.70
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
97 इस्पात मंत्रालय	97 Ministry of Steel			
4852- लौह और इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4852- Capital Outlay on Iron and Steel Industries	-	0.01	0.01

(रूपए करोड़ में Rupees in crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
100 जनजातीय कार्य मंत्रालय	100 Ministry of Tribal Affairs			
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	5.22	-	5.22
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
101 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	101 Ministry of Women and Child Development			
2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235- Social Security and Welfare	0.96	-	0.96
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552- North Eastern Areas	9.72	-	9.72
कुल सांकेतिक	Total Token	0.40	0.19	0.59
कुल योग	Grand Total	252,799.82	28,489.44	281,289.26
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	193,788.96	7,354.00	201,142.96
तकनीकी अनुपूरक	Technical Supplementary	59,010.46	21,135.25	80,145.71
सांकेतिक अनुपूरक	Token Supplementary	0.40	0.19	0.59

5. उपरोक्त अनुमानों में भारत की आकस्मिकता निधि से 4 अनुदान/विनियोग के लिए अग्रिम ₹901,82,30,000 की राशि शामिल है। उस निधि को पुनर्भुगतान करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता होती है, जिसका विवरण व्यक्तिगत अनुदान/विनियोग के अंतर्गत दिया जाता है।

5. The above estimates include a sum of ₹901,82,30,000 advanced from Contingency Fund of India to 4 Grants/Appropriations. The equivalent amount is required to enable repayment to be made to that fund, the details of which are given under the individual Grant/Appropriation.

विषय सूची
Contents

(₹ करोड़ In ₹ crore)

मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE					
1. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	1. Department of Agriculture and Farmers Welfare	Voted	0.01	0.01	0.02	1
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3. परमाणु ऊर्जा	3. Atomic Energy	Voted	0.02	46.75	46.77	2
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
6. उर्वरक विभाग	6. Department of Fertilisers	Voted	19230.00	0.01	19230.01	3
7. औषध विभाग	7. Department of Pharmaceuticals	Voted	2.30	0.37	2.67	4
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8. नागर विमानन मंत्रालय	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	...	150.01	150.01	5
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL					
9. कोयला मंत्रालय	9. Ministry of Coal	Voted	0.01	...	0.01	6
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	10. Department of Commerce	Voted	1084.88	...	1084.88	7
11. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	11. Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Charged	1.60	...	1.60	8
		Voted	0.01	...	0.01	
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
12. डाक विभाग	12. Department of Posts	Voted	...	87.76	87.76	9
13. दूरसंचार विभाग	13. Department of Telecommunications	Voted	0.02	236.18	236.20	10-11
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15. Department of Food and Public Distribution	Voted	23641.28	1.15	23642.43	12
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	17. Ministry of Corporate Affairs	Voted	6.00	...	6.00	13
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE					
18. संस्कृति मंत्रालय	18. Ministry of Culture	Voted	184.04	0.01	184.05	14-15
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE					
19. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19. Ministry of Defence (Civil)	Charged	0.31	1.70	2.01	16-17
		Voted	2188.81	33.00	2221.81	
20. रक्षा सेवा (राजस्व)	20. Defence Services (Revenue)	Charged	7.73	...	7.73	18-19
		Voted	43507.97	...	43507.97	
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21. Capital Outlay on Defence Services	Charged	...	33.61	33.61	20
		Voted	...	1843.37	1843.37	
22. रक्षा पेंशन	22. Defence Pensions	Charged	0.49	...	0.49	21
		Voted	391.01	...	391.01	

मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
शिक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF EDUCATION					
25. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	25. Department of School Education and Literacy	Voted	0.02	...	0.02	22
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
28. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	16.85	...	16.85	23
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
29. विदेश मंत्रालय	29. Ministry of External Affairs	Voted	0.01	...	0.01	24
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE					
30. आर्थिक कार्य विभाग	30. Department of Economic Affairs	Voted	105491.44	2.89	105494.33	25
32. वित्तीय सेवाएं विभाग	32. Department of Financial Services	Voted	0.01	3005.50	3005.51	26
36. प्रत्यक्ष कर	36. Direct Taxes	Voted	0.01	...	0.01	27
41. पेंशन	41. Pensions	भारित Charged	70.00	...	70.00	28
42. राज्यों को अंतरण	42. Transfers to States	स्वीकृत भारित Voted	0.01 30116.80 4115.01	...	0.01 34470.81 4115.01	29-30
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING					
43. मत्स्यपालन विभाग	43. Department of Fisheries	Voted	0.01	...	0.01	31
44. पशुपालन और डेयरी विभाग	44. Department of Animal Husbandry and Dairying	Voted	0.01	...	0.01	32
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
46. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	10721.89	...	10721.89	33
भारी उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES					
48. भारी उद्योग मंत्रालय	48. Ministry of Heavy Industries	Voted	0.01	0.54	0.55	34
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
49. गृह मंत्रालय	49. Ministry of Home Affairs	Voted	310.17	0.01	310.18	35-36
51. पुलिस	51. Police	भारित Charged	8.83	...	8.83	37-39
52. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	52. Andaman and Nicobar Islands	स्वीकृत Voted	1711.00 207.45	0.01	1711.01 207.45	40
53. चंडीगढ़	53. Chandigarh	भारित Charged	3.77	...	3.77	41
54. दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	54. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	स्वीकृत Voted	0.01	0.01	0.02	42
55. लद्दाख	55. Ladakh	Voted	63.20	...	63.20	43
56. लक्षद्वीप	56. Lakshadweep	Voted	18.35	0.01	18.36	44
58. जम्मू और कश्मीर को अंतरण	58. Transfers to Jammu and Kashmir	Voted	5000.00	...	5000.00	45

(₹ करोड़ In ₹ crore)

मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS				
60. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60. Ministry of Housing and Urban Affairs				
स्वीकृत	Voted	0.02	1013.42	1013.44	46-47
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING				
61. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	61. Ministry of Information and Broadcasting				
स्वीकृत	Voted	1744.64	0.28	1744.92	48
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI				
62. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	62. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation				
स्वीकृत	Voted	0.02	0.01	0.03	49
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT				
64. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	64. Ministry of Labour and Employment				
स्वीकृत	Voted	0.01	...	0.01	50
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE				
65. विधि और न्याय	65. Law and Justice				
स्वीकृत	Voted	2271.49	...	2271.49	51
66. निर्वाचन आयोग	66. Election Commission				
स्वीकृत	Voted	10.20	...	10.20	52
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES				
68. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	68. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises				
स्वीकृत	Voted	0.01	...	0.01	53
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES				
69. खान मंत्रालय	69. Ministry of Mines				
स्वीकृत	Voted	...	28.39	28.39	54
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY				
71. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	71. Ministry of New and Renewable Energy				
स्वीकृत	Voted	0.01	...	0.01	55
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ				
72. पंचायती राज मंत्रालय	72. Ministry of Panchayati Raj				
स्वीकृत	Voted	0.01	0.75	0.76	56
संसदीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS				
73. संसदीय कार्य मंत्रालय	73. Ministry of Parliamentary Affairs				
स्वीकृत	Voted	...	1.05	1.05	57
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS				
76. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	76. Ministry of Petroleum and Natural Gas				
स्वीकृत	Voted	...	0.01	0.01	58
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER				
79. विद्युत मंत्रालय	79. Ministry of Power				
स्वीकृत	Voted	...	0.01	0.01	59
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS				
85. रेल मंत्रालय	85. Ministry of Railways				
स्वीकृत	Voted	...	0.01	0.01	60
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS				
86. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	86. Ministry of Road Transport and Highways				
स्वीकृत	Voted	...	17647.31	17647.31	61

मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
87. ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत	87. Department of Rural Development	Voted	0.02	...	0.02	62
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
89. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	89. Department of Science and Technology	Voted	138.28	...	138.28	63
91. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग स्वीकृत	91. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	...	1.28	1.28	64
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP					
92. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय स्वीकृत	92. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	0.01	...	0.01	65
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
96. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्वीकृत	96. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	39.03	...	39.03	66
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL					
97. इस्पात मंत्रालय स्वीकृत	97. Ministry of Steel	Voted	...	0.01	0.01	67
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES					
98. वस्त्र मंत्रालय स्वीकृत	98. Ministry of Textiles	Voted	494.68	...	494.68	68
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
100. जनजातीय कार्य मंत्रालय स्वीकृत	100. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.01	...	0.01	69
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
101. महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वीकृत	101. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.02	...	0.02	70
कुल जोड़	GRAND TOTAL		252799.82	28489.44	281289.26	
	स्वीकृत	Charged	30209.53	4389.32	34598.85	
	भारित	Voted	222590.29	24100.12	246690.41	
अनुबंध 2025-26	ANNEXURES 2025-26					73-265
अनुबंध 2024-25	ANNEXURES 2024-25					266-273

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)
(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	235044.56	235044.56
पूंजी	Capital	...	87.87	87.87
जोड़	Total	...	235132.43	235132.43
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	235132.48	235132.48
राजस्व	Revenue	...	235044.60	235044.60
पूंजी	Capital	...	87.88	87.88
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4401-फसल कृषि कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:
(क) कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 641.50 करोड़)	(a) 'Subsidies' under the Agriculture Infrastructure Fund (₹641.50 Crore)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token supplementary is sought.
(ख) राष्ट्रीय जैविक खेती संवर्धन परियोजना के तहत 'मोटर वाहन' (₹ 0.25 करोड़)।	(b) 'Motor Vehicles' under the National Project on Promotion of Organic Farming (₹ 0.25 crore)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)
(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	4.59	22663.70	22668.29
पूंजी	...	14814.64	14814.64
जोड़	4.59	37478.34	37482.93
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	...	0.02	0.02
पूंजी	...	0.03	0.03
जोड़	...	0.05	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	...	0.02	0.02
पूंजी	...	46.75	46.75
जोड़	...	46.77	46.77
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4.59	37529.75
राजस्व	Revenue	4.59	22668.33
पूंजी	Capital	...	14861.42
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (का)
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	...	0.01 (खb)
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	...	18.02 (गc)
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research	...	28.73 (घd)
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	46.75
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	46.77

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) ईंधन निर्माण सुविधाओं के तहत सामग्री और आपूर्ति (₹ 157.73 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) स्वायत्त निकायों और अनुसंधान सहायता के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 46.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) भारी पानी का प्रचालन व्यय के अंतर्गत पेशेवर सेवाएं (₹ 15.00 करोड़) ,(ii) भारी पानी परियोजनाओं का सुधार/आशोधन के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण (₹ 3.02 करोड़)।
अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध ₹ 18.02 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (घ) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) आवासीय परियोजना स्कीम के अंतर्गत अवसंरचना विकास परियोजनाएं के तहत सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹ 0.90 करोड़), भवन और संरचनाएं (₹ 3.23 करोड़), भवन और संरचनाएं (₹ 2.47 करोड़) ,(ii) परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र (वीईसीसी) की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण (₹ 0.50 करोड़) (iii) मेगा साइंस परियोजनाएं के अंतर्गत भूमि (₹ 21.63 करोड़)।
अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत ₹ 28.73 करोड़ को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards Materials And Supplies (₹ 157.73 Crore) under the Fuel Fabrication Facilities
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards Grants For Creation Of Capital Assets (₹ 46.00 Crore) under the Autonomous Bodies And Research Support (Tata Memorial Centre)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure towards (i) Professional Services (₹ 15.00 Crore) under the Operational Expenses Of Heavy Water, (ii) Machinery And Equipment (₹ 3.02 Crore) under the Improvement/ Modifications Of Heavy Water Projects
Taking into account the savings of ₹ 18.02 crore available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (d) meeting additional expenditure towards (i) Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 0.90 Crore), Buildings And Structures (₹ 3.23 Crore), Buildings And Structures (₹ 2.47 Crore) under the Infrastructure Development Projects under the Housing Projects Scheme, (ii) Machinery And Equipment (₹ 0.50 Crore) under the R&D Projects Of Variable Energy Cyclotron Centre (VECC), (iii) Land (₹ 21.63 Crore) under the Mega Science Projects
Taking into account the savings of ₹ 28.73 crore available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग
DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)
(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	...	184067.26	184067.26
पूंजी	...	15.18	15.18
जोड़	...	184082.44	184082.44
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	...	31063.09	31063.09
पूंजी	...	3.10	3.10
जोड़	...	31066.19	31066.19
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	...	19230.00	19230.00
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	...	19230.01	19230.01
जोड़ (मूल और पूरक)	...	234378.64	234378.64
राजस्व	...	234360.35	234360.35
पूंजी	...	18.29	18.29
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
	भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2401-कृषि कार्य	...	15000.00 (क)	15000.00
2852-उद्योग	...	4230.00 (ख)	4230.00
जोड़ (राजस्व भाग)	...	19230.00	19230.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4855-उर्वरक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01 (ग)	0.01
जोड़ (पूरक)	...	19230.01	19230.01

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:	The supplementary Grants are required for:
(क) पोषण आधारित सब्सिडी (एनवाईएस) योजना के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना: (i) स्वदेशी पी एंड के-जेन घटक (₹ 5244.00 करोड़), (ii) आयातित पी एंड के-जेन घटक (₹ 7866.00 करोड़), (iii) स्वदेशी पी एंड के-डीएपीएससी घटक (₹ 498.00 करोड़), (iv) आयातित पी एंड के-डीएपीएससी घटक (₹ 747.00 करोड़), (v) स्वदेशी पी एंड के-डीएपीएससी घटक (₹ 258.00 करोड़), (vi) आयातित पी एंड के-डीएपीएससी घटक (₹ 387.00 करोड़)। उपरोक्त व्यय में ₹ 15000.00 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।	(a) meeting additional expenditure towards : Subsidies under Nutrient Based Subsidy (NBS) Scheme - (i) Indigenous P&K-Gen Component (₹ 5244.00 crore), (ii) Imported P&K-Gen Component (₹ 7866.00 crore), (iii) Indigenous P&K-DAPSC Component (₹ 498.00 crore), (iv) Imported P&K-DAPSC Component (₹ 747.00 crore), (v) Indigenous P&K-DAPST Component (₹ 258.00 crore), (vi) Imported P&K-DAPST Component (₹ 387.00 crore). The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 15000.00 crore.
(ख) यूरिया सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए -(i) स्वदेशी यूरिया-जेईएन घटक के लिए भुगतान (₹ 3697.02 करोड़), (ii) स्वदेशी यूरिया- डीएपीएससी घटक के लिए भुगतान (₹ 351.09 करोड़), (iii) स्वदेशी यूरिया- डीएपीएससी घटक के लिए भुगतान (₹ 181.89 करोड़)। उपरोक्त व्यय में ₹ 4230.00 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।	(b) meeting additional expenditure towards: Subsidies under Urea Subsidy Scheme - (i) Payment for Indigenous Urea-Gen Component (₹ 3697.02 crore), (ii) Payment for Indigenous Urea-DAPSC Component (₹ 351.09 crore), (iii) Payment for Indigenous Urea-DAPST Component (₹ 181.89 crore). The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 4230.00 crore.
(ग) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (एफएजीएम आईएल) की अधिकृत पूंजी में वृद्धि और उसके बाद बोनस शेयर जारी करना; और ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के तहत प्रवर्तकों के योगदान के कारण शेयर जारी करना। चूंकि, उपरोक्त बही प्रविष्टियां पूर्व अवधि समायोजन के माध्यम से की जाएंगी, इसलिए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c) increase in authorized capital of FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited (FAGMIL) and issuance of bonus shares thereafter; and Issuance of Shares on account of Promoters contribution under Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL). Since, the above book entries would be done through Prior Period Adjustment, therefore a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

औषध विभाग
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)
(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5267.16	5267.16
पूंजी	Capital	...	1.56	1.56
जोड़	Total	...	5268.72	5268.72
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2.30	2.30
पूंजी	Capital	...	0.37	0.37
जोड़	Total	...	2.67	2.67
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5271.40	5271.40
राजस्व	Revenue	...	5269.46	5269.46
पूंजी	Capital	...	1.94	1.94
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	2.30 (क)	2.30
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.37 (ख)	0.37
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	2.67	2.67

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित के व्यय को पूरा करने के लिए (i) पेशेवर सेवाओं (₹8.27 करोड़), (ii) फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के तहत जीआए -जनरल-(₹ 129.50 करोड़), (iii) मेसर्स आरडीपीएल की हानि को बट्टे खाते में डालने के लिए (₹ 2.2905 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत और बही समायोजन के लिए ₹ 2.2905 करोड़ की आनुमानिक प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

(ख) संलग्न कार्यालय - आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹ 0.37 करोड़) पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards (i) Professional Services (₹8.27 crore), (ii) GIA-General- (₹129.50 crore) under Promotion of Research and Innovation in Pharma MedTech sector (PRIP), (iii) Write off of loss of M/s. RDPL (₹ 2.2905 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, and notional receipt of ₹2.2905 crore on account of book adjustment, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) meeting additional expenditure towards Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 0.37 Crore) under the Attached Offices - Economic Services.

Taking into account the savings available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)
(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2330.31	2330.31
पूंजी	Capital	...	70.00	70.00
जोड़	Total	...	2400.31	2400.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	150.01	150.01
जोड़	Total	...	150.01	150.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2550.32	2550.32
राजस्व	Revenue	...	2330.31	2330.31
पूंजी	Capital	...	220.01	220.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	0.01 (कअ)	0.01
7053-नागर विमानन के लिए ऋण	7053-Loans for Civil Aviation	...	150.00 (खब)	150.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	150.01	150.01

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:
(क) पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड (पीएचएल) (₹0.01 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a) meeting additional expenditure towards Pawan Hans Helicopters Limited (PHHL) (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को ऋण और अग्रिम हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹150 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	(b) meeting additional expenditure towards Loans and Advances to Alliance Air Aviation Limited (₹ 150 crore). Taking into account the savings available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 9

कोयला मंत्रालय
MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)
(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1249.00	1249.00
पूंजी	Capital	...	2.20	2.20
जोड़	Total	...	1251.20	1251.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1251.21	1251.21
राजस्व	Revenue	...	1249.01	1249.01
पूंजी	Capital	...	2.20	2.20
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने की योजना के तहत गैर-सरकारी संस्थानों (श्रेणी-II) परियोजना घटक के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के अनुदान हेतु ₹185 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 185 crore towards Grants for Creation of Capital Assets for the Non-Government Institutions (Category-II) project component, within the 'Scheme for promotion of Coal/Lignite Gasification'.

Taking into account savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)
(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.40	5246.59	5246.99
पूंजी	Capital	...	54.00	54.00
जोड़	Total	0.40	5300.59	5300.99
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	2.43	226.96	229.39
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	2.43	226.97	229.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1084.88	1084.88
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1084.88	1084.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2.83	6612.44	6615.27
राजस्व	Revenue	2.83	6558.43	6561.26
पूंजी	Capital	...	54.01	54.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2407-प्लांटेशन	2407-Plantations	...	0.01	(क) 0.01
3453-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	1084.87	(ख) 1084.87
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1084.88	1084.88

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) चाय बागान कर्मचारी कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 88.19 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) व्यापार आयुक्त के अंतर्गत भत्ते (₹ 10.75 करोड़), (ii) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआई) के अंतर्गत अनुदान सहायता-सामान्य (₹ 1059.22 करोड़) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के अंतर्गत, (iii) अंतरराष्ट्रीय निगम (डब्ल्यूटीओ) अंशदान (₹ 13.76 करोड़) टी एंड टी के संबंध में जीए को संविदाकारी पक्षों का अंशदान के अंतर्गत, (iv) अंतरराष्ट्रीय निगम - अन्य संगठनों के अंतर्गत अंशदान (₹ 1.13 करोड़)।

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध ₹ 4.7 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय ₹ 1080.17 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid-General (₹ 88.19 Crore) under scheme for the Welfare of Tea Garden Workers.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure towards (i) Allowances (₹ 10.75 Crore) under the Trade Commissioners, (ii) Grants-In-Aid-General (₹ 1059.22 Crore) under the National Export Insurance Account (NEIA), (iii) Contribution (₹ 13.76 Crore) under the International Cooperation (WTO), (iv) Contribution (₹ 1.13 Crore) under the International Cooperation-Other Organisations

Taking into account the savings of ₹ 4.7 crore available in the Capital section of the Grant, the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 1080.17 crore.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)
(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7452.93	7452.93
पूंजी	Capital	...	5692.13	5692.13
जोड़	Total	...	13145.06	13145.06
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	1.60	0.01	1.61
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.60	0.01	1.61
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.60	13145.11	13146.71
राजस्व	Revenue	1.60	7452.97	7454.57
पूंजी	Capital	...	5692.14	5692.14

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परियोजना	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	1.60 (का)	...	1.60
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	1.60	0.01	1.61

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| (क) | निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) केंद्रीय ब्याज सब्सिडी योजना घटक के तहत सब्सिडी (₹ 1.54 करोड़), (ii) पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति 1997 योजना के व्यापक बीमा योजना घटक के तहत सब्सिडी (₹ 0.06 करोड़) । | (a) | meeting additional expenditure towards (i) Subsidies (₹ 1.54 Crore) under the Central Interest Subsidy Scheme Component, (ii) Subsidies (₹ 0.06 Crore) under the Comprehensive Insurance Scheme Component of North East Industrial Policy 1997 Scheme. |
| | अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध ₹1.6 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा। | | Taking into account the savings of ₹ 1.6 crore in the Voted Section of grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. |
| (ख) | मूल्य और उत्पादन सांख्यिकी योजना के तहत अन्य के लिए किराए (₹ 0.1690 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए । | (b) | meeting additional expenditure towards Rent for Others (₹ 0.1690 Crore) under Price and Production Statistics scheme. |
| | अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। | | Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token supplementary is sought. |

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 12

डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)
(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	2.04	40126.58	40128.62
पूंजी	Capital	...	958.35	958.35
जोड़	Total	2.04	41084.93	41086.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	87.76	87.76
जोड़	Total	...	87.76	87.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2.04	41172.69	41174.73
राजस्व	Revenue	2.04	40126.58	40128.62
पूंजी	Capital	...	1046.11	1046.11
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	4.57 (का)	4.57
5201-डाक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services	...	83.19 (खब)	83.19
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	87.76	87.76

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:
(क) आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों (₹4.57 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	(a) meeting additional expenditure towards Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 4.57 Crore) under the IT Modernization Project 2.0. Taking into account the savings available in Revenue Section of the Grant, above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ख) निम्नलिखित के ₹83.19 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) संपदा प्रबंधन के लिए भवनों के तहत भवन और संरचनाएं (₹ 4.34 करोड़) (ii) सामान्य सेवाओं के लिए मेल मोटर वाहन के तहत डाक प्रचालन के लिए मोटर वाहन (₹0.57 करोड़) और मोटर वाहन (₹5 करोड़) (iii) डाकघरों के आधुनिकीकरण के तहत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹2.11 करोड़ रुपये), मशीनरी और उपकरण (₹4.77 करोड़), फर्नीचर और फिक्स्चर (₹4.10 करोड़ रुपये) (iv) डाक व्यापार केंद्र की स्थापना के अंतर्गत मशीनरी और उपकरण (₹0.10 करोड़), सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹0.10 करोड़) (v) व्यापार विस्तार (स्पीड पोस्ट) के तहत मशीनरी और उपकरण (₹7.27 करोड़), सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹1.71 करोड़) (vi) प्रशासनिक प्रबंधन-डाक निदेशालय के आधुनिकीकरण के तहत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹4.02 करोड़) (vii) परियोजना प्रबंधन इकाई के तहत मशीनरी और उपकरण (₹3.60 करोड़) (viii) आई टी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत आईटी इंफ्रा के लिए सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹23 करोड़) डाक और रसद और सूचना के लिए, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹22.50 करोड़)।	(b) meeting additional expenditure of ₹83.19 crore towards (i) Buildings and Structures (₹ 4.34 crore) under the Buildings for Estates Management (ii) Motor Vehicles (₹ 0.57 crore) for Postal Operations Scheme and Motor Vehicles (₹ 5 crore) under the Mail Motor Vehicles For Ordinary Services (iii) Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 2.11 crore), Machinery and Equipment (₹ 4.77 crore), Furniture & Fixtures (₹ 4.10 crore) under the Modernization of Post Offices (iv) Machinery and Equipment (₹ 0.10 crore), Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 0.10 crore) under the setting up of Mail Business Centre (v) Machinery and Equipment (₹ 7.27 crore), Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 1.71 crore) under the Business Expansion (Speed Post) (vi) Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 4.02 crore) under the Modernisation of Administrative Management-Postal Directorate (vii) Machinery and Equipment (₹ 3.60 crore) under the Project Management Unit (viii) Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 23 crore) for Postal and Logistics and Information, Computer and Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 22.50 crore) for IT Infra under the IT Modernization Project 2.0. Taking into account the savings available in Revenue Section of the Grant, above expenditure will not entail any additional cash outgo.
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 13

दूरसंचार विभाग
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12-14 देखिये)
(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 12-14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	35851.50	
पूंजी	Capital	...	73784.76	
जोड़	Total	...	109636.26	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	
पूंजी	Capital	...	38543.32	
जोड़	Total	...	38543.36	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	
पूंजी	Capital	...	236.18	
जोड़	Total	...	236.20	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	148415.82	
राजस्व	Revenue	...	35851.56	
पूंजी	Capital	...	112564.26	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(का) 0.01
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services	...	0.01	(गc) 0.01
6859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए ऋण	6859-Loans for Telecommunication and Electronic Industries	...	236.17	(घd) 236.17
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	236.18	236.18
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	236.20	236.20
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
6859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए ऋण	6859-Loans for Telecommunication and Electronic Industries	...	(-)236.17	(-)236.17

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) केंद्रीय निगरानी प्रणाली - संचालन और रखरखाव के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.001 करोड़) और महानिदेशालय प्रशासन के कार्यालय व्यय (₹ 5.35 करोड़) के लिए ₹ 5.351 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 5.351 crore towards Advertising and Publicity (₹ 0.001 crore) under the Central Monitoring System - Operation and Maintenance; and Office Expenses (₹ 5.35 crore) of the Directorate - General Administration.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | |
|--|---|
| <p>(ख) ₹193.16 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) वायरलेस निगरानी सेवाओं के अंतर्गत वेतन (₹ 5.00 करोड़), भत्ते (₹ 5.00 करोड़), (ii) सर्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को सब्सिडी (₹ 150.00 करोड़) (iii) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिनेवा के अंतर्गत अंशदान (₹ 0.75 करोड़), (iv) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और भारत में संबंधित गतिविधियों के आयोजन के लिए अन्य राजस्व व्यय (₹ 3.70 करोड़), (v) आईटीयू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय, (₹ 0.75 करोड़), भूमि और भवन के लिए किराया, दरें और कर (₹ 0.26 करोड़), (vi) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंतर्गत अंतर खाता अंतरण (₹ 27.70 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(b) meeting additional expenditure of ₹193.16 crore towards (i)Salaries (₹ 5 crore), Allowances (₹ 5 crore) under the Wireless Monitoring Services; (ii) Subsidies (₹ 150 crore) under the Compensation to Service Provider for Universal Service Obligation; (iii) Contribution (₹ 0.75 crore) under the International Telecommunication Union, Geneva; (iv) Other Revenue Expenditure (₹ 3.70 crore) for organising International Conferences & Related Activities In India (v) Other Revenue Expenditure (₹ 0.75 crore), Rent, Rates And Taxes For Land & Buildings (₹ 0.26 crore) under the ITU Area Office & Innovation Centre and (vi) Inter Account Transfers (₹ 27.70 crore) under the Telecom Regulatory Authority Of India</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ग) ₹10,501.70 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) भवन और संरचनाएं (₹ 1.52 करोड़) कार्यालय की इमारत के अंतर्गत, (ii) सार्वभौमिक सेवा प्रदाता दायित्व निधि को अतिरिक्त अंतरण के अंतर्गत (₹ 10500.00 करोड़) (iii) बीएसएनएल और एमटीएनएल में पूंजी प्रवाह के अंतर्गत निवेश (₹ 0.18 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(c) meeting additional expenditure of ₹10,501.70 crore towards (i) Buildings and Structures (₹ 1.52 crore) (ii) Inter Account Transfers (₹ 10500 crore) under the Additional Transfer To Universal Service Obligation Fund and (iii) Investments under Capital Infusion in BSNL and MTNL (₹ 0.18 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(घ) सरकारी गारंटी के लागू होने पर एमटीएनएल को दिए गए ₹236.163 करोड़ के ऋण और अग्रिमों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। यह राशि गारंटी मोचन निधि से पूरी की जाएगी।</p> <p>समतुल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा। उपरोक्त अनुमानों में भारत के आकस्मिक निधि के मुख्य शीर्ष '6859- दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए ऋण' ₹ 236.163 करोड़ की राशि शामिल है, जो एमटीएनएल के संबंध में सरकारी गारंटी के क्रियान्वयन हेतु दी गई थी, और इस निधि को पुनर्भुगतान करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है। उपरोक्त के लिए, ₹ 236.163 करोड़ की राशि वसूली से पूरी की जा सकती है (तकनीकी पूरक)।</p> | <p>(d) meeting additional expenditure towards Loans and Advances of ₹ 236.163 crore to MTNL on Invocation of Government Guarantee. This will be met from Guarantee Redemption Fund. Taking into account the equivalent recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. The above estimates include a sum of ₹ 236.163 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head '6859-Loan for Telecommunication and Electronic Industries' towards Invocation of Government Guarantee in respect of MTNL and an equivalent amount is required to enable repayment to that Fund. For the above, the amount of ₹ 236.163 crore can be matched by recoveries (Technical supplementary.)</p> |

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)
(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	11469.86	11469.86
पूंजी	Capital	...	116.33	116.33
जोड़	Total	...	11586.19	11586.19
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	25.00	25.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	25.00	25.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	6.00	6.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	6.00	6.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	11617.19	11617.19
राजस्व	Revenue	...	11500.86	11500.86
पूंजी	Capital	...	116.33	116.33

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	6.00	6.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	(-)6.00	(-)6.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अन्य राजस्व व्यय (₹ 6.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु:
(ii) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अंतर-खाता हस्तांतरण (₹ 7542.19 करोड़) के माध्यम से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरण, दावेदारों की निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष से अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु।
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध समान वसूली को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Other Revenue Expenditure (₹ 6.00 Crore) under Investor Education and Protection Fund and (ii) Inter Account Transfers (₹ 7542.19 Crore) towards transfer to Investor Education and Protection Fund
Taking into account the matching recoveries and savings available in the same section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)
(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3168.51	3168.51
पूंजी	Capital	...	192.45	192.45
जोड़	Total	...	3360.96	3360.96
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5.09	5.09
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	5.10	5.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	184.04	184.04
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	184.05	184.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3550.11	3550.11
राजस्व	Revenue	...	3357.64	3357.64
पूंजी	Capital	...	192.47	192.47
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	169.26 (का)	169.26
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	14.78 (खब)	14.78
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	184.04	184.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01 (गद)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	184.05	184.05

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 100.11 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.94 करोड़) और कला संस्कार विकास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.22 करोड़) (ii) केएसवीवाई के तहत छात्रवृत्ति (₹ 13.16 करोड़), डीएपीएससी के तहत छात्रवृत्ति (₹ 1.41 करोड़) और डीएपीएसटी के तहत छात्रवृत्ति (₹ 0.73 करोड़), (iii) वित्तीय सहायता वयोवृद्ध कलाकार (उपयोजना) के तहत अन्य राजस्व व्यय (₹ 9.29 करोड़), सेवा भोज योजना (उपयोजना) के तहत अन्य राजस्व व्यय (₹ 15.85 करोड़), डीएपीएससी के तहत अन्य राजस्व व्यय (₹ 1.00 करोड़) और डीएपीएसटी के तहत अन्य राजस्व व्यय (₹ 0.52 करोड़), (iv) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के तहत विज्ञापन और प्रचार (₹ 0.49 करोड़), (v) संग्रहालयों के विकास के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹ 1.00 करोड़) विज्ञापन और प्रचार (₹ 1.00 करोड़) अनुदान पूंजीगत आस्तियों का सृजन (₹ 12.04 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पुरा करने के लिए।

अनुदान के एक ही खंड के भीतर उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें (₹ 169.26 करोड़) नकद व्यय शामिल होगा। उपरोक्त अनुमानों में (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित शीर्षों के प्रमुख शीर्ष 2205 में भारत

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure under (i) Grants-in-Aid-General (₹ 100.11 Crore), Grants-in-Aid-General (₹ 9.94 Crore) under Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) and Grants-in-Aid-General (₹ 3.22 Crore) under Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST) of Kala Sanskriti Vikas Yojana (KSVY); (ii) Scholarships (₹ 13.16 Crore), Scholarships (₹ 1.41 Crore) under DAPSC, and Scholarships (₹ 0.73 Crore) under DAPST of KSVY; (iii) Other Revenue Expenditure (₹ 9.29 Crore) under Financial Assistance to Veteran Artist (sub scheme), Other Revenue Expenditure (₹ 15.85 Crore) under Sewa-Bhoj Yojan (sub-scheme), Other Revenue Expenditure (₹ 1.00 Crore) under DAPSC and Other Revenue Expenditure (₹ 0.52 Crore) under DAPST of KSVY; (iv) Advertising and Publicity (₹ 0.49 Crore) under the Anthropological Survey Of India; (v) Office Expenses (₹ 1.00 Crore), Advertising and Publicity (₹ 1.00 Crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 12.04 Crore) under the Development of Museums.

Taking into account the savings available in the same section of Grant, the above expenditure entails a net cash outgo of ₹ 169.26 crore. The above estimates include a sum of ₹ 14.25

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

की आकस्मिक निधि से अग्रिम रूप में दी गई ₹ 14.25 करोड़ की राशि शामिल है और इस निधि को पुनर्भुगतान करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है उपरोक्त के लिए ₹ 14.25 करोड़ राशि नकद अनुपूरक से पूरी की जा सकती है।

- (ख) केएसवीवाई के अंतर्गत (i) सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 11.88 करोड़), छात्रवृत्ति (₹ 1.70 करोड़) अन्य राजस्व व्यय (₹ 1.20 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। उपरोक्त व्यय में (₹ 14.78 करोड़) नकद व्यय शामिल होगा। उपरोक्त अनुमानों में भारत की आकस्मिक निधि से प्रमुख शीर्ष 2552 के अंतर्गत अग्रिम रूप से दी गई (₹ 1.41 करोड़) की राशि शामिल है और इस निधि को पुनर्भुगतान करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है। उपरोक्त के लिए (₹ 1.41 करोड़) की राशि नकद अनुपूरक से पूरी की जा सकती है।
- (ग) संग्रहालयों के विकास के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों पर होने वाली (₹ 2.00 करोड़) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए

अनुदान के एक ही खंड के भीतर उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल होगा।

crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2205 of heads mentioned at point (i), (ii) & (iii) and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund. For the above, the amount of ₹14.25 crore can be met from cash supplementary.

(b) meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid-General (₹ 11.88 Crore), Scholarships (₹ 1.70 Crore), Other Revenue Expenditure (₹ 1.20 Crore) under the KSVY. The above expenditure entails a cash outgo of ₹ 14.78 crore. The above estimates include a sum of ₹1.41 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2552 and an equivalent is required to enable repayment to be made to that Fund. For the above, the amount of ₹1.41 crore can be met from cash supplementary.

(c) meeting additional expenditure towards Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 2.00 Crore) under the Development of Museums

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail a additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

**रक्षा मंत्रालय (सिविल)
MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20-21 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)
(See page 20-21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.81	46994.54	46995.35
पूंजी	Capital	50.00	12453.12	12503.12
जोड़	Total	50.81	59447.66	59498.47
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	10.00	10.00
जोड़	Total	...	10.01	10.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.31	2188.81	2189.12
पूंजी	Capital	1.70	33.00	34.70
जोड़	Total	2.01	2221.81	2223.82
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	52.82	61679.48	61732.30
राजस्व	Revenue	1.12	49183.36	49184.48
पूंजी	Capital	51.70	12496.12	12547.82

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged		स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	0.30	(का)	0.01	(खb)	0.31
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	0.01	(गc)	...		0.01
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	...		2188.80	(घd)	2188.80
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.31		2188.81		2189.12
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	1.70	(डेe)	...		1.70
5054-सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...		33.00	(चf)	33.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	1.70		33.00		34.70
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	2.01		2221.81		2223.82

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants/Appropriations are required for:
(क) सचिवालय सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वेतन (₹ 0.20 करोड़) और भत्तों (₹ 0.10 करोड़) के ₹ 0.30 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) meeting additional expenditure of ₹ 0.30 crore under Salaries (₹ 0.20 crore) and Allowances (₹ 0.10 crore) under Secretariat General Services.
इस अनुदान के तहत प्राप्त अतिरिक्त ₹0.30 करोड़ की राशि को ध्यान में रखते हुए, इससे कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	Taking into accounts additional receipt of ₹ 0.30 crore under this grant, this will not entail any additional cash outgo.
(ख) रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) के अंतर्गत अनुदान-सहायता-सामान्य (आईडीईएक्स) (₹ 15.91 करोड़) और अनुदान-सहायता-सामान्य (एडीआईटीआई) (₹ 25.38 करोड़) सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अंतर्गत वेतन (₹ 195 करोड़), भत्ते (₹ 80.06 करोड़) और राशन की लागत (₹ 22.80 करोड़); रक्षा संपदा संगठन (डीईओ) के अंतर्गत छावनी बोर्डों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिए अनुदान-सहायता-सामान्य (₹ 221.85 करोड़) के लिए ₹ 560.9939 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना;।	(b) meeting additional expenditure of ₹ 560.9939 crore towards Grants-in-aid-General (iDEX) (₹ 15.91 crore), Grants-in-aid-General (ADITI) (₹ 25.38 crore) under Department of Defence Production (DDP); Salaries (₹ 195 crore), Allowances (₹ 80.06 crore) and Cost of Ration (₹ 22.80 crore) under Border Roads Organisation (BRO); Grants-in-aid-General (₹ 221.85 crore) towards Pay and Allowances of officers/staff of Cantonment Boards under Defence Estates Organisation (DEO).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of grant, a token supplementary is sought.
(ग) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अन्य राजस्व व्यय (₹ 0.01 करोड़) तटरक्षक संगठन के अंतर्गत	(c) meeting additional expenditure of ₹ 0.01 crore towards Other Revenue Expenditure under the Coast Guard Organisation.
इस अनुदान के तहत प्राप्त अतिरिक्त ₹0.01 करोड़ की राशि को ध्यान में रखते हुए, इससे कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	Taking into account the additional receipts of ₹ 0.01 crore under this grant, this will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(घ)	<p>सामान्य भंडार, फर्म मांग के विरुद्ध (एएफडी) मदों और विविध व्ययों की बिक्री और खरीद के लिए सामग्री और आपूर्ति (₹ 2,352.97 करोड़) तथा कैंटीन स्टोर विभाग के अंतर्गत ब्याज भुगतान (₹ 14.83 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय ₹ 2,367.80 करोड़ को पूरा करना।</p> <p>अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध 179 करोड़ रुपये की बचत और 2,188.80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्त को ध्यान में रखते हुए, इससे कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>	(d)	<p>meeting additional expenditure of ₹ 2,367.80 crore towards Materials & Supplies (₹ 2,352.97 crore) for sale and purchase of general stores, Against-Firm-Demand (AFD) items and miscellaneous expenses; and Interest payments (₹ 14.83 crore) under Canteen Stores Department.</p> <p>Taking into account of savings of ₹ 179 crore available in the same section of the grant and additional receipt of ₹ 2,188.80 crore, this will not entail any additional cash outgo.</p>
(ङ)	<p>तटरक्षक संगठन (सीजीओ) के अंतर्गत भवनों और संरचनाओं पर होने वाले अतिरिक्त व्यय, ₹1.70 करोड़ को पूरा करना।</p>	(e)	<p>meeting additional expenditure of ₹ 1.70 crore towards Buildings & Structures under Coast Guard Organization (CGO).</p> <p>Taking into account additional receipt of ₹ 1.70 crore under this grant, this will not entail any additional cash outgo.</p>
(च)	<p>इस अनुदान के तहत प्राप्त अतिरिक्त ₹1.70 करोड़ को ध्यान में रखते हुए, इससे कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>सड़क एवं पुलों के अंतर्गत अवसंरचनात्मक आस्तियों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय (₹145 करोड़) को पूरा करना।</p> <p>अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध ₹112 करोड़ की बचत और अनुदान के पूंजी-प्रभारित खंड में उपलब्ध ₹33 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।</p>	(f)	<p>meeting additional expenditure for Infrastructural Assets (₹145 crore) under Roads and Bridges.</p> <p>Taking into account the savings of ₹ 112 crore available in the same section of the Grant and savings of ₹ 33 crore available in the Capital- Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवा (राजस्व)
DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)
(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	115.82	318768.86	318884.68
पूंजी
जोड़	115.82	318768.86	318884.68
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	65.28	0.01	65.29
पूंजी
जोड़	65.28	0.01	65.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	7.73	43507.97	43515.70
पूंजी
जोड़	7.73	43507.97	43515.70
जोड़ (मूल और पूरक)	188.83	362276.84	362465.67
राजस्व	188.83	362276.84	362465.67
पूंजी

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	5.70	(क) 27066.69	(ख) 27072.39
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	0.02	(ग) 6317.89	(घ) 6317.91
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2.00	(ड) 10123.38	(च) 10125.38
2080-रक्षा सेवाएं-अनुसंधान और विकास	0.01	(झ) 0.01	(ञ) 0.02
जोड़ (राजस्व भाग)	7.73	43507.97	43515.70

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	...	(-1.70)	(-1.70)

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (₹ 0.20 करोड़); (ii) गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) (₹ 3 करोड़); और (iii) सेना के अधीन कार्यों (₹ 10 करोड़) के लिए ₹ 13.20 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के उसी खंड के अंतर्गत उपलब्ध ₹7.50 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में ₹5.70 करोड़ का निवल नकद व्यय शामिल होगा।
- (ख) सेना के अंतर्गत निम्नलिखित मदों पर ₹30,271.66 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना: (i) सेना कर्मी (आरक्षित सैनिकों सहित) (₹772.43 करोड़); (ii) परिवहन (₹462.32 करोड़); (iii) पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (₹6,140.80 करोड़); (iv) भंडार (₹3,655.26 करोड़); (v) निर्माण कार्य (₹795.48 करोड़); (vi) राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹191.76 करोड़); (vii) रंगरूटों के लिए वेतन एवं भत्ते (₹284.50 करोड़); (viii) स्पेक्ट्रम शुल्क (₹17,469.13 करोड़); और (ix) अन्य व्यय (₹499.98 करोड़)।

अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध ₹3,204.97 करोड़ की बचत, ₹828.12 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों और ₹1.70 करोड़ की अतिरिक्त वसूली को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के परिणामस्वरूप ₹26,236.87 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 13.20 crore towards (i) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (₹ 0.20 crore); (ii) Directorate General of Quality Assurance (DGQA) (₹ 3 crore); and (iii) Works (₹ 10 crore) under Army.
Taking into account the savings of ₹ 7.50 crore available within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 5.70 crore.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 30,271.66 crore towards (i) Army Personnel (including Reservists) (₹ 772.43 crore); (ii) Transportation (₹ 462.32 crore); (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (₹ 6,140.80 crore); (iv) Stores (₹ 3,655.26 crore); (v) Works (₹ 795.48 crore); (vi) National Cadet Corps (₹ 191.76 crore); (vii) Pay & Allowances for Recruits (₹ 284.50 crore); (viii) Spectrum Charges (₹ 17,469.13 crore); and (ix) Other Expenditure (₹ 499.98 crore) under Army.
Taking into account the savings of ₹ 3,204.97 crore, additional receipts of ₹ 828.12 crore and additional recovery of ₹ 1.70 crore available within the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 26,236.87 crore

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग)	नौसेना के अधीन संयुक्त स्टाफ के लिए 0.02 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।	(c)	meeting additional expenditure of ₹ 0.02 crore towards Joint Staff under Navy. The above expenditure will entail a cash outgo.
(घ)	परिवहन (21.70 करोड़ रुपये), मरम्मत एवं रखरखाव (50 करोड़ रुपये), निर्माण कार्य (10 करोड़ रुपये), संयुक्त कर्मचारी (213.56 करोड़ रुपये), स्पेक्ट्रम शुल्क (8,661.43 करोड़ रुपये) और अन्य व्यय (30.03 करोड़ रुपये) के लिए 8,986.72 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 2,668.83 करोड़ की बचत और ₹ 530 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में ₹ 5,787.89 करोड़ का निवल नकद व्यय शामिल होगा।	(d)	meeting additional expenditure of ₹ 8,986.72 crore towards (i) Transportation (₹ 21.70 crore); (ii) Repairs and Maintenance (₹ 50 crore); (iii) Works (₹ 10 crore); (iv) Joint Staff (₹ 213.56 crore); (v) Spectrum Charges (₹ 8,661.43 crore); and (vi) Other Expenditure (₹ 30.03 crore). Taking into account the savings of ₹ 2,668.83 crore and additional receipts of ₹ 530 crore available within the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 5,787.89 crore.
(ङ)	वायुसेना के अंतर्गत कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।	(e)	meeting additional expenditure of ₹ 2 crore towards Works under Air Force. The above expenditure will entail a cash outgo.
(च)	वायु सेना के अंतर्गत निम्नलिखित मदों पर अतिरिक्त व्यय के रूप में ₹10,811.53 करोड़ का भुगतान किया गया: (i) वायु सेना के नागरिक कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते (₹402.70 करोड़); (ii) परिवहन (₹25.43 करोड़); (iii) निर्माण कार्य (₹75.96 करोड़); (iv) भर्ती किए गए कर्मियों का वेतन एवं भत्ते (₹78 करोड़); (v) स्पेक्ट्रम शुल्क (₹10,000 करोड़); और (vi) अन्य व्यय (₹229.44 करोड़)। अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध ₹688.15 करोड़ की बचत और ₹725.38 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में ₹9,398 करोड़ का निवल नकद व्यय शामिल होगा।	(f)	meeting additional expenditure of ₹10,811.53 towards (i) Pay and Allowances for Air Force Civilians (₹ 402.70 crore); (ii) Transportation (₹ 25.43 crore); (iii) Works (₹ 75.96 crore); (iv) Pay and Allowances for Recruits (₹ 78 crore); (v) Spectrum Charges (₹ 10,000 crore); and (vi) Other Expenditure (₹ 229.44 crore) under Air Force. Taking into account the savings of ₹688.15 crore and additional receipts of ₹725.38 crore available within the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹9,398 crore.
(छ)	अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत कार्यों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय, ₹ 0.05 करोड़, को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(g)	meeting additional expenditure of ₹ 0.05 crore towards Works under Research and Development. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत (i) प्रशिक्षण (₹ 3 करोड़), (ii) भंडार (₹ 0.05 करोड़); और (iii) अन्य व्यय (₹ 10.45 करोड़) के लिए ₹ 13.50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(h)	meeting additional expenditure of ₹ 13.50 crore towards (i) Training (₹ 3 crore), (ii) Stores (₹ 0.05 crore); and (iii) Other Expenditure (₹ 10.45 crore) under Research and Development. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)
(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	103.70	179896.30	180000.00
जोड़	Total	103.70	179896.30	180000.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	474.19	4103.03	4577.22
जोड़	Total	474.19	4103.03	4577.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	33.61	1843.37	1876.98
जोड़	Total	33.61	1843.37	1876.98
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	611.50	185842.70	186454.20
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	611.50	185842.70	186454.20
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	33.61 (का)	1843.37 (खब)	1876.98

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भूमि (₹30.24 करोड़) और अन्य उपकरणों (₹3.37 करोड़) के लिए ₹33.61 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान संख्या 30-आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के पूंजी अनुभाग के तहत उपलब्ध ₹ 33.61 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (ख) निम्नलिखित मदों के लिए ₹ 10,241.32 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना: (i) गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक (डीजीक्यूए) के अधीन कार्य (₹ 10 करोड़); (ii) विमान और एयरो इंजन (₹ 9,873.14 करोड़); (iii) पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजनाएँ (₹ 30 करोड़); (iv) अनुसंधान और विकास (डीआरडीओ) के अधीन कार्य (₹ 256.18 करोड़) और (v) राष्ट्रीय राइफल्स (₹ 72 करोड़)।
इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 8,397.95 करोड़ की बचत और अनुदान संख्या 30-आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के पूंजी भाग के तहत उपलब्ध ₹ 1,843.37 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹33.61 crore towards Land (₹30.24 crore) and Other Equipments (₹3.37 crore).
Taking into account the savings of ₹ 33.61 crore available under Capital Section of Grant No. 30-Department of Economic Affairs (DEA), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 10,241.32 crore towards (i) Works (₹ 10 crore) under Director General of Quality Assurance (DGQA); (ii) Aircraft and Aero Engines (₹ 9,873.14 crore); (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Schemes (₹ 30 crore); (iv) Works (₹ 256.18 crore) under Research and Development (DRDO) and (v) Rashtriya Rifles (₹ 72 crore).
Taking into account the savings of ₹ 8,397.95 crore available in the same section of this grant, and savings of ₹ 1,843.37 crore available under Capital Section of Grant No. 30-Department of Economic Affairs (DEA), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 22

रक्षा पेंशन
DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)
(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.22	168793.78	168795.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.22	168793.78	168795.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.49	391.01	391.50
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.49	391.01	391.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.71	169184.79	169186.50
राजस्व	Revenue	1.71	169184.79	169186.50
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	0.49 (का)	391.01 (खब)	391.50

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:	The supplementary Grants/Appropriations are required for:
(क) सेना के अवकाश नकदीकरण लाभों के अंतर्गत पेंशन प्रभार (₹ 0.49 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।	(a) meeting additional expenditure towards Pensionary Charges (₹ 0.49 crore) under the Leave Encashment Benefits - Army. The above expenditure will entail a cash outgo.
(ख) सुपरएनुएशन पेंशन और रिटायरमेंट भत्ता - आर्मी के तहत पेंशन प्रभार (₹279.46 करोड़), रिवाइंड्स - आर्मी (₹7.30 करोड़), रिवाइंड्स - नेवी (₹1.11 करोड़), रिवाइंड्स - एयर फोर्स (₹1 करोड़) और लीव एनकैशमेंट बेनिफिट्स - एयर फोर्स के तहत पेंशन प्रभार (₹102.14 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय के लिए ₹391.01 करोड़ का नकद भुगतान करना होगा।	(b) meeting additional expenditure towards Pensionary Charges (₹279.46 crore) under the Superannuation Pension & Retirement Allowance - Army; Rewards - Army (₹ 7.30 crore); Rewards - Navy (₹ 1.11 crore); Rewards - Air Force (₹ 1 crore) and Pensionary Charges (₹ 102.14 crore) under the Leave Encashment benefits - Air Force. The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 391.01 crore.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)
(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	142695.30	142695.30
पूंजी	Capital	...	0.80	0.80
जोड़	Total	...	142696.10	142696.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	142696.14	142696.14
राजस्व	Revenue	...	142695.34	142695.34
पूंजी	Capital	...	0.80	0.80

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (कa)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| (क) | नवोदय विद्यालय समिति के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 218.43 करोड़) स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। | (a) | meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 218.43 Crore) under the Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ख) | अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अंतर खाता अंतरण (₹ 3000.00 करोड़) नवोदय विद्यालय समिति में प्रारंभिक शिक्षा कोष के लिए निधि अंतरण के अंतर्गत अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। | (b) | meeting additional expenditure towards Inter Account Transfers (₹ 3000.00 Crore) to Prarambhik Shiksha Kosh in Samagra Shiksha Scheme.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)
(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	3920.07	3920.07
पूंजी	...	136.00	136.00
जोड़	...	4056.07	4056.07
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	0.03	0.03
पूंजी	...	38.40	38.40
जोड़	...	38.43	38.43
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	16.85	16.85
पूंजी
जोड़	...	16.85	16.85
जोड़ (मूल और पूरक)	...	4111.35	4111.35
राजस्व	...	3936.95	3936.95
पूंजी	...	174.40	174.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	...	16.84	(क) 16.84
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	16.85	16.85

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants are required for:

(क)	राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफ) के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 16.84 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध ₹ 16.84 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	meeting additional expenditure towards Grants-In-Aid-General (₹ 16.84 Crore) under the "National Adaptation Fund (NAF)". Taking into account the savings of ₹ 16.84 crore available in the Capital section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ख)	प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत अनुदान सहायता (सामान्य अनुदान) के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 4.25 करोड़) को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(b)	meeting additional expenditure towards Grants-In-Aid-General (₹ 4.25 Crore) under the Control of Pollution As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

विदेश मंत्रालय
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)
(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	19519.74	19519.74
पूंजी	Capital	...	996.88	996.88
जोड़	Total	...	20516.62	20516.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1235.63	1235.63
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	1235.66	1235.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	21752.29	21752.29
राजस्व	Revenue	...	20755.38	20755.38
पूंजी	Capital	...	996.91	996.91

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विदेशों में दूतावासों और मिशनों के अंतर्गत नए मिशनों/पोस्टों के खुलने के कारण भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और करों की ओर अतिरिक्त व्यय (₹ 45.00 करोड़) को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Rent, Rates And Taxes For Land And Buildings (₹ 45.00 Crore) due to opening of new Missions/Posts abroad under the Embassies and Missions.
As savings are available in the same section of the Grant, a Token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 30

**आर्थिक कार्य विभाग
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)
(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	...	2987.75	2987.75
पूंजी	...	110884.50	110884.50
जोड़	...	113872.25	113872.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	...	1646.66	1646.66
पूंजी	...	4194.26	4194.26
जोड़	...	5840.92	5840.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	...	105491.44	105491.44
पूंजी	...	2.89	2.89
जोड़	...	105494.33	105494.33
जोड़ (मूल और पूरक)	...	225207.50	225207.50
राजस्व	...	110125.85	110125.85
पूंजी	...	115081.65	115081.65
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	...	101703.44	(क) 101703.44
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	...	3788.00	(ख) 3788.00
जोड़ (राजस्व भाग)	...	105491.44	105491.44
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(ग) 0.01
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	(घ) 0.01
5466-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	...	2.87	(ङ) 2.87
जोड़ (पूंजी भाग)	...	2.89	2.89
जोड़ (पूरक)	...	105494.33	105494.33

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:
(क) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) स्वर्ण आरक्षित निधि- स्वर्ण बॉन्ड स्कीम, 2015 के लिए अंतर खाता अंतरण (₹ 1703.44 करोड़), (ii) आर्थिक स्थिरीकरण निधि के तहत अंतर खाता अंतरण (₹100,000 करोड़)। अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध ₹42618.16 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त में ₹59085.28 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(a) meeting additional expenditure towards (i) Inter Account Transfers (₹ 1703.44 Crore) to Gold Reserve Fund- Sovereign Gold Bond Scheme, 2015 (ii) Inter Account Transfers (₹100,000 Crore) under the Economic Stabilization Fund Taking into account savings of ₹ 42618.16 crore available in the Capital section of the Grant, the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 59085.28 crore.
(ख) भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के तहत लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण सहायता के तहत सब्सिडी (₹3788.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय में ₹ 3788.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(b) meeting additional expenditure towards Subsidies (₹ 3788.00 Crore) under the Interest Equalization Support For Lines Of Credit Under Indian Development And Economic Assistance Scheme (IDEAS) The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 3788.00 crore.
(ग) सचिवालय-सामान्य सेवाओं के तहत मोटर वाहनों (0.08 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c) meeting additional expenditure towards Motor Vehicles (₹ 0.08 Crore) under the Secretariat -General Services. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा प्रौद्योगिकी के तहत (i) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹ 1631.00 करोड़), (ii) स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण निधि में अंतरण के तहत अंतर खाता अंतरण (₹ 1631.00 करोड़), (iii) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष प्रौद्योगिकी में अंतरण के तहत अंतर खाता अंतरण (₹ 30000.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(d) meeting additional expenditure towards (i) Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 1631.00 Crore) under Technology In National Security, (ii) Inter Account Transfers (₹ 1631.00 Crore) under Transfer To Health Security Se National Security Cess Fund, (iii) Inter Account Transfers (₹ 30000.00 Crore) under Transfer To Technology In National Security Fund (TNSF). Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ) अंतरराष्ट्रीय विकास संघ में अभिदान के अंतर्गत अंशदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 2.87 करोड़)। ₹2.87 करोड़ रुपये की समतुल्य प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।	(e) meeting additional expenditure towards Subscription (₹ 2.87 Crore) under the Subscription To International Development Association. Taking into account the equivalent receipts of ₹ 2.87 crore, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 32

वित्तीय सेवाएं विभाग
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)
(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	...	1620.01	1620.01
पूंजी	...	68.14	68.14
जोड़	...	1688.15	1688.15
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	...	521.83	521.83
पूंजी
जोड़	...	521.83	521.83
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	...	0.01	0.01
पूंजी	...	3005.50	3005.50
जोड़	...	3005.51	3005.51
जोड़ (मूल और पूरक)	...	5215.49	5215.49
राजस्व	...	2141.85	2141.85
पूंजी	...	3073.64	3073.64
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)		
	भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	...	0.01 (क)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.50 (ख)	5.50
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	3000.00 (ग)	3000.00
जोड़ (पूंजी भाग)	...	3005.50	3005.50
जोड़ (पूरक)	...	3005.51	3005.51

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:
(क) राष्ट्रीय आवासीय बैंक (एनएचबी) को यूएसएआईडी आवासीय गारंटी कार्यक्रम (₹ 73.91 करोड़) के तहत विनिमय परिवर्तन हेतु भुगतान करने में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(a) meeting additional expenditure for payment to National Housing Bank (NHB) on account of exchange loss on borrowing under the USAID Housing Guarantee Programme (₹ 73.91 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token supplementary is sought.
(ख) सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण लैन और संरचना के उन्नयन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5.50 करोड़) अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा	(b) meeting additional expenditure of ₹5.50 crore under Object Head 'Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment' for upgradation of LAN infrastructure. Taking into account savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.
(ग) भारत के लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए निवेश (₹ 3000.00 करोड़) उपरोक्त व्यय में ₹ 3000.00 करोड़ नकद व्यय शामिल होगा।	(c) meeting additional expenditure of ₹ 3000.00 crore towards infusion of equity support to Small Industries Development Bank of India (SIDBI). The above expenditure will entail cash outgo of ₹ 3000.00 crore.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 36

प्रत्यक्ष कर
DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)
(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारत Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	9473.29	9473.29
पूंजी	Capital	...	1427.16	1427.16
जोड़	Total	...	10900.45	10900.45
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1192.23	1192.23
पूंजी	Capital	...	639.40	639.40
जोड़	Total	...	1831.63	1831.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	12732.09	12732.09
राजस्व	Revenue	...	10665.53	10665.53
पूंजी	Capital	...	2066.56	2066.56

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		<i>भारत Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण	2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डिजिटल उपकरण (₹ 15.00 करोड़), ईंधन और स्नेहक (₹ 10.00 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 30.00 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹ 25.00 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 32.00 करोड़), व्यावसायिक सेवाओं (₹ 30.00 करोड़), छुट्टी यात्रा रियायत (₹ 5 करोड़), भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और कर (₹ 288.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

पहली एसडीजी के माध्यम से वृद्धि अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Digital Equipment (₹ 15.00 Crore), Fuels And Lubricants (₹ 10.00 Crore), Office Expenses (₹ 30.00 Crore), Medical Treatment (₹ 25.00 Crore), Domestic Travel Expenses (₹ 32.00 Crore), Professional Services (₹ 30.00 Crore), Leave Travel Concession (₹ 5.00 Crore), Rent, Rates And Taxes For Land And Buildings (₹ 288.00 Crore).

As savings are available in the same section of the Grant as augmented through 1st SDG, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 41

**पेंशन
PENSIONS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)
(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	500.00	97686.00	98186.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	500.00	97686.00	98186.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	70.00	0.01	70.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	70.00	0.01	70.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	570.00	97686.01	98256.01
राजस्व	Revenue	570.00	97686.01	98256.01
पूंजी	Capital
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	70.00 (का)	0.01 (खb)	70.01

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) साधारण पेंशन के अंतर्गत पेंशन शुल्क (₹55 करोड़), ग्रेच्युटी के अंतर्गत पेंशन शुल्क (₹3 करोड़), नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी अंशदान के अंतर्गत पेंशन शुल्क (₹1.80 करोड़), व्यक्तिगत कोष के लिए एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी अंशदान के अंतर्गत पेंशन शुल्क (₹0.20 करोड़) और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में राज्य सरकार से वसूल किए जाने वाले पेंशन शुल्क (₹10 करोड़) के लिए ₹70 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।</p> <p>अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध 70 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा</p> | <p>(a) meeting additional expenditure of ₹70 crore towards Pensionary Charges (₹55 crore) under the Ordinary Pensions; Pensionary Charges (₹ 3 crore) under Gratuity; Pensionary Charges (₹1.80 crore) towards Government Contribution under New Pension Scheme; Pensionary Charges (₹ 0.20 crore) towards Government Contribution under Unified Pension Scheme for Individual Corpus and Pensionary Charges (₹ 10 crore), in respect of High Court Judges recoverable from State Government(s).</p> <p>Taking into account the savings of ₹ 70 crore available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
| <p>(ख) साधारण पेंशन के अंतर्गत पेंशन शुल्क (300 करोड़ रुपये), संसद सदस्यों के लिए पेंशन शुल्क (35 करोड़ रुपये), नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी अंशदान के लिए पेंशन शुल्क (1165 करोड़ रुपये) और व्यक्तिगत कोष के लिए एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी अंशदान के लिए पेंशन शुल्क (150 करोड़ रुपये) सहित 1650 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(b) meeting additional expenditure of ₹1650 crore towards Pensionary Charges (₹300 crore) under the Ordinary Pensions; Pensionary Charges (₹35 crore) in respect of Members of Parliament; Pensionary Charges (₹1165 crore) towards Government Contribution under New Pension scheme; and Pensionary Charges (₹150 crore) towards Government Contribution under Unified Pension Scheme for Individual Corpus.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 42

राज्यों को अंतरण
TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)
(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	132767.00	45440.01	178207.01
पूंजी	Capital	192830.00	...	192830.00
जोड़	Total	325597.00	45440.01	371037.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	30116.80	4115.01	34231.81
पूंजी	Capital	4354.01	...	4354.01
जोड़	Total	34470.81	4115.01	38585.82
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	360067.81	49555.02	409622.83
राजस्व	Revenue	162883.80	49555.02	212438.82
पूंजी	Capital	197184.01	...	197184.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01	(क) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	30116.80	(ख) 4115.00	(ग) 34231.80
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	30116.80	4115.01	34231.81
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	0.01	(घ) ...	0.01
7602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	7602-Loans and Advances to Union Territory Governments	4354.00	(ङ) ...	4354.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	4354.01	...	4354.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	34470.81	4115.01	38585.82

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)699.00	(-)699.00

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants/Appropriations are required for:			
(क) 'राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष' में अंतरण के तहत अंतर खाता अंतरण (₹2028 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) meeting additional expenditure towards Inter Account Transfers (₹2028 crore) under transfer to 'National Disaster Mitigation Fund'. Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.			
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।				
(ख) निम्नलिखित अनुदानों के अंतर्गत सामान्य अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना: (i) ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान (₹5741 करोड़), (ii) शहरी स्थानीय निकाय अनुदान (₹6000 करोड़), (iii) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि अनुदान (₹2681.60 करोड़), (iv) राज्य आपदा शमन निधि अनुदान (₹3864.20 करोड़), (v) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए नैदानिक अवसंरचना के लिए सहायता (₹3830 करोड़), (vi) शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (शहरी क्षेत्रों के लिए) (₹2000 करोड़), (vii) भवन रहित उपकेंद्र, पीएचसी, सीएचसी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) (₹6000 करोड़) और (viii) साझा नगरपालिका सेवाएं (₹225 करोड़)।	(b) meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid-General under (i) Rural Local Bodies Grants (₹5741 crore), (ii) Urban Local Bodies Grants (₹6000 crore), (iii) State Disaster Response Fund Grants (₹2681.60 crore), (iv) State Disaster Mitigation Fund Grants (₹3864.20 crore), (v) Support for Diagnostic Infrastructure to the Primary Healthcare Facilities (₹3830 crore), (vi) Urban Health And Wellness Centres (For Urban) (₹2000 crore), (vii) Building-Less Sub Centres, PHCs, CHCs (For Rural) (₹6000 crore) and (viii) Shared Municipal Services (₹225 crore). Taking into account the savings of ₹225 crore available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹30116.80 crore.			
अनुदान के इसी खंड के अंतर्गत उपलब्ध ₹225 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹30116.80 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।				

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग)	<p>बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ब्लॉक ऋण सहित बैंक-टू-बैंक ऋण) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2957 करोड़), सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता - कार्यक्रम घटक (₹699 करोड़) और 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण कोष' में अंतरण के तहत अंतर खाता अंतरण (₹699 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹240 करोड़ की बचत और ₹699.00 करोड़ की बसूली को ध्यान में रखते हुए, ऊपर दिए गए खर्च से ₹3416 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।</p>	(c)	<p>meeting additional expenditure towards Grants for creation of capital assets under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Back-to-Back Loans including Block Loans) (₹2957 crore), Assistance to States for Public Health Infrastructure - Programme Component (₹699 crore) and Inter Account Transfers under transfer to 'Health Security Se National Security Cess Fund' (₹699 crore).</p> <p>Taking into account the savings of ₹ 240 crore available in the same section of the grant and recoveries of ₹ 699.00 crore., the above expenditure will entail additional cash outgo of ₹ 3416 crore.</p>
(घ)	<p>बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता (ब्लॉक ऋण) (₹395 करोड़) और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (बैंक-टू-बैंक ऋण) (₹4059 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p>	(d)	<p>Assistance for Externally Aided Projects (Block Loan) (₹395 crore) and Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Back-to-Back loans) (₹4059 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p>
(ङ)	<p>संघ राज्य क्षेत्रों को पूंजी निवेश हेतु ऋण के रूप में विशेष सहायता योजना के तहत ऋण और अग्रिमों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹6000 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹1646 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, इससे ₹4354 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।</p>	(e)	<p>meeting additional expenditure towards Loans and Advances under the Scheme for Special Assistance as Loan to Union Territories with Legislature for Capital Investment (₹6000 crore).</p> <p>Taking into account the savings of ₹1646 crore available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹4354 crore.</p>

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 43

मत्स्यपालन विभाग
DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)
(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2681.05	2681.05
पूंजी	Capital	...	22.62	22.62
जोड़	Total	...	2703.67	2703.67
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2703.69	2703.69
राजस्व	Revenue	...	2681.07	2681.07
पूंजी	Capital	...	22.62	22.62
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2405-मत्स्यपालन	2405-Fisheries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत पोत संचार एवं सहायता प्रणाली के राष्ट्रीय कार्यान्वयन हेतु सामान्य अनुदान (₹13 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-Aid General for National Rollout of the Vessel Communication & Support System under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) (₹ 13 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44

पशुपालन और डेयरी विभाग
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)
(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4469.45	4469.45
पूंजी	Capital	...	585.95	585.95
जोड़	Total	...	5055.40	5055.40
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	361.12	361.12
पूंजी	Capital	...	66.32	66.32
जोड़	Total	...	427.44	427.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5482.85	5482.85
राजस्व	Revenue	...	4830.58	4830.58
पूंजी	Capital	...	652.27	652.27

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (60 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-Aid General under National Livestock Mission (₹ 60 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)
(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	119435.36	119435.36
पूंजी	Capital	...	3624.44	3624.44
जोड़	Total	...	123059.80	123059.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	10721.89	10721.89
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	10721.89	10721.89
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	133781.71	133781.71
राजस्व	Revenue	...	130157.27	130157.27
पूंजी	Capital	...	3624.44	3624.44

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)

		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	(का) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	10721.88	(खब) 10721.88
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	10721.89	10721.89

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)10721.88	(-)10721.88

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) (i) नए एम्स की स्थापना व्यय के अंतर्गत पूंजीगत अस्तित्वाओं के सृजन के लिए अनुदान (₹ 25.00 करोड़), (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल विभाग (एनसीडीसी) की शाखाओं की स्थापना और सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य पहलों के अंतर्गत अन्य मदों के लिए किराया (₹ 0.02 करोड़), जूनोटिक रोगों और अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की तैयारी और नियंत्रण के लिए अंतरक्षेत्रीय समन्वय, वायरल हेपेटाइटिस और रोगाणुरोधी प्रतिरोध की निगरानी, और (iii) आघात एवं जलने की चोट की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीएमटीएंडबीआई) के अंतर्गत अन्य मदों के लिए किराया (₹ 0.025 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) में अंतर खाता अंतरण (₹ 11626.88 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना, ताकि आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीले पूल के तहत व्यय को पूरा किया जा सके।

अनुदान के उसी खंड के अंतर्गत उपलब्ध बचत और ₹10721.88 करोड़ की वसूली को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जा रहा है। उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 25.00 Crore) under the Establishment Expenditure of New AIIMS, (ii) Rent for Others (₹ 0.02 Crore) under Establishment and strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives Inter Sectoral coordination for preparation and control of Zoonotic Diseases and other neglected tropical diseases surveillance of Viral Hepatitis Anti Microbial Resistance & (iii) Rent for Others (₹ 0.025 Crore) under the National Programme for Prevention and Management of Trauma & Burn Injury (NPPMT&BI)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure towards Inter Account Transfers (₹ 11626.88 Crore) to Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN) to meet expenditure under Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and National Urban Health Mission.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant and the recoveries of ₹ 10721.88 crore, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48

भारी उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)
(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	...	7178.23	7178.23
पूंजी	...	502.00	502.00
जोड़	...	7680.23	7680.23
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	...	0.01	0.01
पूंजी
जोड़	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	...	0.01	0.01
पूंजी	...	0.54	0.54
जोड़	...	0.55	0.55
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		
राजस्व	...	7178.25	7178.25
पूंजी	...	502.54	502.54

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2852-उद्योग	...	0.01 (क)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4858-अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01 (ख)	0.01
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.53 (ग)	0.53
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		
	...	0.54	0.54
	...	0.55	0.55

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants are required for:

- (क) भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन के तेजी से अपनाए और निर्माण के लिए योजना के तहत (i) पेशेवर सेवाओं (₹2.50 करोड़), सब्सिडी (₹13.17 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए -(एफ एम ई-इंडिया)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) ई-बस सेवा योजना के तहत अन्य पूंजीगत व्यय (500.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। उपरोक्त अनुमानों में नई सेवा पर व्यय शामिल है। अन्य पूंजीगत व्यय के लिए मुख्य शीर्ष 4858 में भारत की आकस्मिक निधि से ₹ 500.00 करोड़ की राशि अग्रिम की गई है और निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समकक्ष राशि की आवश्यकता है। उपरोक्त के लिए, अनुदान के इसी भाग से ₹ 500.00 करोड़ की राशि पूरी की जा सकती है (सांकेतिक पूरक)।
- (ग) (i) सचिवालय -आर्थिक सेवाएं के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.17 करोड़), सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹ 0.23 करोड़), फर्नीचर व फिक्सचर (₹ 0.13 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 0.53 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

- (a) meeting additional expenditure towards (i) Professional Services (₹ 2.50 Crore), Subsidies (₹ 13.17 Crore) under the Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicle in India - (FAME - India).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards Other Capital Expenditure (₹ 500.00 Crore) under the Payment Security Mechanism(PSM) e-Bus Sewa scheme.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. The above estimates include expenditure on New Service. A sum of ₹ 500.00 Crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 4858 for Other Capital Expenditure and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to the Fund. For the above, amount of ₹ 500.00 Crore can be met from the same section of the Grant (Token Supplementary)
- (c) meeting additional expenditure towards (i) Machinery and Equipment (₹ 0.17 Crore), Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 0.23 Crore), Furniture & Fixtures (₹ 0.13 Crore) under the Secretariat-Economic Services
Taking into account the savings of ₹ 0.53 crore available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 49

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)
(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4161.22	4161.22
पूंजी	Capital	...	395.97	395.97
जोड़	Total	...	4557.19	4557.19
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2719.84	2719.84
पूंजी	Capital	...	20.00	20.00
जोड़	Total	...	2739.84	2739.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	310.17	310.17
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	310.18	310.18
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7607.21	7607.21
राजस्व	Revenue	...	7191.23	7191.23
पूंजी	Capital	...	415.98	415.98

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	97.49	(क) 97.49	97.49
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	5.78	(ख) 5.78	5.78
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	103.92	(ग) 103.92	103.92
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	26.76	(घ) 26.76	26.76
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	1.00	(ङ) 1.00	1.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	73.99	(च) 73.99	73.99
3602-संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	1.23	(छ) 1.23	1.23
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	310.17		310.17
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	(ज) 0.01	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	310.18		310.18

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए : (i) प्रशासनिक अनुभाग, गृह मंत्रालय के तहत कार्यालय व्यय (₹5.00 करोड़), अन्य के लिए किराया (₹1.70 करोड़) और घरेलू यात्रा व्यय (₹1.15 करोड़), (ii) एनडीसी और एसएआई को, किराया, दर और कर (₹84.00 करोड़) (iii) विज्ञापन और प्रचार (₹3.34 करोड़), (iv) मरम्मत और रखरखाव (₹1.30 करोड़), (v) पुरस्कार और उपहार (₹1.00 करोड़), (vi) विभागीय लेखा संगठन (गृह मंत्रालय) हेतु अन्य के लिए किराया (₹0.16 करोड़)।

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध ₹6.79 करोड़ की बचत और अनुदान के उसी अनुभाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में ₹90.70 करोड़ का निवल नकद व्यय शामिल होगा।

(ख) निम्नलिखित मदों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना: (i) अन्य राजस्व व्यय (₹ 5.78 करोड़), (ii) पूर्वोत्तर प्रभाग के लिए व्यावसायिक सेवाएं (₹0.05 करोड़)।

अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में ₹ 5.78 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards: (i) Office Expenses (₹ 5.00 crore), Rent for Others (₹ 1.70 crore) and Domestic Travel Expenses (₹ 1.15 Crore) under Admin Section MHA, (ii) Rent, Rates and Taxes (₹ 84.00 crore) to NDCC and SAI, (iii) Advertisement & Publicity (₹ 3.34 crore), (iv) Repair & Maintenance (₹ 1.30 crore), (v) Awards and Prizes (₹ 1.00 crore), (vi) Rent for others (Rs 0.16 Crore) for Departmental Accounting Organization (MHA).

Taking into account the savings of ₹6.79 crore available in the Capital Section of the grant and savings available in the same section of the grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 90.70 crore.

(b) meeting additional expenditure towards: (i) Other Revenue Expenditure (₹ 5.78 crore), (ii) Professional Services (₹ 0 .05 crore) towards NE Division.

Taking into account the savings available in the same section of the grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 5.78 crore.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग)	<p>निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना: (i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत योगदान (₹ 49.99 करोड़), (ii) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के तहत घरेलू यात्रा व्यय (₹ 35.00 करोड़), किराया, दर और कर (₹ 5.13 करोड़), सामग्री और आपूर्ति (₹ 7.00 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹ 3.30 करोड़), लघु नागरिक और विद्युत कार्य (₹ 1.50 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹ 2.00 करोड़) (iii) आपदा प्रबंधन परियोजनाओं (डीएम प्रभाग) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.41 करोड़)।</p> <p>अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध ₹3.50 करोड़ की बचत और अनुदान के उसी अनुभाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में ₹ 100.42 करोड़ का निवल नकद व्यय शामिल होगा।</p>	(c)	<p>meeting additional expenditure towards: (i) Contribution (₹ 49.99 crore) under the National Disaster Management Programme, (ii) Domestic Travel Expenses (₹ 35.00 crore), Rent, Rates and Taxes (₹ 5.13 crore), Materials and Supplies (₹ 7.00 crore), Other Revenue Expenditure (₹ 3.30 crore), Minor Civil and Electrical Works (₹ 1.50 crore) and Office Expense (₹ 2.00 crore) under National Disaster Response Force (NDRF), (iii) Grants in aid General (₹ 0.41 crore) under Disaster Management Projects (DM Division).</p> <p>Taking into account the savings of ₹ 3.50 crore available in the Capital Section of the grant and savings available in the same section of the grant, the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 100.42 crore.</p>
(घ)	<p>पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलिकाप्टर सेवा भुगतान के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 26.76 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।</p> <p>उपरोक्त व्यय के लिए ₹26.76 करोड़ का नकद भुगतान करना होगा।</p>	(d)	<p>meeting additional expenditure towards: Subsidies (₹ 26.76 crore) under the Payment for Helicopter Services in NE Region.</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 26.76 crore.</p>
(ङ)	<p>आरजी एंड सीसीआई के कार्यालय के लिए अधीक्षण के तहत किराए, दरों और करों (₹1.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।</p> <p>उपरोक्त खर्च से ₹ 1.00 करोड़ नकद का भुगतान करना पड़ेगा।</p>	(e)	<p>meeting additional expenditure towards: Rent, Rates and Taxes (₹ 1.00 crore) under the Superintendence for Office of RG&CCI.</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1.00 crore.</p>
(च)	<p>निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना: (i) होम गार्ड्स के तहत अनुदान-सहायता-सामान्य (₹ 49.99 करोड़), (ii) नागरिक सुरक्षा के तहत अनुदान-सहायता-सामान्य (₹ 14.00 करोड़), (iii) बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी), कार्बी आंगलॉंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) और उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) के लिए प्रशासनिक अवसंरचना के विकास के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।</p> <p>उपरोक्त व्यय के लिए ₹73.99 करोड़ का नकद भुगतान करना होगा।</p>	(f)	<p>meeting additional expenditure towards: (i) Grants-In-Aid-General (₹ 49.99 crore) under Home Guards, (ii) Grants-In-Aid-General (₹ 14.00 crore) under Civil Defence, (iii) Grants For Creation Of Capital Assets (₹10.00 crore) under the Development Of Administrative Infrastructure For Bodoland Territorial Council (BTC), Karbi Anglong Autonomous Council (KAAC) and North Cachar Hills Autonomous Council (NCHAC).</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 73.99 crore.</p>
(छ)	<p>अन्य प्रशासनिक अनुदानों के अंतर्गत सब्सिडी पर होने वाले अतिरिक्त व्यय (₹ 1.23 करोड़) को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग ग्रह मंत्रालय अनुदान सहायता सामान्य के तहत आपदा प्रबंधन विभाग में अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं (ओडीएमपी) के लिए एक टोकन पूरक मांगा गया है (₹ 0.12 करोड़)।</p> <p>अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध ₹1.23 करोड़ की बचत और अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।</p>	(g)	<p>meeting additional expenditure towards: (i) Subsidies (₹ 1.23 crore) under the Other Administrative Grants for Helicopter Services Jammu, Kashmir & Ladakh Division MHA; (ii) Grant in Aid General (₹ 0.12 crore) for Other Disaster Management Projects (ODMP) under DM division.</p> <p>Taking into account the savings of ₹ 1.23 crore available in the Capital section of the grant and savings available in the same section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>
(ज)	<p>निम्नलिखित मदों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु: (i) गृह मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन के लिए फर्नीचर और फिक्स्चर (₹ 0.01 करोड़), अन्य अचल आस्तियों (₹ 0.01 करोड़); (ii) गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (सीएचटीआई) के लिए मोटर वाहन (₹ 0.10 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p>	(h)	<p>meeting additional expenditure towards: (i) Furniture & Fixtures (₹ 0.01 crore), Other Fixed Assets (₹ 0.01 crore) for Departmental Accounting Organization, MHA; (ii) Motor Vehicles (₹ 0.10 crore) for Central Hindi Training Institute (CHTI) under Department of Official Language, MHA.</p> <p>As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p>

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 51

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)
(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	9.04	144857.12	144866.16
पूंजी	7.07	16572.14	16579.21
जोड़	16.11	161429.26	161445.37
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	9.04	144857.12	144866.16
Capital	7.07	16572.14	16579.21
Total	16.11	161429.26	161445.37
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	400.00	400.00
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	...	400.01	400.01
SUPPLEMENTARY GRANT:			
Revenue	...	400.00	400.00
Capital	...	0.01	0.01
Total	...	400.01	400.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	8.83	1711.00	1719.83
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	8.83	1711.01	1719.84
Total (Original plus Supplementary)	24.94	163540.28	163565.22
राजस्व	17.87	146968.12	146985.99
पूंजी	7.07	16572.16	16579.23
Supplementary Estimate of the amount now required:			
Revenue	8.83	1711.00	1719.83
Capital	...	0.01	0.01
Total	8.83	1711.01	1719.84
Total (Original plus Supplementary)	24.94	163540.28	163565.22
Revenue	17.87	146968.12	146985.99
Capital	7.07	16572.16	16579.23
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:			
	भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2055-पुलिस	8.83	(का) 1583.56	(खb) 1592.39
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	27.44	(गc) 27.44
3602-संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	100.00	(घd) 100.00
जोड़ (राजस्व भाग)	8.83	1711.00	1719.83
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिस्यय	...	0.01	(डe) 0.01
जोड़ (पूरक)	8.83	1711.01	1719.84

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अतिरिक्त व्यय के लिए निम्नलिखित मदों को पूरा करना: अन्य राजस्व व्यय - (i) सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय (₹ 0.30 करोड़), (ii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (₹ 8.03 करोड़) और (iii) दिल्ली पुलिस का निर्देशन और प्रशासन (₹ 0.50 करोड़)।

(ख) उपरोक्त व्यय के लिए ₹ 8.83 करोड़ का नकद भुगतान करना होगा। निम्नलिखित मदों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु: (i) सशस्त्र सीमा बल (₹ 150.00 करोड़), (ii) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (₹ 128.59 करोड़), (iii) सीमा सुरक्षा बल (₹ 7.01 करोड़), (iv) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (₹ 40.85 करोड़), (v) खुफिया ब्यूरो (₹ 6.83 करोड़), (vi) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (₹ 2.00 करोड़), (vii) राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (₹ 0.30 करोड़), (viii) केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (₹ 0.26 करोड़), (ix) समन्वय पुलिस वायरलेस निदेशालय (₹ 0.20 करोड़), और (x) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (₹ 0.10 करोड़); अन्य राजस्व व्यय (i) अनुसंधान (₹ 175.00 करोड़), (ii) बीएसएफ (एयर कूरियर) (₹ 40.00 करोड़), (iii) आईवीएफआरटी (₹ 32.60 करोड़), (iv) आर एंड डब्ल्यू-केपीकेबी (₹ 31.00 करोड़), (v) जेकेएल (₹ 6.00 करोड़), (vi) एसएसबी (₹ 2.48 करोड़), (vii) एसएसबी (विशेष आहार) (₹ 0.71 करोड़), (viii) एसएसबी (एसएपी) (₹ 1.00 करोड़), (ix) ईआरएसएस (₹ 2.21 करोड़), (x) बीएसएफ (₹ 3.00 करोड़), (xi) आईबी (₹ 0.55 करोड़), (xii) सीआरपीएफ (₹ 0.50 करोड़), (xiii) एनएसजी (₹ 0.30 करोड़), (xiv) डीसीपीडब्ल्यू (₹ 0.30 करोड़), (xv) सीआईएसएफ (क्रेच) (₹ 0.12 करोड़), (xvi) सीआईएसएफ (विशेष आहार) (₹ 2.00 करोड़); चिकित्सा उपचार (i) आयुष्मान सीएपीएफ (₹ 150.00 करोड़), (ii) दिल्ली पुलिस (₹ 18.23 करोड़), (iii) विशेष सुरक्षा समूह (₹ 1.50 करोड़), (iv) केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (₹ 0.11 करोड़), (v) सीएपीटी (₹ 0.10 करोड़); (i) सीमा सुरक्षा बल (₹ 53.91 करोड़), (ii) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (₹ 35.00 करोड़), (iii) सीआरपीएफ (मॉड) (₹ 4.70 करोड़), (iv) दिल्ली पुलिस (₹ 30.00 करोड़), (v) असम राइफल्स (₹ 10.00 करोड़), (vi) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (₹ 5.00 करोड़), (vii) सशस्त्र सीमा बल (₹ 5.00 करोड़), (viii) एसएसबी

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure towards: Other Revenue Expenditure - (i) Directorate General of Border Security Force (₹ 0.30 crore), (ii) Indo-Tibetan Border Police (₹ 8.03 crore) and (iii) Direction and Administration of Delhi Police (₹ 0.50 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 8.83 crore.
(b) meeting additional expenditure towards: Domestic Travel Expenses under (i) Sashastra Seema Bal (₹ 150.00 crore), (ii) Central Industrial Security Force (₹ 128.59 crore), (iii) Border Security Force (₹ 7.01 crore), (iv) Indo-Tibetan Border Police (₹ 40.85 crore), (v) Intelligence Bureau (₹ 6.83 crore), (vi) Narcotics Control Bureau (₹ 2.00 crore), (vii) National Intelligence Grid (₹ 0.30 crore), (viii) Central Forensic Science Laboratory (₹ 0.26 crore), (ix) Directorate of Coordination Police Wireless (₹ 0.20 crore), and (x) National Crime Records Bureau (₹ 0.10 crore); Other Revenue Expenditure under (i) Research (₹ 175.00 crore), (ii) BSF (air courier) (₹ 40.00 crore), (iii) IVFRT (₹ 32.60 crore), (iv) R&W-KPKB (₹ 31.00 crore), (v) JKL (₹ 6.00 crore), (vi) SSB (₹ 2.48 crore), (vii) SSB (special diet) (₹ 0.71 crore), (viii) SSB (SAP) (₹ 1.00 crore), (ix) ERSS (₹ 2.21 crore), (x) BSF (₹ 3.00 crore), (xi) IB (₹ 0.55 crore), (xii) CRPF (₹ 0.50 crore), (xiii) NSG (₹ 0.30 crore), (xiv) DCPW (₹ 0.30 crore), (xv) CISF (creche) (₹ 0.12 crore), (xvi) CISF (Special diet) (₹ 2.00 crore); Medical Treatment for (i) Ayushman CAPF (₹ 150.00 crore), (ii) Delhi Police (₹ 18.23 crore), (iii) Special Protection Group (₹ 1.50 crore), (iv) Central Forensic Science Laboratory (₹ 0.11 crore), (v) CAPT (₹ 0.10 crore); Material & Supplies under (i) Border Security Force (₹ 53.91 crore), (ii) Central Reserve Police Force (₹ 35.00 crore), (iii) CRPF

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(मॉड) (₹ 2.92 करोड़), (ix) टीएसयू (₹ 5.00 करोड़), (x) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (₹ 2.00 करोड़), (xi) बीएसएफ (वायु विंग) (₹ 1.00 करोड़), (xii) उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (₹ 0.36 करोड़), (xiii) कैप्टन (₹ 0.10 करोड़); (xiv) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (₹ 1.80 करोड़); (i) राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (₹ 8.81 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (₹ 2.00 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान; (i) दिल्ली पुलिस (₹ 84.10 करोड़) के लिए अन्य का किराया, (ii) बीएसएफ (₹ 10.00 करोड़), (iii) सीआईएसएफ (₹ 1.55 करोड़), (iv) नेटग्रिड (₹ 0.13 करोड़); (i) दिल्ली पुलिस (₹ 35.00 करोड़), (ii) सशस्त्र सीमा बल (₹ 13.18 करोड़), (iii) सीआरपीएफ (₹ 6.00 करोड़), (iv) असम राइफलस (₹ 5.00 करोड़), (v) एनएसजी - ₹ 5.00 करोड़, (vi) आईबी (₹ 4.79 करोड़), (vii) आईटीबीपी (₹ 3.13 करोड़), (viii) आईटीबीपी (भर्ती) (₹ 0.86 करोड़), (ix) बीएसएफ (₹ 2.00 करोड़), (x) एनसीबी (₹ 1.10 करोड़), (xi) डीसीपीडब्ल्यू (₹ 0.71 करोड़), (xii) बीएसएफ/भर्ती (₹ 0.65 करोड़), (xiii) सीआईएसएफ (₹ 1.00 करोड़), (xiv) ई-गवर्नेंस/आईटी (₹ 15) सशस्त्र सीमा बल (₹ 0.19 करोड़), (15) कैप्टन (₹ 0.50 करोड़), (16) दिल्ली पुलिस (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ) (₹ 0.50 करोड़), (17) बीपीआर एवं डी (₹ 0.11 करोड़), (18) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (₹ 7.00 करोड़); (i) सशस्त्र सीमा बल (₹ 5.75 करोड़), (ii) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (₹ 5.00 करोड़), (iii) सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (₹ 0.11 करोड़) के अंतर्गत राशन की लागत; सामान्य अनुदान सहायता के अंतर्गत (i) कल्याण अनुदान (₹ 20.00 करोड़), (ii) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (₹ 13.00 करोड़), (iii) राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (₹ 10.00 करोड़), (iv) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (₹ 0.39 करोड़), (v) मानव तत्करी विरोधी / निर्भया कोष (₹ 0.23 करोड़); ईंधन और स्नेहक (i) सीमा सुरक्षा बल (₹ 15.00 करोड़), (ii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (₹ 15.00 करोड़), (iii) सशस्त्र सीमा बल (₹ 12.02 करोड़), (iv) दिल्ली पुलिस (₹ 10.00 करोड़), (v) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (₹ 5.00 करोड़), (vi) जम्मू और कश्मीर पुलिस (₹ 4.45 करोड़), (vii) खुफिया ब्यूरो (₹ 1.58 करोड़), (viii) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (₹ 0.20 करोड़) के अंतर्गत; (i) एनएसजी (₹ 48.10 करोड़), (ii) बीएसएफ (₹ 1.02 करोड़), (iii) सीआरपीएफ (₹ 1.00 करोड़), (iv) एनपीए (₹ 0.52 करोड़), (v) एसएसबी (₹ 0.49 करोड़), (vi) आईटीबीपी (₹ 0.30 करोड़), (vii) सीआईएसएफ (₹ 0.24 करोड़), (viii) सीडीटीएस (₹ 0.25 करोड़) के अंतर्गत प्रशिक्षण व्यय; (i) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (₹ 10.40 करोड़), (ii) आईटीबीपी (आधुनिकीकरण) (₹ 0.01 करोड़), (iii) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (₹ 9.83 करोड़), (iv) असम राइफलस (₹ 7.00 करोड़), (v) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (₹ 5.00 करोड़), (vi) विशेष सुरक्षा समूह (₹ 7.23 करोड़), सशस्त्र सीमा बल (₹ 3.00 करोड़) के अंतर्गत शस्त्र एवं गोला-बारूद; (i) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (₹ 10.00 करोड़), (ii) सीमा सुरक्षा बल (₹ 10.00 करोड़), (iii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (₹ 10.00 करोड़), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (₹ 7.88 करोड़) के अंतर्गत अवकाश यात्रा रियायत, (iv) इटेलिजेंस ब्यूरो (₹ 1.00 करोड़) (v) ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (₹ 0.50 करोड़), (vi) सशस्त्र सीमा बल (₹ 0.15 करोड़); लघु सिविल एवं विद्युत कार्य (i) सीआरपीएफ (₹ 10.00 करोड़), (ii) असम राइफलस (₹ 10.00 करोड़), (iii) सशस्त्र सीमा बल (₹ 7.88 करोड़), (iv) आईबी (₹ 5.00 करोड़) (v) एनपीए (₹ 2.00 करोड़) (vi) दिल्ली पुलिस (₹ 1.05 करोड़) (vii) एनईपीए (₹ 1.00 करोड़); (i) दिल्ली पुलिस (₹ 27.27 करोड़), (ii) बीएसएफ (₹ 2.60 करोड़), (iii) नेटग्रिड (₹ 0.68 करोड़), (iv) एसएसबी (₹ 0.50 करोड़), एनईपीए (₹ 0.44 करोड़) के अंतर्गत मरम्मत एवं रखरखाव; (i) दिल्ली पुलिस (₹ 14.00 करोड़), (ii) आई4सी (₹ 8.74 करोड़), (iii) एनसीबी (₹ 4.00 करोड़), (iv) सीआईएसएफ (₹ 0.20 करोड़), (v) एनईपीए (₹ 0.13 करोड़) के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं; (i) दिल्ली पुलिस (₹ 12.62 करोड़), (ii) एनसीबी (₹ 3.00 करोड़); (iii) आईबी (₹ 1.50 करोड़), आईटीबीपी (₹ 1.10 करोड़) के अंतर्गत किराया, दरें और कर। गुप्त सेवा व्यय (i) सीआरपीएफ (₹ 0.91 करोड़) और (ii) बीएसएफ (₹ 12.00 करोड़) के अंतर्गत; (i) विशेष सुरक्षा समूह (₹ 10.00 करोड़), (ii) खुफिया ब्यूरो (₹ 0.52 करोड़), (iii) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (₹ 0.50 करोड़), (iv) सशस्त्र सीमा बल (₹ 0.50 करोड़), (v) सीमा सुरक्षा बल (₹ 0.21 करोड़) के अंतर्गत विदेशी यात्रा व्यय; (i) दिल्ली पुलिस (₹ 7.35 करोड़), (ii) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (₹ 1.49 करोड़), (iii) सशस्त्र सीमा बल (₹ 0.85 करोड़), (iv) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (₹ 0.61 करोड़), (v) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (₹ 0.20 करोड़) के अंतर्गत डिजिटल उपकरण, (vi) उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (₹ 0.13 करोड़); (i) बीएसएफ (₹ 8.00 करोड़), (ii) एनसीबी (₹ 1.92 करोड़), (iii) बीओआई (₹ 0.50 करोड़) के अंतर्गत पुरस्कार; (i) भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) (₹ 5.68 करोड़), (ii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (₹ 0.25 करोड़), (iii) आईटीबीपी (भर्ती) (₹ 0.26 करोड़), (iv) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (₹ 0.36 करोड़), (v) सीआईएसएफ (भर्ती) (₹ 0.17 करोड़), (vi) दिल्ली पुलिस (₹ 1.00 करोड़) के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रचार। (i) दिल्ली पुलिस (₹ 5.00 करोड़), (ii) सीआईएसएफ (₹ 0.67 करोड़), (iii) एसएसबी (₹ 0.51 करोड़), (iv) बीएसएफ (₹ 0.10 करोड़) के अंतर्गत मुद्रण एवं प्रकाशन; (i) आईबी (₹ 2.00 करोड़), (ii) सीआरपीएफ (₹ 1.52 करोड़), (iii) एसएसबी (₹ 0.94 करोड़), (iv) सीएपीटी (₹ 0.10 करोड़)।

(Mod) (₹ 4.70 crore), (iv) Delhi Police (₹ 30.00 crore), (v) Assam Rifles (₹ 10.00 crore), (vi) Indo-Tibetan Border Police (₹ 5.00 crore), (vii) Sashstra Seema Bal (₹ 5.00 crore), (viii) SSB (Mod) (₹ 2.92 crore), (ix) TSU (₹ 5.00 crore), (x) National Security Guard (₹ 2.00 crore), (xi) BSF (Air Wing) (₹ 1.00 crore), (xii) North Eastern Police Academy (₹ 0.36 crore), (xiii) CAPT (₹ 0.10 crore); (xiv) National Police Academy (₹ 1.80 crore); Grant for Creation of Capital Assets under (i) National Forensic Sciences University (₹ 8.81 crore) and (ii) Rashtriya Raksha University (₹ 2.00 crore); Rent for Others for (i) Delhi Police (₹ 84.10 crore), (ii) BSF (₹ 10.00 crore), (iii) CISF (₹ 1.55 crore), (iv) NATGRID (₹ 0.13 crore); Office Expenses under (i) Delhi Police (₹ 35.00 crore), (ii) Sashstra Seema Bal (₹ 13.18 crore), (iii) CRPF (₹ 6.00 crore), (iv) Assam Rifles (₹ 5.00 crore), (v) NSG - ₹5.00 crore, (vi) IB (₹ 4.79 crore), (vii) ITBP (₹ 3.13 crore), (viii) ITBP (Rect.) (₹ 0.86 crore), (ix) BSF (₹ 2.00 crore), (x) NCB (₹ 1.10 crore), (xi) DCPW (₹ 0.71 crore), (xii) BSF/RECT (₹ 0.65 crore), (xiii) CISF (₹ 1.00 crore), (xiv) E-Gov/IT (₹ 0.19 crore), (xv) CAPT (₹ 0.50 crore), (xvi) Delhi Police (Road Safety Cell) (₹ 0.50 crore), (xvii) BPR&D (₹ 0.11 crore), (xviii) National Police Academy (₹ 7.00 crore); Cost of Ration under (i) Sashstra Seema Bal (₹ 5.75 crore), (ii) Central Reserve Police Force (₹ 5.00 crore), (iii) Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (₹ 0.11 crore); Grant-in-Aid General under (i) Welfare Grant (₹ 20.00 crore), (ii) Rashtriya Raksha University (₹ 13.00 crore), (iii) National Forensic Sciences University (₹ 10.00 crore), (iv) Central Industrial Security Force (₹ 0.39 crore), (v) Anti Human Trafficking / Nirbhaya Fund (₹ 0.23 crore); Fuel & Lubricants under (i) Border Security Force (₹ 15.00 crore), (ii) Indo-Tibetan Border Police (₹ 15.00 crore), (iii) Sashstra Seema Bal (₹ 12.02 crore), (iv) Delhi Police (₹ 10.00 crore), (v) Central Reserve Police Force (₹ 5.00 crore), (vi) Jammu and Kashmir Police (₹ 4.45 crore), (vii) Intelligence Bureau (₹ 1.58 crore), (viii) National Investigation Agency (₹ 0.20 crore); Training Expenses under (i) NSG (₹ 48.10 crore), (ii) BSF (₹ 1.02 crore), (iii) CRPF (₹ 1.00 crore), (iv) NPA (₹ 0.52 crore), (v) SSB (₹ 0.49 crore), (vi) ITBP (₹ 0.30 crore), (vii) CISF (₹ 0.24 crore), (viii) CDTS (₹ 0.25 crore); Arms & Ammunition under (i) Indo-Tibetan Border Police (₹ 10.40 crore), (ii) ITBP (Modernisation) (₹ 0.01 crore), (iii) National Security Guard (₹ 9.83 crore), (iv) Assam Rifles (₹ 7.00 crore), (v) Central Industrial Security Force (₹ 5.00 crore), (vi) Special Protection Group (₹ 7.23 crore), Sashstra Seema Bal (₹ 3.00 crore); Leave Travel Concession under (i) Central Reserve Police Force (₹ 10.00 crore), (ii) Border Security Force (₹ 10.00 crore), (iii) Indo-Tibetan Border Police (₹ 10.00 crore), Central Industrial Security Force (₹ 7.88 crore), (iv) Intelligence Bureau (₹ 1.00 crore) (v) Bureau of Immigration (₹ 0.50 crore), (vi) Sashstra Seema Bal (₹ 0.15 crore); Minor Civil & Electrical Works under (i) CRPF (₹ 10.00 crore), (ii) Assam Rifles (₹ 10.00 crore), (iii) Sashstra Seema Bal (₹ 7.88 crore), (iv) IB (₹ 5.00 crore) (v) NPA (₹ 2.00 crore) (vi) Delhi Police (₹ 1.05 crore) (vii) NEPA (₹ 1.00 crore); Repair & Maintenance under (i) Delhi Police (₹ 27.27 crore), (ii) BSF (₹ 2.60 crore), (iii) NATGRID (₹ 0.68 crore), (iv) SSB (₹ 0.50 crore), NEPA (₹ 0.44 crore); Professional Services under (i) Delhi Police (₹ 14.00 crore), (ii) I4C (₹ 8.74 crore), (iii) NCB (₹ 4.00 crore), (iv) CISF (₹ 0.20 crore), (v) NEPA (₹ 0.13 crore); Rent, Rates and Taxes under (i) Delhi Police (₹ 12.62 crore), (ii) NCB (₹ 3.00 crore); (iii) IB (₹ 1.50 crore), ITBP (₹ 1.10 crore); Secret Service Expenditure under (i) CRPF (₹ 0.91 crore) and (ii) BSF (₹ 12.00 crore); Foreign Travel Expenses under (i) Special Protection Group (₹ 10.00 crore), (ii) Intelligence Bureau (₹ 0.52 crore), (iii) National Investigation Agency (₹ 0.50 crore), (iv) Sashstra Seema Bal (₹ 0.50 crore), (v) Border Security Force (₹ 0.21 crore); Digital Equipment under (i) Delhi Police (₹ 7.35 crore), (ii) Central Reserve Police Force (₹ 1.49 crore), (iii) Sashstra Seema Bal (₹ 0.85 crore), (iv) National Security Guard (₹ 0.61 crore), (v) Indo-Tibetan Border Police (₹ 0.20 crore), (vi) North Eastern Police Academy (₹ 0.13 crore); Rewards under (i) BSF (₹ 8.00 crore), (ii) NCB (₹ 1.92 crore), (iii) BOI (₹ 0.50 crore); Advertising & Publicity under (i) Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) (₹ 5.68 crore), (ii) Indo-Tibetan Border Police (₹ 0.25 crore), (iii) ITBP (Recruitment) (₹ 0.26 crore), (iv) Central Industrial Security Force (₹ 0.36 crore), (v) CISF (Recruitment) (₹ 0.17 crore), (vi) Delhi Police (₹ 1.00 crore); Printing & Publication under (i) Delhi Police (₹ 5.00 crore), (ii) CISF (₹ 0.67 crore), (iii) SSB (₹ 0.51 crore), (iv) BSF (₹ 0.10 crore); Wages under (i) IB (₹ 2.00 crore) (ii) CRPF (₹ 1.52 crore) (iii) SSB (₹ 0.94 crore) (iv) CAPT (₹ 0.10 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध ₹ 260.55 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए ₹ 1323.01 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय आवश्यक होगा। उपरोक्त अनुमान में आयुष्मान सीएपीएफ के लिए भारत के आकस्मिक निधि (प्रमुख मद 2055) से अग्रिम रूप से दी गई ₹ 150.00 करोड़ की राशि शामिल है और निधि को पुनर्भुगतान करने के लिए इतनी ही राशि की आवश्यकता है। उपरोक्त के लिए, ₹ 150.00 करोड़ की राशि नकद अनुपूरक से पूरी की जा सकती है।

Taking into account the savings of ₹ 260.55 crore available in the Capital Section of the grant, the above expenditure will entail an additional cash outgo of ₹ 1323.01 crore. The above estimate includes an amount of ₹ 150.00 crore advanced from the Contingency Fund of India in Major Head 2055 for Ayushman CAPF and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to the Fund. For the above, the amount of ₹ 150.00 crore can be met from cash supplementary.

- (ग) चुनाव झूठी के दौरान पुलिस संबंधी व्यय के लिए अनुदान/प्रतिपूर्ति के अंतर्गत सामान्य अनुदान (₹ 17.45 करोड़) तथा विदेशियों के पंजीकरण एवं निगरानी के अंतर्गत सामान्य अनुदान (₹ 9.99 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति की जा रही है। उपरोक्त व्यय में ₹ 27.44 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।
- (घ) निम्नलिखित मदों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु: पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 100.00 करोड़)। अनुदान के पूंजीगत मद में ₹ 100 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) अतिरिक्त व्यय के संबंध में निर्णय लिया गया, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत भूमि के लिए ₹ 200.00 करोड़ शामिल हैं। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (c) meeting additional expenditure towards: Grants-In-Aid-General (i) Police related expenses on election duties (₹ 17.45 crore) and (ii) Registration and Surveillance of Foreigners (₹ 9.99 crore). The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 27.44 crore.
- (d) meeting additional expenditure towards: Grant for the Creation of Capital Assets (₹ 100.00 crore) for Police Modernisation Division. Taking into account the savings of ₹ 100 crore in the Capital section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (e) meeting additional expenditure towards: Land (₹ 200.00 crore) under the Intelligence Bureau. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 52

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)
(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 51 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5711.96	5711.98
पूंजी	Capital	...	555.08	555.08
जोड़	Total	0.02	6267.04	6267.06
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1050.41	1050.41
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
जोड़	Total	...	1050.45	1050.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	207.45	207.45
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	207.45	207.45
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	7524.94	7524.96
राजस्व	Revenue	0.02	6969.82	6969.84
पूंजी	Capital	...	555.12	555.12

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	6.02	(क) 6.02
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	12.00	(ख) 12.00
2801-विद्युत	2801-Power	...	139.42	(ग) 139.42
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...	0.01	(घ) 0.01
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	50.00	(ङ) 50.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	207.45	207.45

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplementary Grants are required for:	
(क) श्री विजयपुरम नगर परिषद के कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु अनुदान सहायता-वेतन (₹ 6.02 करोड़) की ओर से किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid Salaries (₹6.02 crore) for the employees of Sri Vijaya Puram Municipal Council.	
उपरोक्त व्यय के लिए ₹6.02 करोड़ का नकद भुगतान करना होगा।	The above expenditure will entail a cash outgo of ₹6.02 crore.	
(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान-सामान्य (₹12.00 करोड़) ग्राम पंचायत को समान अनुदान के तहत सहायता	(b) meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid-General (₹12.00 crore) for release of matching grant to Gram Panchayat.	
उपरोक्त व्यय में ₹12.00 करोड़ नकद व्यय शामिल होगा।	The above expenditure will entail a cash outgo of ₹12.00 crore.	
(ग) (i) बिजली खरीद के भुगतान के लिए अन्य राजस्व व्यय (₹ 6.00 करोड़), (ii) विद्युत संयंत्र के संचालन के लिए एचएसडी की खरीद के लिए सामग्री और आपूर्ति (₹114.80 करोड़), और (iii) एचएसडी के परिवहन के लिए अन्य लोगों का किराया (₹18.62 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(c) meeting additional expenditure towards (i) Other Revenue Expenditure (₹6.00 crore) for payment of power purchase (ii) Materials and Supplies (₹114.80 crore) for procurement of High Speed Diesel (HSD) for running of Power Plant Supplies and (iii) Rent for Others (₹18.62 crore) for transportation of HSD.	
उपरोक्त व्यय के लिए ₹139.42 करोड़ का नकद भुगतान करना होगा।	The above expenditure will entail a cash outgo of ₹139.42 crore.	
(घ) कंप्यूटर पेरिफेरल्स की खरीद के लिए डिजिटल उपकरणों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय (₹ 0.01 करोड़) को पूरा करना।	(d) meeting additional expenditure towards Digital Equipment (₹0.01 crore).	
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.	
(ङ) पवन हंस को हेलीकॉप्टर शुल्क के भुगतान के लिए अन्य लोगों के किराए (₹ 50.00 करोड़) की ओर से अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(e) meeting additional expenditure towards Rent for Others (₹50.00 crore) for payment of helicopter charges to Pawan Hans Limited.	
उपरोक्त व्यय के लिए ₹ 50.00 करोड़ का नकद भुगतान करना होगा।	The above expenditure will entail a cash outgo of ₹50.00 crore.	

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 53

चंडीगढ़
CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)
(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	537.42	5647.76	6185.18
पूंजी	Capital	3.00	795.00	798.00
जोड़	Total	540.42	6442.76	6983.18
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	3.77	0.01	3.78
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	3.77	0.02	3.79
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	544.19	6442.79	6986.98
राजस्व	Revenue	541.19	5647.78	6188.97
पूंजी	Capital	3.00	795.01	798.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	3.77	...	3.77
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	3.77	0.01	3.78
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism	...	0.01	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	3.77	0.02	3.79

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:	The supplementary Grants/Appropriations are required for:			
(क) मध्यस्थों को व्यवसायिक सेवाओं के भुगतान हेतु होने वाले अतिरिक्त व्यय (₹ 3.77 करोड़) को पूरा करना। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(a) meeting additional expenditure towards Professional Services (₹3.77 crore) for payment to mediators. Taking into account savings available in the Voted Section of grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.			
(ख) चंडीगढ़ नगर निगम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(b) meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General (₹25.00 crore) under the Municipal Corporation of Chandigarh. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.			
(ग) मोटर वाहनों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय (₹ 0.42 करोड़) को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(c) meeting additional expenditure towards Motor Vehicles (₹0.42 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.			

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 54

दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)
(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1712.50	1712.50
पूंजी	Capital	...	1070.00	1070.00
जोड़	Total	...	2782.50	2782.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.07	0.07
जोड़	Total	...	0.11	0.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2782.62	2782.62
राजस्व	Revenue	...	1712.55	1712.55
पूंजी	Capital	...	1070.07	1070.07
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

शहरी क्षेत्र हेतु नगर परिषद एकीकृत अवसंरचना परियोजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 10.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹10.00 crore) under the Municipal Councils for Integrated Infrastructure Project for Urban Area.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 55

लद्दाख
LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)
(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> Charged	<i>स्वीकृत</i> Voted	<i>जोड़</i> Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2460.25	2460.25
पूंजी	Capital	...	2242.15	2242.15
जोड़	Total	...	4702.40	4702.40
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2519.51	2519.51
पूंजी	Capital	...	168.78	168.78
जोड़	Total	...	2688.29	2688.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	63.20	63.20
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	63.20	63.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7453.89	7453.89
राजस्व	Revenue	...	5042.96	5042.96
पूंजी	Capital	...	2410.93	2410.93
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		<i>भारित</i> Charged	<i>स्वीकृत</i> Voted	<i>जोड़</i> Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	2801-Power	...	63.20	63.20

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विद्युत क्षेत्र संबंधी देनदारी चुकाने के लिए अन्य राजस्व व्यय (₹ 63.20 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Other Revenue Expenditure (₹63.20 crore) for clearing power sector liabilities.

Taking into account savings available in the Capital Section of grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 56

**लक्षद्वीप
LAKSHADWEEP**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)
(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1322.54	1322.54
पूंजी	Capital	...	290.37	290.37
जोड़	Total	...	1612.91	1612.91
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	18.35	18.35
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	18.36	18.36
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1631.27	1631.27
राजस्व	Revenue	...	1340.89	1340.89
पूंजी	Capital	...	290.38	290.38
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	18.35 (क)	18.35
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5225-दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5225-Capital Outlay on Telecommunication Services	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	18.36	18.36

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants are required for:

(क)	स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा जारी किए जाने हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 59.57 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a)	meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹59.57 crore) for release of UT share under Smart City Mission.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत और अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध ₹18.35 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant and the savings of ₹18.35 crore available in Capital section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ख)	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 52.31 करोड़)।	(b)	meeting additional expenditure towards Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹52.31 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58

जम्मू और कश्मीर को अंतरण
TRANSFERS TO JAMMU AND KASHMIR

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)
(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	41000.07	41000.07
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	41000.07	41000.07
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	340.15	340.15
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	340.15	340.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	5000.00	5000.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	5000.00	5000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	46340.22	46340.22
राजस्व	Revenue	...	46340.22	46340.22
पूंजी	Capital
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	5000.00	5000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grant is required for:

'संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता' के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
उपरोक्त व्यय में ₹5000.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।

meeting additional expenditure under 'Central Assistance to Union Territories'.
The above expenditure will entail a cash outgo of ₹5000.00 crore.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 60

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)
(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	164.15	59158.46	59322.61
पूंजी	Capital	42.95	42552.75	42595.70
जोड़	Total	207.10	101711.21	101918.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	28.69	0.06	28.75
पूंजी	Capital	185.99	0.01	186.00
जोड़	Total	214.68	0.07	214.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	1013.42	1013.42
जोड़	Total	...	1013.44	1013.44
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	421.78	102724.72	103146.50
राजस्व	Revenue	192.84	59158.54	59351.38
पूंजी	Capital	228.94	43566.18	43795.12
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01	(का) 0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	1013.41	(गc) 1013.41
6217-शहरी विकास के लिए ऋण	6217-Loans for Urban Development	...	0.01	(घd) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	1013.42	1013.42
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1013.44	1013.44
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	(-957.83)	(-957.83)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के अंतर्गत डिजिटल उपकरण (₹ 0.02 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.00 करोड़), (ii) पीएम-स्वनिधि- स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.00 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards: Digital Equipment (₹ 0.02 crore) under the Town and Country Planning Organisation.
- As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards: (i) Grants-In-Aid-General (₹ 6.00 Crore), (ii) Grants-In-Aid-General (₹ 5.00 Crore) under the PM-Svanidhi - Special Micro Credit Facility for Street Vendors.
- As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| (ग) | <p>निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना : (i) नगर और ग्राम नियोजन संगठन के तहत फर्नीचर और फिक्स्चर (₹ 0.01 करोड़), (ii) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) के तहत निवेश (₹ 55.58 करोड़), (iii) मेट्रो परियोजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए सॉवरेन हरित निधि के तहत अंतर खाता अंतरण (₹957.83 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत और अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 55.58 करोड़ की उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए और अतिरिक्त वसूली का उपयोग करते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | (c) | <p>meeting additional expenditure towards: (i) Furniture & Fixtures (₹ 0.01 crore) under the Town and Country Planning Organisation, (ii) Investment (₹ 55.58 crore) under the National Building Construction Corporation Ltd. (NBCC), (iii) Inter Account Transfers (₹ 957.83 crore) under the Sovereign Green Fund to meet expenditure of Metro projects.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the grant and savings of ₹ 55.58 crore available in the Revenue section of the grant & utilizing additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
| (घ) | <p>मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) और मेट्रो परियोजनायें के तहत ऋण और अग्रिम (₹ 303.26 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | (d) | <p>meeting additional expenditure towards: Loans and Advances (₹ 303.26 Crore) under the Mass Rapid Transit System (MRTS) and Metro Projects.</p> <p>As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> |

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)
(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 63 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4314.59	4314.59
पूंजी	Capital	...	43.79	43.79
जोड़	Total	...	4358.38	4358.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	17.26	17.26
जोड़	Total	...	17.27	17.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1744.64	1744.64
पूंजी	Capital	...	0.28	0.28
जोड़	Total	...	1744.92	1744.92
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6120.57	6120.57
राजस्व	Revenue	...	6059.24	6059.24
पूंजी	Capital	...	61.33	61.33
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2221-प्रसारण	2221-Broadcasting	...	1744.64 (का)	1744.64
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4220-सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	4220-Capital Outlay on Information and Publicity	...	0.28 (खब)	0.28
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1744.92	1744.92

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	प्रसार भारती के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1823.66 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में ₹1744.64 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।	(a)	meeting additional expenditure towards: Grants-In-Aid-General (₹ 1823.66 Crore) under Prasar Bharati. Taking into account the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 1744.64 crore.
(ख)	प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के संबद्ध कार्यालय के तहत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 0.28 करोड़) को पूरा करना। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	meeting additional expenditure towards: Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 0.28 Crore) under attached office of Press Registrar General of India. Taking into account the savings available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)
(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 68 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i> Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	32606.92	32606.92
पूंजी	Capital	...	39.27	39.27
जोड़	Total	...	32646.19	32646.19
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	32646.21	32646.21
राजस्व	Revenue	...	32606.94	32606.94
पूंजी	Capital	...	39.27	39.27

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		<i>भारत</i> Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष में प्रतिकूल शेष राशि को नियमित करने/सुधारने के लिए अंतर खाता अंतरण (₹ 210.71 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Inter Account Transfer (₹ 210.71 crore) to regularize/rectify the adverse balance in Beedi Workers Welfare Fund.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 65

विधि और न्याय
LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)
(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 69 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> Charged	<i>स्वीकृत</i> Voted	<i>जोड़</i> Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5007.22	5007.22
पूंजी	Capital	...	191.02	191.02
जोड़	Total	...	5198.24	5198.24
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	629.81	629.81
जोड़	Total	...	629.82	629.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2271.49	2271.49
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2271.49	2271.49
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8099.55	8099.55
राजस्व	Revenue	...	7278.72	7278.72
पूंजी	Capital	...	820.83	820.83
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> Charged	<i>स्वीकृत</i> Voted	<i>जोड़</i> Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2015-चुनाव	2015-Elections	...	2271.49	2271.49

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति के तहत व्यवसायिक सेवाएं (₹ 317.87 करोड़), (ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति के तहत व्यवसायिक सेवाएं (₹ 339.07 करोड़), (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति के तहत व्यवसायिक सेवाएं (₹ 1614.55 करोड़)

उपरोक्त व्यय में ₹ 2271.49 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Professional Services (₹ 317.87 crore) under the reimbursements to State/Union Territory Govts, (ii) Professional Services (₹ 339.07 crore) under the reimbursements to State/Union Territory Govts, (iii) Professional Services (₹ 1614.55 crore) under the reimbursements to State/Union Territory Govts

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 2271.49 crore.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 66

निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)
(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 71 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	302.98	302.98
पूंजी	Capital	...	2.00	2.00
जोड़	Total	...	304.98	304.98
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	45.61	45.61
पूंजी	Capital	...	12.50	12.50
जोड़	Total	...	58.11	58.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	10.20	10.20
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	10.20	10.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	373.29	373.29
राजस्व	Revenue	...	358.79	358.79
पूंजी	Capital	...	14.50	14.50
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2015-चुनाव	2015-Elections	...	10.20	10.20

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) द्वारका, नई दिल्ली में आईआईआईडीईएम परिसर के संचालन और रखरखाव तथा चुनाव प्रशिक्षण प्रदान करने के तहत होने वाले व्यय तथा अन्य सांविधिक भुगतान जैसे विद्युत, टेलीफोन, पेयजल शुल्क आदि के कार्यालय व्यय के लिए (₹ 3.20 करोड़) और (ii) आयोग में आईटी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए क्लाउड सेवाओं के लिए बीएसएनएल/सीडीएसी से सेवाओं का भुगतान करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए स्थापना के तहत कार्यालय व्यय के लिए (₹ 7.00 करोड़)।
उपरोक्त व्यय के लिए ₹10.20 करोड़ का नकद भुगतान होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) Office Expenses under Imparting Training For Elections (₹ 3.20 crore) towards Operation and Maintenance of the IIIDEM campus at Dwarka, New Delhi and other statutory payments like electricity, telephone, water charges etc., and (ii) Office Expenses under Establishment (₹ 7.00 crore) for making payment towards availing services from BSNL/CDAC for cloud services to robust the IT Infra in the Commission and payment to outsourced staff etc.
The above expenditure will entail a Cash outgo of ₹ 10.20 crore.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)
(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 74 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	22452.42	22452.42
पूंजी	Capital	...	715.73	715.73
जोड़	Total	...	23168.15	23168.15
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	45.54	0.01	45.55
पूंजी	Capital	...	200.00	200.00
जोड़	Total	45.54	200.01	245.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	45.54	23368.17	23413.71
राजस्व	Revenue	45.54	22452.44	22497.98
पूंजी	Capital	...	915.73	915.73

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) एमएसएमई प्रदर्शन (रैंप) योजना के संवर्धन और गति प्रदान करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 28.06 करोड़), (ii) अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 272.00 करोड़), पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 115.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid-General (₹ 28.06 Crore) under the Raising and Accelerating MSMEs Performance (RAMP) scheme, (ii) Grants-in-Aid-General (₹ 272.00 Crore) for Development Action Plan for Scheduled Castes, Grants-in-Aid-General (₹ 115.00 Crore) for Development Action Plan for Scheduled Tribes under the PM Vishwakarma Scheme

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 69

खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)
(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 76 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3458.91	3458.91
पूंजी	Capital	...	79.09	79.09
जोड़	Total	...	3538.00	3538.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	66.46	66.46
जोड़	Total	...	66.46	66.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	28.39	28.39
जोड़	Total	...	28.39	28.39
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3632.85	3632.85
राजस्व	Revenue	...	3458.91	3458.91
पूंजी	Capital	...	173.94	173.94

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिचय	4853-Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	28.39	28.39

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grant is required for:

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियों के तहत अवसंरचनात्मक आस्तियों (₹ 28.39 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना

meeting additional expenditure towards Infrastructural Assets (₹ 28.39 crore) under the Geological Survey of India Activities

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹28.39 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Taking into account the savings of ₹ 28.39 crore available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 71

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)
(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 77 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i> Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	31742.18	31742.18
पूंजी	Capital	...	7.20	7.20
जोड़	Total	...	31749.38	31749.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	31749.41	31749.41
राजस्व	Revenue	...	31742.21	31742.21
पूंजी	Capital	...	7.20	7.20

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		<i>भारत</i> Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹700 करोड़) और (ii) 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' योजना के तहत 'प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महा अभियान' (पीएम-जनमन) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹20.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure for (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 700 crore) under Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan (PM-KUSUM) Scheme and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 20.50 crore) for 'Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan'(PM-JANMAN) under the scheme 'Green Energy Corridor'.

Taking into account savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 72

पंचायती राज मंत्रालय
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)
(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 78 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	1170.90	1170.90
पूंजी	...	14.10	14.10
जोड़	...	1185.00	1185.00
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	0.01	0.01
पूंजी
जोड़	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.01	0.01
पूंजी	...	0.75	0.75
जोड़	...	0.76	0.76
जोड़ (मूल और पूरक)			
राजस्व	...	1170.92	1170.92
पूंजी	...	14.85	14.85

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

SUPPLEMENTARY GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

Total

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	...	0.01 (क)	0.01
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.75 (ख)	0.75
जोड़ (पूरक)	...	0.76	0.76

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| (क) | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत निर्भया निधि परियोजना के माध्यम से महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के विधिक सशक्तिकरण हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.4626 करोड़) के व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। | (a) | meeting expenditure towards grants-in-aid-general (₹ 0.4626 crore) for Legal empowerment of Women Elected Representatives through Nirbhaya Fund project under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ख) | सचिवालय -आर्थिक सेवाएं के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹ 0.75 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा | (b) | meeting additional expenditure towards Information, Computer, Telecommunications Equipment (₹ 0.75 crore) under the Secretariat- Economic Services.
Taking into account equivalent amount of savings available in the revenue section of the grant, this will not entail any additional cash outgo. |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 73

संसदीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)
(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	59.90	59.90
पूंजी	Capital	...	6.66	6.66
जोड़	Total	...	66.56	66.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	1.05	1.05
जोड़	Total	...	1.05	1.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	67.61	67.61
राजस्व	Revenue	...	59.90	59.90
पूंजी	Capital	...	7.71	7.71
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	1.05	1.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grant is required for:

नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (एनजीसी) पर डिजिटल विधानमंडलों के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) की होस्टिंग के लिए सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹ 1.05 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹1.05 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 1.05 crore) for hosting National eVidhan Application (NeVA) for Digital Legislatures at National Government Cloud (NGC).

Taking into account the savings of ₹ 1.05 crore available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 76

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)
(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 80 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	14379.80	14379.80
पूंजी	Capital	...	12323.13	12323.13
जोड़	Total	...	26702.93	26702.93
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	14692.44	14692.44
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	14692.45	14692.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	41395.39	41395.39
राजस्व	Revenue	...	29072.24	29072.24
पूंजी	Capital	...	12323.15	12323.15

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4802-पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	4802-Capital Outlay on Petroleum	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) (₹6605.7954 करोड़)
और भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) (₹1149.1836
करोड़) द्वारा बोनस शेयरों के निर्गम के समायोजन हेतु व्यय पूरा
करना।
सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards adjustment of issue of bonus
shares for FY 2024-25 by Indian Oil Corporation Limited (IOCL)
(₹6605.7954 crore) and Bharat Petroleum Corporation Limited
(BPCL) (₹1149.1836 crore).
A Token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 79

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)
(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 85 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	22388.67	22388.67
पूंजी	Capital	...	658.41	658.41
जोड़	Total	...	23047.08	23047.08
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	23047.11	23047.11
राजस्व	Revenue	...	22388.69	22388.69
पूंजी	Capital	...	658.42	658.42

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grant is required for:

ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड इंडिया) द्वारा भारत सरकार के पक्ष में वित्त वर्ष 2024-25 के बोनस शेयरों के निर्गमन के समायोजन हेतु ₹ 10.2134 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए। सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

meeting expenditure of ₹ 10.2134 crore towards adjustment of issue of bonus shares of FY2024-25 in favour of Government of India by Grid Controller of India Limited (Grid India). A Token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85

रेल मंत्रालय
MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103-104 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)
(See page 103-104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 87 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	496.70	375536.49	376033.19
पूंजी	Capital	302.75	443974.81	444277.56
जोड़	Total	799.45	819511.30	820310.75
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	98.00	...	98.00
पूंजी	Capital	575.00	8.35	583.35
जोड़	Total	673.00	8.35	681.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1472.45	819519.66	820992.11
राजस्व	Revenue	594.70	375536.49	376131.19
पूंजी	Capital	877.75	443983.17	444860.92
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइन पर पूंजीगत परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

उत्तर पश्चिम रेलवे के राय का बाग - फलोदी - जैसलमेर और लालगढ़-कोलायत-फलोदी खंडों पर पटरी नवीनीकरण कार्यों के लिए 850 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक राशि की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 850 crore towards Track Renewal works on Rai Ka Bagh - Phalodi - Jaisalmer and Lalgah-Kolayat-Phalodi Section of North Western Railway.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)
(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 88 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	30047.98	30047.98
पूंजी	Capital	5.00	332320.18	332325.18
जोड़	Total	5.00	362368.16	362373.16
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	18837.00	18837.00
जोड़	Total	...	18837.00	18837.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	17647.31	17647.31
जोड़	Total	...	17647.31	17647.31
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5.00	398852.47	398857.47
राजस्व	Revenue	...	30047.98	30047.98
पूंजी	Capital	5.00	368804.49	368809.49
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5054-सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	17647.31	17647.31

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग निधि-अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इन्वीआईटी) के मुद्राकरण के माध्यम से एनएचआई में निवेश के तहत ₹18837 करोड़, (ii) डीएपीएसटी घटक से सड़क विंग के कार्यों के तहत अन्य योजनाओं के लिए अवसंरचनात्मक आस्तियों के तहत ₹3000 करोड़, (iii) सकल बजटीय सहायता के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत सड़क विंग/राज्य पीडब्ल्यूडी के कार्यों के लिए अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों के तहत ₹1000 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी खंड (₹5189.69 करोड़) और राजस्व खंड (₹1.60 करोड़) के अंतर्गत उपलब्ध बचत और अनुदान संख्या 30-डीईए के पूंजी खंड के अंतर्गत उपलब्ध बचत (₹17645.71 करोड़) को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) ₹ 18837 crore under Investment in NHAI through Monetization of National Highways Fund-Infrastructure Investment Trust (InvITs), (ii) ₹ 3000 crore under Infrastructural Assets for Other Schemes under Works of Road Wing from DAPST component, (iii) ₹ 1000 crore under Infrastructural Assets for Works under Roads Wing/state Pwds under Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas through Gross Budgetary Support.

Taking into account the savings available within the same section (₹ 5189.69 crore) and Revenue section (₹ 1.60 crore) of the Grant, and savings available under Capital Section of Grant No. 30-DEA (₹ 17645.71 crore), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

ग्रामीण विकास विभाग
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)
(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 89 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	286750.29	286750.29
पूंजी	Capital	...	4.24	4.24
जोड़	Total	...	286754.53	286754.53
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	286754.59	286754.59
राजस्व	Revenue	...	286750.35	286750.35
पूंजी	Capital	...	4.24	4.24
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	...	0.01 (का)	0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| (क) | दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) के अंतर्गत निम्नलिखित सब्सिडी पर व्यय की पूर्ति के लिए: (i) अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना (डीएपीसी) (₹ 739.46 करोड़), (ii) अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) (₹ 743.29 करोड़) और (iii) अन्य (₹ 2517.25 करोड़)। | (a) | meeting expenditure on subsidies under: (i) Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) (₹ 739.46 crore) (ii) Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST) (₹ 743.29 crore) and (iii) Others (₹ 2517.25 crore) under Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM). |
| | अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक राशि की मांग की जाती है। | | Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought. |
| (ख) | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि में अतिरिक्त अंतरण के अंतर्गत अंतर खाता अंतरणों (₹ 30,000 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। | (b) | meeting expenditure for additional transfer to National Employment Guarantee Fund (₹ 30,000 crore). |
| | अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक राशि की मांग की जाती है। | | Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought. |

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 89

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)
(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 91 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8413.05	8413.05
पूंजी	Capital	...	20095.85	20095.85
जोड़	Total	...	28508.90	28508.90
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	676.29	676.29
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	676.29	676.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	138.28	138.28
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	138.28	138.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	29323.47	29323.47
राजस्व	Revenue	...	9227.62	9227.62
पूंजी	Capital	...	20095.85	20095.85

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	3.28	(का)	3.28
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	135.00	(खb)	135.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	138.28		138.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| (क) | सचिवालय के अंतर्गत(i) घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.55 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 2.17 करोड़), मरम्मत एवं रखरखाव (₹ 0.56 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के पूंजीगत खंड में उपलब्ध ₹3.28 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय शामिल नहीं होगा। | (a) | meeting additional expenditure towards (i) Domestic Travel Expenses (₹ 0.55 Crore), Office Expenses (₹ 2.17 Crore), Repair And Maintenance (₹ 0.56 Crore) under Secretariat.
Taking into account the savings of ₹ 3.28 crore available in the Capital section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo. |
| (ख) | सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा और क्षमता निर्माण के अंतर्गत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20.00 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 115.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए
अनुदान के पूंजीगत खंड में उपलब्ध ₹135 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा। | (b) | meeting additional expenditure towards (i) Grants-In-Aid-General (₹ 20.00 Crore), Grants For Creation Of Capital Assets (₹ 115.00 Crore) under the Super Computing Facility And Capacity Building.
Taking into account the savings of ₹ 135 crore available in the Capital section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. |

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 91

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिये)
(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6656.17	6656.17
पूंजी	Capital	...	1.61	1.61
जोड़	Total	...	6657.78	6657.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	1.28	1.28
जोड़	Total	...	1.28	1.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6659.06	6659.06
राजस्व	Revenue	...	6656.17	6656.17
पूंजी	Capital	...	2.89	2.89
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4859-Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries	...	1.00 (क)	1.00
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.28 (ख)	0.28
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	1.28	1.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत निवेश (₹ 1.00 करोड़)के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध 1 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	(a)	meeting additional expenditure towards Investment (₹ 1.00 Crore) under the Central Electronics Limited Taking into account the savings of ₹ 1 crore available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ख)	भवन और संरचनाएं (₹ 0.28 करोड़) औद्योगिक अनुसंधान और विकास तथा सार्वजनिक अनुसंधान सुविधा विकास (बीआईआरडी) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध ₹ 0.28 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	(b)	meeting additional expenditure towards Buildings And Structures (₹ 0.28 Crore) under the Building Industrial R&D And Common Research Facilities (Bird) Taking into account the savings of ₹ 0.28 crore available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये)
(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8217.04	8217.04
पूंजी	Capital	...	83.06	83.06
जोड़	Total	...	8300.10	8300.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8300.11	8300.11
राजस्व	Revenue	...	8217.05	8217.05
पूंजी	Capital	...	83.06	83.06
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.70 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 3.70 Crore) under the National Council for Vocational Education and Training (NCVET)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 96

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)
(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 94 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> Charged	<i>स्वीकृत</i> Voted	<i>जोड़</i> Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5426.19	5426.19
पूंजी	Capital	...	44.87	44.87
जोड़	Total	...	5471.06	5471.06
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	65.62	65.62
पूंजी	Capital	...	14.61	14.61
जोड़	Total	...	80.23	80.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	39.03	39.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	39.03	39.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5590.32	5590.32
राजस्व	Revenue	...	5530.84	5530.84
पूंजी	Capital	...	59.48	59.48
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> Charged	<i>स्वीकृत</i> Voted	<i>जोड़</i> Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	39.03	39.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सांस्थानिक विकास और क्षमता निर्माण (क्षमता विकास) के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं पर होने वाले अतिरिक्त व्यय (₹ 39.03 करोड़) को पूरा करने के लिए उपरोक्त व्यय के लिए (₹ 39.03 करोड़) का नकद भुगतान करना होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Professional Services (₹ 39.03 Crore) under the Institutional Development and Capacity Building (Capacity Development) The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 39.03 crore.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)
(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 96 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	364.22	364.22
पूंजी	Capital	...	2997.78	2997.78
जोड़	Total	...	3362.00	3362.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1585.00	1585.00
पूंजी	Capital	...	22.00	22.00
जोड़	Total	...	1607.00	1607.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4969.01	4969.01
राजस्व	Revenue	...	1949.22	1949.22
पूंजी	Capital	...	3019.79	3019.79
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4852-लौह और इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4852-Capital Outlay on Iron and Steel Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में आरआईएनएल को दिए गए ₹ 1140 करोड़ के कार्यशील पूंजी ऋण को 7% गैर-संचयी वरीयता शेयर पूंजी में परिवर्तित करने के लिए पूर्व अवधि का लेखांकन समायोजन, जिसका 10 वर्षों के बाद मोचन किया जा सकता है।
सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Prior period accounting adjustment for conversion of working capital loan of ₹ 1140 crore provided to RINL in FY 2024-25 by Gol as 7% non-cumulative preference share capital redeemable after 10 years.

A Token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

वस्त्र मंत्रालय
MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)
(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 97 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> Charged	<i>स्वीकृत</i> Voted	<i>जोड़</i> Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5252.89	5252.89
पूंजी	Capital	...	19.11	19.11
जोड़	Total	...	5272.00	5272.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	87.42	0.01	87.43
पूंजी	Capital
जोड़	Total	87.42	0.01	87.43
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	494.68	494.68
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	494.68	494.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	87.42	5766.69	5854.11
राजस्व	Revenue	87.42	5747.58	5835.00
पूंजी	Capital	...	19.11	19.11
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> Charged	<i>स्वीकृत</i> Voted	<i>जोड़</i> Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	494.68	494.68

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मुख्य समर्थन योजना के तहत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद हेतु सब्सिडी पर अतिरिक्त व्यय (₹ 1718.56 करोड़) को पूरा करने के लिए

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में ₹ 494.68 करोड़ का निवल नकद व्यय शामिल है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards subsidies (₹ 1718.56 crore) under the procurement of cotton by Cotton Corporation of India under Price Support scheme

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure entail a net cash outgo of ₹ 494.68 crore.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

**जनजातीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 देखिये)
(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	6269.66	8624.42	14894.08
पूंजी	Capital	...	31.73	31.73
जोड़	Total	6269.66	8656.15	14925.81
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6269.66	8656.16	14925.82
राजस्व	Revenue	6269.66	8624.43	14894.09
पूंजी	Capital	...	31.73	31.73
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना) के अंतर्गत (i) सामान्य अनुदान सहायता (₹ 2.0875 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.1313 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Grants-In-Aid-General (₹ 2.0875 Crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 3.1313 Crore) under the Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगों, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 101

महिला और बाल विकास मंत्रालय
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 और वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 99 देखिये)
(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026 and page 99 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	27384.99	27384.99
पूंजी	Capital	...	4.70	4.70
जोड़	Total	...	27389.69	27389.69
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.56	0.56
जोड़	Total	...	0.57	0.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	27390.28	27390.28
राजस्व	Revenue	...	27385.02	27385.02
पूंजी	Capital	...	5.26	5.26
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (आंगनवाड़ी सेवाएं-पोषण अभियान-किशोरियों के लिए योजना) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय (₹ 0.96 करोड़) को पूरा करना
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (आंगनवाड़ी सेवाएं-पोषण अभियान-किशोरियों के लिए योजना) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय (₹ 9.72 करोड़) को पूरा करना
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.96 Crore) under the Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 (Anganwadi Services- Poshan Abhiyan-Scheme for Adolescent Girls)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 9.72 Crore) under the Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 (Anganwadi Services- Poshan Abhiyan-Scheme for Adolescent Girls)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुलग्नक/Annexure

संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले अनुदान के उसी खंड के अंतर्गत बचत से मंत्रालयों/ विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए धन का पुनर्विनियोजन संलग्न है।

यह लोक लेखा समिति द्वारा अपनी एक सौ तीन रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) के अनुमोदन के अनुसरण में वित्त मंत्रालय द्वारा 23 फरवरी, 2024 को जारी की गई 'नई सेवा' (एनएस)/ 'नई सेवा साधन' (एनआईएस) पर संशोधित वित्तीय सीमाओं के अनुसार है।

Re-appropriation of funds, as reported by Ministries/Departments, from the savings within same section of the Grant that require report to Parliament is annexed.

This is as per the revised financial limits on 'New Service' (NS)/ 'New Instrument of Service' (NIS) issued by Ministry of Finance on 23rd February, 2024, in pursuance to the approval by the Public Accounts Committee, vide its One hundred third Report (Seventeenth Lok Sabha).

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
Department of Agriculture and Farmers Welfare

मांग संख्या - 1

Demand No. - 1

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं. S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान Central Fertilizer Quality Control and Training Institute	4401.00.105.27.00.52	0.50	2.00	उच्च प्रदर्शन तरल क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी) प्रणालियों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of High Performance Liquid Chromatography (HPLC) systems.
2	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन National Mission on Natural Farming	2435.60.103.03.00.31	30.85	34.77	33 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के लिए। To meet additional expenditure for Annual Action Plans of 33 States/ UTs and to provide support to Central Agencies.
3	महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र Mahalanobis National Crop Forecasting	4401.00.111.02.01.73	0.10	2.56	उपग्रह कार्यक्रम के लिए आईएसआरओ को किए जाने वाले भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Centre				To meet additional expenditure for payment to ISRO for satellite programme.
4	कृषोन्नति योजना Krishionnati Yojna	2435.60.103.04.00.36	0.50	0.14	कृषोन्नति योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता - वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for Grants-in-aid - Salaries under Krishionnati Yojna.
5	महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र Mahalanobis National Crop Forecasting Centre	4401.00.111.02.01.73	0.10	0.87	उपग्रह कार्यक्रम के लिए आईएसआरओ को किए जाने वाले भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए। To meet additional expenditure for payment to ISRO for satellite programme.
6	कृषि जनगणना Agriculture Census	2401.00.111.35.01.31	36.65	56.00	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को मानदेय, वेतन आदि के वितरण के लिए अतिरिक्त व्यय पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for release of grant to States/ Uts for disbursement of honorarium, salary etc.
7	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम) National Beekeeping Honey Mission (NBHM)	2401.00.119.58.00.31	67.50	25.00	इस योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for Grants in aid General under the scheme.
8	राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र National Centre for Organic and Natural Farming	4401.00.105.26.00.52	0.50	0.15	मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of Machinery

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					& Equipment.
9	राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान National Institute of Plant Health Management	2401.00.107.05.01.36	10.00	1.50	अनुदान सहायता के तहत होने वाले अतिरिक्त व्यय - वेतन - को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Grants-in-aid - Salaries.
10	कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी Agriculture Economics and statistics	2401.00.111.34.01.31	194.68	74.98	लागत अध्ययन (सीएस) योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure of Implementing Agencies under Cost Study (CS) scheme.
11	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड National Horticulture Board	2401.00.119.61.01.36	13.50	4.69	वेतन और पेंशन संबंधी अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards salary & pensions.
12	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना Rashtriya Krishi Vikas Yojna	2435.60.103.01.00.31	73.89	26.11	प्रशासनिक खर्चों की ओर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards administrative expenses.
13	कृषोन्नति योजना Krishionnati Yojna	2435.60.103.04.00.31	1177.97	147.43	इस योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for Grants in aid General under the scheme.
14	कृषि और किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture and Farmers Welfare	5475.00.001.01.25.71	7.00	1.50	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					procurement of Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipments.
15	नारियल विकास बोर्ड Coconut Development Board	2401.00.119.62.01.36	30.00	2.00	वेतन और पेंशन संबंधी अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards salary & pensions.
16	नारियल विकास बोर्ड Coconut Development Board	2401.00.119.62.01.35	1.00	0.16	निर्माण परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय और देनदारियों के भुगतान को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure for construction projects and payment of liabilities.

अनुलग्नक / Annexure

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग
Department of Agricultural Research and Education

मांग संख्या - 2

Demand No. - 2

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड Agricultural Scientists Recruitment Board	5475.00.001.02.02.52	0.16	0.15	मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Machinery and Equipment.
2	कृषि विस्तार संस्थान- अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएँ Agricultural Extension Institutes-Research & Education Schemes	2415.01.796.03.00.31	19.23	5.96	डीएपीएसटी घटक के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों की ओर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards committed liabilities under DAPST component.

अनुलग्नक / Annexure

परमाणु ऊर्जा
Atomic Energy

मांग संख्या - 3
Demand No. - 3

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान - अनुसंधान एवं विकास (बीएआरसी) Atomic Energy Research -Research and Development (BARC)	3401.00.004.22.01.31	0.10	0.13	कार्यालय संबंधी खर्चों के लिए। For office related expenditure.
2	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान परियोजनाएं - आईजीसीएआर की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं Capital Outlay on Atomic Energy Research-Research Projects of Atomic Energy- R&D Projects of IGCAR	5401.00.401.02.00.73	1.00	2.34	सौर प्रणालियों की स्थापना सहित ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों से संबंधित कार्य के लिए। For work related to energy conservation activities including establishment of solar systems .
3	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान परियोजनाएं - वीईसीसी की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं Capital Outlay on Atomic Energy Research-Research	5401.00.401.05.00.72	9.51	7.99	नागरिक अवसंरचना परियोजना और आरआईबी सुविधाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए। For activities related to civil infrastructure

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Projects of Atomic Energy -R&D Projects of VECC				project and RIB facilities.
4	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान-सामान्य सुविधाएं-जीएसओ Atomic Energy Research-Common Facilities - GSO	3401.00.200.04.00.31	4.00	0.70	घरेलू यात्रा व्यय, एलटीसी, अन्य कार्यालय व्यय आदि में वृद्धि। Increase in Domestic travel expenses, LTC, other Office expenses etc.
5	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत व्यय - परमाणु ऊर्जा की औद्योगिक परियोजनाएं - आईआरईएल परियोजनाएं Capital Outlay on Atomic Energy Industries-Industrial Projects of Atomic Energy- IREL Projects	4861.03.212.03.00.72	11.09	5.55	आई आर ई एल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement for various projects of IREL.
6	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत व्यय - परमाणु ऊर्जा की औद्योगिक परियोजना - आईआरईएल परियोजनाएं Capital Outlay on Atomic Energy Industries-Industrial Project of Atomic Energy - IREL Projects	4861.03.212.03.00.52	0.63	0.19	आई आर ई एल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement for various projects of IREL.
7	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान परियोजनाएं - वीईसीसी की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं Capital Outlay on Atomic Energy Research-Research Projects of Atomic Energy -R&D Projects of VECC	5401.00.401.05.00.52	2.50	3.50	नई परियोजनाओं में प्रमुख खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement for major procurement in new Projects.
8	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान-सामान्य सुविधाएं-जीएसओ	3401.00.200.04.00.31	4.00	2.00	घरेलू यात्रा व्यय, एलटीसी, अन्य

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Atomic Energy Research- Common Facilities - GSO				कार्यालय व्यय आदि के लिए। For domestic travel expenses, LTC, other Office expenses etc.
9	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत व्यय - परमाणु ऊर्जा की औद्योगिक परियोजनाएं - भारी जल परियोजनाओं का सुधार/ संशोनिधि Capital Outlay on Atomic Energy Industries- Industrial Projects of Atomic Energy- Improvement/ Modification of Heavy Water Projects	4861.03.212.01.00.52	27.09	5.58	हैवी वाटर स्टोरेज टैंक के लिए डीडी वाल्व, डीजी सेट और पीईबी, कैरेकर कैटलिस्ट, एयर जेट मिल आदि के लिए । For DD valves, DG set and PEB for Heavy water storage tanks, caraker catalyst, air jet mill etc.
10	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय - मेगा विज्ञान परियोजनाओं के अनुसंधान परियोजनाएं Capital Outlay on Atomic Energy Research-Research Projects of Mega Science Projects	5401.00.401.07.00.71	5.86	16.21	एसकेए परियोजना के लिए भुगतान करने हेतु । For making payment towards SKA Project
11	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत व्यय - भारी जल उत्पादन Capital Outlay on Atomic Energy Industries- Heavy Water Production	4861.01.204.22.01.71	0.10	1.77	एचडब्ल्यूपी कोटा में रैक माउंट करने योग्य सर्वर, 98 इंच का डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल और प्रिंटर की खरीद। एचडब्ल्यूपी, तूतीकोरिन में सीसीटीवी की खरीद। Procurement of Rack mountable server, 98" Digital interactive Panel and printers, at HWP Kota. Procurement of CCTV at HWP,

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Tutocorin.
12	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत व्यय - परमाणु ऊर्जा की औद्योगिक परियोजनाएं - धन पुनर्चक्रण परियोजनाएं Capital Outlay on Atomic Energy Industries- Industrial Projects of Atomic Energy-Fuel Recycle Projects	4861.03.212.09.00.71	2.32	0.68	एनएफसी, कोटा प्लांट में प्रिंटर और कंप्यूटर की खरीद के लिए For procurement of Printers, computers at NFC, Kota Plant
13	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान - अनुसंधान एवं विकास (बीएआरसी) Atomic Energy Research -Research and Development (BARC)	3401.00.004.22.01.31	0.10	0.12	इस शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय के लिए। For additional expenditure under the head.
14	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान - अनुसंधान और विकास (वीईसीसी) Atomic Energy Research -Research and Development (VECC)	3401.00.004.26.01.31	0.00	0.00	इस शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय के लिए। (पुनर्विनियोजन राशि रु. 0.0025 करोड़ है)। For additional expenditure under the head. (Amount re-appropriated is Rs. 0.0025 crore).
15	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान परियोजना - मेगा विज्ञान परियोजनाएं Capital Outlay on Atomic Energy Research- Research Project of Atomic Energy-Mega Science Projects	5401.00.401.07.00.78	0.01	3.84	लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (एलआईजीओ) परियोजना के लिए भूमि क्रय। Procurement of land for Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory(LIGO) Project.
16	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान-आवास पर पूंजीगत व्यय	5401.00.283.19.01.71	4.18	2.12	विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Capital Outlay on Atomic Energy Research-Housing				आवश्यकता के लिए। For additional requirement under various projects.
17	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान - अनुसंधान और विकास (आरआरसीएटी) Atomic Energy Research -Research and Development (RRCAT)	3401.00.004.24.01.36	5.00	0.45	अनुदान-सहायता-वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता के लिए। For additional requirement under grant-in-aid-salaries.
18	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान - आईजीसीएआर का अनुसंधान केंद्र Atomic Energy Research - Research Centre of IGCAR	3401.00.004.23.01.31	0.06	0.04	बिजली बिल और पानी के शुल्क के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement for electricity bills, water charges.
19	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान परियोजनाएं - मेगा विज्ञान परियोजनाएं Capital Outlay on Atomic Energy Research-Research Projects of Atomic Energy-Mega Science Projects	5401.00.401.07.00.52	22.73	1.50	तीस मीटर दूरबीन के लिए उपकरणों की खरीद हेतु। For procurement of equipments for Thirty Meter Telescope.
20	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत व्यय - परमाणु ऊर्जा की औद्योगिक परियोजनाएं - परमाणु धन निर्माण परियोजनाएं - आईसीटी Capital Outlay on Atomic Energy Industries-Industrial Projects of Atomic Energy-Nuclear Fuel Fabrication Projects-ICT	4861.03.212.05.00.71	3.90	13.91	तृतीकोरिन स्थित एचडब्ल्यूपी में सर्वर, ईपीबीएक्स सुविधा, सीसीटीवी, नए कंप्यूटर आदि की खरीद। वोडोदरा स्थित एचडब्ल्यूबीएफ और मनुगुरु स्थित एचडब्ल्यूपी में सर्वर, 24 इंच आईपीएस स्क्रीन वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम आदि की खरीद। Procurement of Server, EPBAX

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Facility, CCTV, New Computers etc at HWP, Tuticorin. Procurement of servers, 24" IPS Screen Video Conference system etc at HWBF, Vododara and HWP, Manuguru
21	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान - आरआरसीएटी का अनुसंधान केंद्र Atomic Energy Research - Research Centre of RRCAT	3401.00.004.24.01.31	0.75	0.25	बिजली बिल और पानी के शुल्क के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement for electricity bills, water charges.
22	परमाणु अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय - आवास Capital Outlay on Atomic Research -Housing	5401.00.283.19.02.72	36.80	0.02	आवास के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement for Housing.
23	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत व्यय - परमाणु ऊर्जा उद्योगों की औद्योगिक परियोजनाएं - परमाणु धन निर्माण परियोजनाएं - भवन और संरचना Capital Outlay on Atomic Energy Industries- Industrial Projects of Atomic Energy Industries- Nuclear Fuel Fabrication Projects -Building and Structure	4861.03.212.05.00.72	64.23	66.19	एचडब्ल्यूपी, मनागुरु में डी2ओ भंडारण के लिए शेड का निर्माण Construction of shed for D2O storage at HWP, Managuru
24	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत व्यय - भारी जल उत्पादन Capital outlay on Atomic Energy Industries- Heavy Water Production	4861.01.204.22.01.52	0.01	2.16	एचडब्ल्यूपी, तूतीकोरिन में लैप उपकरण, कैरी क्रेन, गैस क्रोमेटोग्राफ, आयन क्रोमेटोग्राफ आदि की खरीद। Procurement of Lap equipments, Carry Crane, Gas

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Chromatograph, Ion Chromatograph etc. at HWP , Tuticorin.
25	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय - जन जागरूकता और प्रबंधन कार्यक्रम Capital Outlay on Atomic Energy Research - Public Outreach and Management Programme	5401.00.401.08.00.72	12.00	8.00	बहादुरगढ़ में जीसीएनईपी के लिए भूमि क्रय Procurement of land for GCNEP, Bahadurgarh
26	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय - सचिवालय आर्थिक सेवा (डीएई) Capital Outlay on Other General Economic Services - Secretariat Economic Service (DAE	5475.00.001.01.21.71	0.36	1.00	सचिवालय के कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिए 200 कंप्यूटरों की खरीद। Procurement of 200 computers for Secretariat Staff / Officers
27	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत व्यय - भारी जल उत्पादन Capital Outlay on Atomic Energy Industries- Heavy Water Production	4861.01.204.22.01.72	0.01	0.49	विभिन्न भारी जल संयंत्रों में भवनों का नवीनीकरण Renovation of Buildings at various Heavy Water Plants
28	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान परियोजनाएं - मेगा विज्ञान परियोजनाएं Capital Outlay on Atomic Energy Research-Research Projects of Atomic Energy-Mega Science Projects	5401.00.401.07.00.78	0.01	3.15	एलआईजीओ परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण Procurement of land for LIGO Project

अनुलग्नक / Annexure

आयुष मंत्रालय
Ministry of Ayush

मांग संख्या - 4

Demand No. - 4

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं. S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई Central Council for Research in Siddha, Chennai	2210.05.104.0 2.00.36	32.00	3.01	वेतन और भत्तों के संवितरण के लिए। For disbursement of salary and allowances.
2	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड National Medicinal Plants Board	4250.00.001.0 3.03.71	0.10	0.03	पुराने कंप्यूटरों के स्थान पर नए कंप्यूटरों की खरीद के लिए। For procurement of new computers in the place of old.
3	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi	2210.02.101.0 8.00.36	36.00	10.00	वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए। For disbursement of salary and allowances.
4	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन Promotion of International Cooperation	2210.02.001.1 7.00.31	27.50	4.00	पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए, अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) के साथ समझौता जापान के वित्तीय निहितार्थों को पूरा करने और विदेशों में आयुष अध्यक्षा के प्रतिनियुक्ति के लिए। For second World Health Organization (WHO) Annual Summit on

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Traditional Medicines, to meet the financial implication of the MoU with Research and Information System (RIS) and deputation of Ayush Chairs in abroad.
5	सचिवालय Secretariat	4250.00.001.0 1.14.71	47.40	0.00	सचिवालय (आई. सी. टी.) - आयुष ग्रिड परियोजना के विकास चरण के लिए शेष राशि के भुगतान हेतु। (पुनः विनियोजन राशि 0.0020 करोड़ रुपये) Secretariat (ICT) - For payment of balance amount to Ayush Grid project for its development phase. (Re-appropriation amount is Rs. 0.0020 Cr)
6	पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट North Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research, Passighat	2552.00.447. 06.00.35	9.00	13.72	अतिरिक्त अवसंरचना के निर्माण और पूंजीगत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए। For construction of additional Infrastructure and procurement of capital requirement.
7	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान Grants to National Institute of Ayurveda (NIA), Jaipur	2210.05.101.0 2.01.35	30.00	34.00	एनआईए, पंचकुला परियोजना में लागत वृद्धि और अन्य खरीद के लिए। For escalation cost and other procurement in NIA, Panchkula Project.
8	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान Grants to Central Council for Research in Homoeopathy	2210.05.102.0 2.01.36	69.00	6.00	वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए। For disbursement of salary and allowances.
9	आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान Institute of Teaching and Research in Ayurveda	2210.05.101.13 .00.36	40.00	2.00	वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए। For disbursement of salary and allowances.
10	आयुर्वेद शिक्षण एवं	2210.05.101.13	80.15	77.03	गोरनिधिपर, जामनगर में

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	अनुसंधान संस्थान Institute of Teaching and Research in Ayurveda	.00.35			विश्व स्वास्थ्य संगठन- वैश्विक पारंपरिक दवाई केंद्र (डब्ल्यूएचओ- जीटीएमसी) परियोजना के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) को भुगतान हेतु। For making payment to Central Public Works Department (CPWD) for construction of World Health Organization- Global Traditional Medicine Centre (WHO-GTMC) project at Gordhanpar, Jamnagar.
11	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान Grants to Central Council for Research in Homoeopathy	2210.05.102.0 2.01.31	65.00	10.80	नए शोध परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/ स हयोगात्मक अध्ययनों की शुरुआत के लिए। For initiating new research projects/ Programmes/ collaborative studies.
12	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता National Institute of Homoeopathy (NIH), Kolkata	2210.05.102.0 1.96.31	0.35	0.05	एनआईएच, नरेला जोकि एनआईएच, कोलकाता के अंतर्गत एक इकाई है, के संचालन के लिए एजेंसी की नियुक्ति हेतु। For hiring agency for functioning of NIH, Narela a unit under NIH, Kolkata.
13	केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Ayurvedic Sciences	2210.05.101.0 4.01.36	215.00	3.00	वेतन और भत्तों के संवितरण के लिए। For disbursement of salary and allowances.
14	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi	2210.05.101.0 6.00.31	28.00	0.27	गुरु-शिष्य पाठ्यक्रम के लिए। For Guru Shishyas Course.
15	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई Central Council for Research in Siddha, Chennai	2210.05.104.0 2.00.36	32.00	0.87	वेतन और भत्तों के संवितरण के लिए। For disbursement of salary and allowances.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

16	केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Ayurvedic Sciences	2210.05.101.0 4.01.35	70.00	30.00	रोहिणी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के नए भवन के निर्माण के लिए। For construction of new building 100 bed Hospital and Research Centre at Rohini.
17	केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Ayurvedic Sciences	2210.05.101.0 4.01.31	140.00	0.49	भर्ती एजेंसी को भुगतान तथा नए/ चल रहे अनुसंधान परियोजनाओं के लिए। For payment to recruitment agency and new/ ongoing research projects.
18	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi	2210.02.101.0 8.00.31	120.00	45.00	एआईआईए, दिल्ली और गोवा के परिचालन और रखरखाव लागत के लिए। For operational and maintenance cost of AIIA, Delhi and Goa.
19	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur	2210.05.101.0 2.01.31	80.00	4.91	अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। For enhancing the research related activities.
20	आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान Institute of Teaching and Research in Ayurveda	2210.05.101.13 .00.31	45.00	16.41	स्नातक (यूजी) प्रशिक्षुओं को वजीफा भुगतान, अंतःरोगी विभाग (आईपीडी) और बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) खर्चों के भुगतान के लिए। For payment of stipend to Under-graduate (UG) Interns, In-Patient Department (IPD) and Out Patient Department (OPD) expenses.
21	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान Morarji Desai National Institute of Yoga	2210.05.200.0 5.01.31	1.50	0.50	योग प्रमाणन बोर्ड के लिए। For Yoga Certification Board.
22	आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान Institute of Teaching and Research in Ayurveda	2210.05.101.13 .00.36	40.00	3.60	वेतन और भत्तों के संवितरण के लिए। For disbursement of salary and allowances.
23	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान	2210.05.101.0 2.01.31	80.00	30.09	अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur				के लिए। For enhancing the research related activities.
24	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur	2210.05.101.0 2.01.36	65.00	3.76	वेतन और भत्तों के संवितरण के लिए। For disbursement of salary and allowances.
25	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता National Institute of Homoeopathy (NIH), Kolkata	2210.05.102.0 1.96.31	0.35	0.00	एनआईएच, नरेला जोकि एनआईएच, कोलकाता के अंतर्गत एक इकाई है, के संचालन के लिए एजेंसी की नियुक्ति हेतु। (पुनः विनियोजन राशि 0.0035 करोड़ रुपये) For hiring agency for functioning of NIH, Narela a unit under NIH, Kolkata. (Re-appropriation amount of Rs. 0.0035 cr)
26	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Homoeopathy	2210.05.102.0 2.01.31	65.00	2.00	नए शोध परियोजनाओं, कार्यक्रमों और सहयोगात्मक अध्ययनों को शुरू करने के लिए। For initiating new research projects, programmes and collaborative studies.
27	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई Central Council for Research in Siddha, Chennai	2210.05.104.0 2.00.31	24.00	0.06	जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन के लिए। For conducting awareness and capacity building programmes.
28	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur	2210.05.796.0 1.00.31	0.60	0.20	राजस्थान के अनुसूचित जनजाति (एसटी) क्षेत्रों में शिविरों के आयोजन के लिए। For organizing the camps in Scheduled Tribes (ST) areas in Rajasthan.
29	केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Ayurvedic Sciences	2210.05.796.0 2.00.31	16.31	0.55	आउटसोर्स किए गए वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं को बढ़े हुए पारिश्रमिक के भुगतान के लिए। For payment of increased remuneration

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					to outsourced Senior Research Fellows.
30	केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Ayurvedic Sciences	2210.05.101.0 4.01.31	140.00	27.61	भर्ती एजेंसी को भुगतान तथा नए/ चल रहे अनुसंधान परियोजनाओं के लिए। For payment to recruitment agency and new/ ongoing research projects.
31	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता National Institute of Homoeopathy (NIH), Kolkata	2210.05.102.0 1.00.31	51.30	0.06	एनआईएच, नरेला जोकि एनआईएच, कोलकाता के अंतर्गत एक इकाई है, के संचालन के लिए एजेंसी की नियुक्ति हेतु। For hiring agency for functioning of NIH, Narela a unit under NIH, Kolkata.
32	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई National Institute of Siddha, Chennai	2210.05.104.0 1.00.31	50.00	0.21	आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को वजीफा और पारिश्रमिक के भुगतान के लिए। For payment of stipend and remuneration to outsourced staff.
33	औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants	2210.02.796.0 5.01.31	0.00	4.99	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत पोषण वाटिका के निर्माण हेतु। इस शीर्ष को पहली अनुदानों के पूरक मांगे 2025-26 द्वारा बढ़ाया गया था। For creation of Poshan Vatika under Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan. The Head was augmented through 1st batch of Supplementary Demands for Grants 2025-26.
34	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान Grants to Central Council for Research in Homoeopathy	2210.05.102.0 2.01.31	65.00	1.20	नए शोध परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/ सहयोगात्मक अध्ययनों की शुरुआत के लिए। For initiating new research projects/ Programmes/ collaborative studies.

अनुलग्नक / Annexure

औषध विभाग
Department of Pharmaceuticals

मांग संख्या - 7
Demand No. - 7

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICALS EDUCATION AND RESEARCH (NIPER)	2852.05.206.02.15.35	48.00	81.00	4 एन. आई. पी. ई. आर. में निर्माण गतिविधियों के लिए निधि की आवश्यकता है। Funds are required for construction activities in 4 NIPERs.
2	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICALS EDUCATION AND RESEARCH (NIPER)	2852.05.206.02.15.31	46.40	2.68	प्रतिबद्ध और परिचालन व्यय (अनुबंधित सेवाएं, उपयोगिताएँ, रखरखाव और संस्थागत ओवरहेड) के लिए निधि की आवश्यकता है। Funds are required for committed and operational expenditure (contractual services, utilities, maintenance and institutional overheads).
3	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	2852.05.789.01.00.36	7.10	6.80	सामान्य व्यय और प्रशासनिक खर्चों के लिए

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	(एनआईपीईआर) NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICALS EDUCATION AND RESEARCH (NIPER)				निधि की आवश्यकता है। Funds are required for General expenditure and administrative over heads.
4	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICALS EDUCATION AND RESEARCH (NIPER)	2852.05.796.01.00.36	3.50	3.50	सामान्य व्यय और प्रशासनिक खर्चों के लिए निधि की आवश्यकता है। Funds are required for General expenditure and administrative over heads.
5	सचिवालय-आर्थिक सेवा औषधि विभाग SECRETARIAT- ECONOMIC SERVICES DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS	5475.00.001.01.28.71	0.55	0.10	आईसीटी अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए निधि की आवश्यकता है। Funds are required for provisioning of ICT infrastructure.
6	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICALS EDUCATION AND RESEARCH (NIPER)	2852.05.206.02.15.35	48.00	9.00	4 एनआईपीईआर के निर्माण कार्यों के अंतिम चरण के लिए निधि की आवश्यकता है। Funds are required for final stage of construction activities for 4 NIPERs.
7	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICALS EDUCATION AND RESEARCH (NIPER)	2552.00.462.01.00.35	1.07	4.00	सामान्य व्यय और प्रशासनिक खर्चों के लिए निधि की आवश्यकता है। Funds are required for General expenditure and administrative over heads.

अनुलग्नक / Annexure

नागर विमानन मंत्रालय
Ministry of Civil Aviation

मांग संख्या - 8
Demand No. - 8

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	नागरिक उड्डयन महानिदेशक Director General of Civil Aviation	5053.80.001.01.01.71	2.50	1.35	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु। To meet expenditure for procurement of ICT equipment.
2	नागरिक उड्डयन महानिदेशक Director General of Civil Aviation	5053.80.001.01.01.71	2.50	0.15	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु। To meet expenditure for procurement of ICT equipment.

अनुलग्नक / Annexure

कोयला मंत्रालय
Ministry of Coal

मांग संख्या - 9
Demand No. - 9

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं Secretariat-Economic Services	5475.00.001.01.43.52	0.50	0.12	इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईपीबीएक्स सिस्टम आदि) की खरीद के लिए। For procurement of electronic equipment (EPBAX system etc.)
2	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं Secretariat-Economic Services	5475.00.001.01.43.71	0.60	0.25	लैपटॉप और कंप्यूटर की खरीद के लिए। For procurement of Laptops and Computers.

अनुलग्नक / Annexure

वाणिज्य विभाग
Department of Commerce

मांग संख्या - 10
Demand No. - 10

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	केंद्रीय बिक्री कर/ शुल्क वापसी Central Sales Tax/ Duty Drawback	3453.00.194.03.00.33	181.90	0.24	एसईजेड को केंद्रीय बिक्री कर/ शुल्क वापसी प्रतिपूर्ति के लिए निधि जारी करने के लिए। To release the funds to SEZs for the Central Sales Tax/ Duty Drawback reimbursement.
2	विदेश व्यापार महानिदेशालय Directorate General of Foreign Trade	5475.00.001.02.10.52	0.00	0.05	मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Machinery and Equipment.
3	व्यापार आयुक्त Trade Commissioner	5475.00.001.02.11.52	0.03	0.40	मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Machinery and Equipment.
4	मसाला बोर्ड	2407.04.800.05.01.33	56.64	4.37	मसाला बोर्ड के अंतर्गत

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Spices Board				राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से संबंधित गतिविधियों को कार्यान्वित करना। To implement the activities pertaining to National Turmeric Board within Spices Board.
5	व्यापार आयुक्त Trade Commissioner	5475.00.001.02.11.71	0.17	0.64	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों के अंतर्गत होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment.
6	संस्थानों को सहायता आईआईएफटी Assistance To Institutions : IIFT	3453.00.194.06.04.35	24.99	26.83	कार्यों के दायरे के लिए भुगतान में वैधानिक अनुमोदन, डिजाइन और रेखाचित्र, मृदा परीक्षण, स्थलाकृति सर्वेक्षण आदि शामिल हैं। Payment for the scope of works including statutory approvals, design and drawings, soil testing, topography survey etc.
7	संस्थानों को सहायता: आईआईएफटी Assistance To Institutions : IIFT	3453.00.194.06.04.35	24.99	1.61	कार्यों के दायरे के लिए भुगतान में वैधानिक अनुमोदन, डिजाइन और रेखाचित्र, मृदा परीक्षण, स्थलाकृति सर्वेक्षण आदि शामिल हैं। Payment for the scope of works including statutory approvals, design and drawings, soil testing, topography survey etc.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

8	काँफी बोर्ड Coffee Board	2407.02.800.07.01.31	27.00	3.55	लंबित देनदारियों का निर्वहन करना। To discharge pending liabilities.
9	काँफी बोर्ड Coffee Board	2407.02.016.02.01.33	70.00	10.00	लंबित देनदारियों का निर्वहन करना। To discharge pending liabilities.
10	विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र Vizag Export Processing Zones	5453.08.001.01.00.71	0.05	0.05	कंप्यूटर, लैपटॉप और दूरसंचार उपकरणों की खरीद। Procuring PCs, Laptops and telecommunication devices
11	व्यापार आयुक्त Trade Commissioner	5475.00.001.02.11.52	0.03	0.16	मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Machinery and Equipment.
12	मसाला बोर्ड Spices Board	2407.04.800.05.01.33	56.64	2.00	मसाला बोर्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से संबंधित गतिविधियों को कार्यान्वित करना। To implement the activities pertaining to National Turmeric Board within Spices Board.
13	काँफी बोर्ड Coffee Board	2407.02.789.02.01.33	3.30	1.20	लंबित देनदारियों का निर्वहन करना। To discharge pending liabilities.
14	मसाला बोर्ड Spices Board	2407.04.015.02.01.31	29.32	0.68	मसाला बोर्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से संबंधित गतिविधियों को कार्यान्वित करना। To implement the activities pertaining to National Turmeric Board within Spices Board.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

15	केंद्रीय बिक्री कर/ शुल्क वापसी Central Sales Tax/ Duty Drawback	3453.00.194.03.00.33	181.90	0.15	एसईजेड को केंद्रीय बिक्री कर/ शुल्क वापसी रिम्बर्समेंट के लिए निधि जारी करने के लिए। To release the funds to SEZs for the Central Sales Tax/ Duty Drawback reimbursement.
16	मसाला बोर्ड Spices Board	2407.04.800.05.01.31	21.00	0.50	मसाला बोर्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से संबंधित गतिविधियों को कार्यान्वित करना। To implementing the activities pertaining to National Turmeric Board within Spices Board.

अनुलग्नक / Annexure

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
Department for Promotion of Industry and Internal Trade

मांग संख्या - 11

Demand No. - 11

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं. S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme / Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	स्वायत्त निकायों के लिए परियोजना आधारित सहायता Project Based Support to Autonomous Bodies	2852.80.188.01. 03.35	1.30	0.20	वृक्षारोपण परियोजना के अंतर्गत मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से संबंधित उपकरणों और छायांकनों के निर्माण पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए। Towards additional expenditure on equipment related to soil testing Lab and Build of Shades under the plantation project.
2	स्वायत्त निकायों के लिए परियोजना आधारित सहायता Project Based Support to Autonomous Bodies	2852.80.188.01. 03.36	0.90	0.26	वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए। For payment of salary and allowances.
3	स्वायत्त निकायों को सहायता Assistance to Autonomous Bodies	2852.80.102.04. 01.36	3.00	7.00	वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए। For payment of salary and allowances.
4	स्वायत्त निकायों के लिए परियोजना आधारित सहायता Project Based Support to	2852.80.188.01. 01.31	20.00	1.40	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों में अवसंरचना के रखरखाव पर होने वाले सामान्य व्यय को पूरा करने के लिए। To meet general

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Autonomous Bodies				expenditure in National Institutes of Design on infrastructure maintenance.
5	स्वायत्त निकायों के लिए परियोजना आधारित सहायता Project Based Support to Autonomous Bodies	2552.00.147.08.00.35	1.00	2.00	एनआईडी को शैक्षणिक और सहायक सेवाएं प्रदान करने से संबंधित कार्यशालाओं/ प्रयोगशालाओं/ स्टूडियो/ आईटी और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के भुगतान के लिए। For payment towards workshops/ Labs/ Studio / IT and other Academic activities in relation to Academic and support services to the NIDs.
6	स्वायत्त निकायों के लिए परियोजना आधारित सहायता Project Based Support to Autonomous Bodies	2852.80.188.01.01.36	48.46	2.05	नई भर्तियों और भत्तों में वृद्धि के कारण वेतन व्यय हेतु। Towards salary expenditure on account of fresh recruitments and increase in allowances.
7	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास Industrial Development of UT of Jammu & Kashmir	2885.02.101.19.04.33	130.18	62.98	वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े प्रोत्साहनों (जीएसटीएलआई) के लिए पिछली अवधियों के दावों का निपटारा करना। To clear claims for previous periods for Goods & Services Tax Linked Incentives (GSTLI).
8	स्थापना (सीजीपीडीटीएम) Establishment (CGPDTM)	4875.60.001.03.01.71	0.10	0.60	नए भवनों में सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए प्रिंटर, स्कैनर, अतिरिक्त सीसीटीवी और ऑडियो-वीडियो सेटअप की खरीद के लिए। Towards procurement of Printers, Scanners, Additional CCTV for safety requirements and

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Audio Video Setup in new buildings.
9	स्वायत्त निकायों को सहायता Assistance to Autonomous Bodies	2852.80.003.16. 02.36	6.00	1.60	विभिन्न कैडरों के अंतर्गत 26 नियमित पदों पर भर्ती के लिए व्यय के लिए। For expenditure towards recruitment in 26 regular posts under various cadre.
10	पेटेंट और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम) Infrastructure Development in Controller General of Patents and Trade Marks	4059.01.051.24. 00.71	1.00	5.26	आई.पी.ओ. दिल्ली में रेलटेल क्लाउड, ओरेकल क्लाउड और नव-नियुक्त कर्मचारियों के लिए सिस्टम प्रणालियों हेतु बायोमेट्रिक प्रवेश द्वार (चेहरा पहचान) की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु To meet additional expenditure towards Procurement of biometric entry door (Face Recognition) at IPO Delhi, RailTel Cloud, Oracle Cloud and systems for newly recruited employees.
11	वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता Budgetary support under Goods and Service Tax Regime	2885.02.101.16. 00.33	273.23	15.00	सीबीआईसी द्वारा अतिरिक्त निधि की आवश्यकता संबंधी संशोधित मांग के कारण है। लागू जीएसटी दरों में हालिया बदलाव के कारण संशोनिधि आवश्यक हो गया है। Excess is due to the fund requirement projected by CBIC. The revision has been necessitated due to the recent change in the applicable GST rate.
12	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास Industrial Development of UT of Jammu & Kashmir	2885.02.101.19. 01.33	60.00	20.00	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के उन दावों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु, जो पिछले वर्ष से आगे ले गए रहे हैं। To meet additional expenditure towards Confederation of Indian Industry(CII) claims carried forward from the previous year.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

13	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास Industrial Development of UT of Jammu & Kashmir	2885.02.101.19. 04.33	130.18	15.00	वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े प्रोत्साहनों (जीएसटीएलआई) के लिए पिछली अवधियों के दावों का निपटारा करना। To clear claims for previous periods for Goods & Services Tax Linked Incentives (GSTLI).
14	बौद्धिक संपदा अधिकार नीति प्रबंधन IPR Policy Management	3475.00.102.11. 12.31	4.50	2.10	एसपीआरआईएचए योजना के तहत 8 विश्वविद्यालयों को जारी अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure towards the Grant released to 8 Universities under SPRIHA Scheme.
15	स्थापना (डीपीआईआईटी) Establishment (DPIIT)	4875.60.001.01. 01.71	3.00	1.60	अवसंरचना के उन्नयन, वाई-फाई इंस्टॉलेशन और अप्रचलित प्रणालियों के प्रतिस्थापन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure towards infrastructure upgradation, Wi-Fi installations, and replacement of obsolete systems.
16	स्थापना (सीजीपीडीटीएम) Establishment (CGPDTM)	4875.60.001.03. 01.52	0.20	2.30	विभिन्न आईपीओ के लिए यूपीएस और एसी की खरीद और चेन्नई आईपीओ में लिफ्ट के प्रतिस्थापन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure towards procurement of UPS, ACs for different IPOs and replacement of Lift at IPO Chennai.
17	स्थापना (डीपीआईआईटी) Establishment (DPIIT)	4875.60.001.01. 01.52	0.17	0.23	एनआईसी, एनओसी (उद्योग भवन) में पुराने हो चुके रूफटॉप सेंट्रलाइज्ड एसी को बदलने और चालू वित्त वर्ष (25-26) की शेष अवधि के दौरान अन्य विद्युत वस्तुओं की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					To meet additional expenditure towards replacement of obsolete rooftop centralised AC in NIC, NOC (Udyog Bhawan) & for procurement of other electrical items during remaining period of current FY (25-26).
18	स्टार्टअप इंडिया सीड निधि स्कीम (एस आई एस एफ एस) Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)	4875.60.190.07. 00.54	0.01	60.00	योजना के विस्तार के कारण योजना व्यय में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards scheme expenditure due to extension of the scheme.
19	स्टार्टअप इंडिया सीड निधि स्कीम (एस आई एस एफ एस) Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)	4875.60.190.07. 00.54	0.01	15.00	योजना के विस्तार के कारण योजना व्यय में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards scheme expenditure due to extension of the scheme.
20	बौद्धिक संपदा अधिकार नीति प्रबंधन IPR Policy Management	2552.00.238.12. 00.31	0.55	0.23	एसपीआरआईएचए योजना के तहत पूर्वोक्त क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure towards Grant to Universities of NER region under SPRIHA Scheme.
21	स्वायत्त निकायों के लिए परियोजना आधारित सहायता Project Based Support to Autonomous Bodies	2852.80.188.01. 05.35	5.00	8.35	इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन (आईआरएमआरए) के बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए। To meet additional expenditure towards supporting infrastructure development towards Indian Rubber Manufacturers Research Association (IRMRA).
22	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास	2885.02.101.19. 01.33	60.00	15.00	सीआईआई के 30 करोड़ रुपये के दावों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Industrial Development of UT of Jammu & Kashmir				To meet additional expenditure for payment of Rs. 30 crore worth of CII claims.
23	स्वायत्त निकायों के लिए परियोजना आधारित सहायता Project Based Support to Autonomous Bodies	2552.00.147.08. 00.31	6.50	0.80	असम के एनआईडी में बुनियादी ढांचे के रखरखाव, पाठ्यक्रमों और छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards increase in infrastructure maintenance, courses and students in the NID, Assam (NER).
24	स्वायत्त निकायों के लिए परियोजना आधारित सहायता Project Based Support to Autonomous Bodies	2852.80.188.01. 01.31	20.00	4.70	असम के एनआईडी को छोड़कर विभिन्न एनआईडी में बुनियादी ढांचे के रखरखाव, पाठ्यक्रमों और छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards increase in infrastructure maintenance, courses and students in the various NIDs excluding NID, Assam.
25	स्वायत्त निकायों के लिए परियोजना आधारित सहायता Project Based Support to Autonomous Bodies	2852.80.188.01. 02.31	0.00	3.12	एमईआईटीवाई द्वारा जारी साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए ई-ऑफिस लाइट (ई-फाइल) के उन्नयन और ई-ऑफिस लाइट (स्पैरो) के कार्यान्वयन के साथ-साथ क्षमता निर्माण - मानव संसाधन और आईटी/ डिजिटल अवसंरचना के उन्नयन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure towards upgradation of e-Office Lite (eFile) & implementation of e-Office Lite (SPARROW) to comply with the cyber security guidelines issued by MeitY and Capacity Building- Upgrading Human

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Resources and IT/ Digital Infrastructure.
26	स्वायत्त निकायों के लिए परियोजना आधारित सहायता Project Based Support to Autonomous Bodies	2852.80.188.01. 05.35	5.00	4.15	इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन (आईआरएमआरए) के बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए। To meet additional expenditure towards supporting infrastructure development towards Indian Rubber Manufacturers Research Association (IRMRA).

अनुलग्नक / Annexure

डाक विभाग
Department of Posts

मांग संख्या - 12
Demand No. - 12

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं. S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	आई. टी. आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 IT MODERNIZATION PROJECT 2.0	5201.00.104.64.07.71	66.20	33.80	डाक और लॉजिस्टिक्स के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के ऑनबोर्डिंग और संपर्क केंद्र सेवा प्रदाता (सी. एस. पी.), सर्कल के लिए फील्ड इन्फ्रा और डेटा सेंटर के लिए सुरक्षा उपकरणों आदि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए। To meet expenditure for onboarding of the System Integrator for Postal and Logistics and the contact Centre Service Provider (CSP), field

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					infrastructure for circles, and security tools for the Data Centre, etc.
2	आई. टी. आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 IT MODERNIZATION PROJECT 2.0	5201.00.104.64.03.71	95.00	80.00	पी. ओ. एस. बी. तंत्र के प्रबंधन के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आई.पी.पी. बी.) को भुगतान के लिए खर्च को पूरा करने के लिए। To meet expenditure for making payments to India Post Payments Bank (IPPB) for managing POSB system.
3	व्यवसाय विकास और विपणन का आधुनिकीकरण/ कम्प्यूटरीकरण, Modernisation/ Computerisation of Business Development & Marketing	5201.00.104.18.00.71	1.02	0.15	व्यवसाय विकास और विपणन में अतिरिक्तता को बढ़ाने के लिए। To augment additionalities in Business Development & Marketing.

अनुलग्नक / Annexure

दूरसंचार विभाग
Department of Telecommunications

मांग संख्या - 13
Demand No. - 13

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	निगरानी सेवाएं - सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण Monitoring Services- Information, Computer, Telecommunications(ICT) equipments	5275.00.101.04.00.71	0.21	0.10	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipments.

अनुलग्नक / Annexure

उपभोक्ता मामले विभाग
Department of Consumer Affairs

मांग संख्या - 14

Demand No. - 14

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	बाट और माप बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण Strengthening of Weights and Measures Infrastructure	5475.00.102.13.00.52	16.00	2.00	बाट एवं माप प्रणाली को सुदृढ करने के लिए राज्यों को मानक उपकरण की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए। To meet additional expenditure for supply of standard equipment to States for strengthening of Weights & Measures.
2	उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग Consumer Disputes Redressal Commission	5475.00.102.21.01.71	0.15	2.16	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for purchase of ICT equipment.

अनुलग्नक / Annexure

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
Department of Food and Public Distribution

मांग संख्या - 15
Demand No. - 15

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण Warehousing Development and Regulatory Authority	2408.02.103.01.00.31	10.00	11.45	डब्ल्यूडीआरए पोर्टल के कार्यान्वयन और रखरखाव तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for implementation and maintenance of WDRA portal and other administrative expenses.
2	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)	2408.01.789.11.01.33	11617.28	1098.68	खाद्य सब्सिडी की बढ़ती मांग के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure for increase in demand of food subsidy.
3	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)	2408.01.796.17.02.33	3695.96	0.01	एससीएन पोर्टल के माध्यम से हुए 0.005 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure of Rs.0.005 cr incurred through SCAN portal.

अनुलग्नक / Annexure

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
Ministry of Corporate Affairs

मांग संख्या - 17
Demand No. - 17

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग Competition Commission of India	3451.00.090.05.06.36	33.00	0.42	प्रतिनियुक्ति के आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए। For filling up of vacant posts on a deputation basis.
2	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) National Financial Reporting Authority (NFRA)	3475.00.105.06.00.36	16.00	3.00	रिक्तियों को भरने से उत्पन्न व्यय के कारण। Due to expenditure arising from filling up of vacancies.
3	एमसीए (मुख्यालय) MCA (Headquarters)	5475.00.001.01.20.71	2.04	11.31	अनुप्रयोग-आधारित परिवर्तनों, डेटा निष्कर्षण उपयोगिता और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे की लागत को पूरा करने के लिए। To meet infrastructure costs for application-based changes, data extraction utility, and storage.
4	कंपनी अधिनियम के	5475.00.001.03.09.52	0.03	0.04	माननीय उच्च न्यायालय

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार Registrar of Companies under Companies Act				के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की अस्थायी स्थापना के लिए 7 एसी खरीदने के लिए। For purchasing 7 ACs for temporary setup of National Company Law Tribunal as per Hon'ble High Court directions.
5	कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार Registrar of Companies under Companies Act	5475.00.001.03.09.71	0.09	0.29	सरकारी उपयोग के लिए प्रिंटर, स्कैनर और डेस्कटॉप / लैपटॉप की खरीद के लिए। For procurement of printers, scanners, and desktops/ laptops for official use.
6	क्षेत्रीय निदेशक (आरडी) Regional Directors(RDs)	5475.00.001.03.10.71	0.03	0.28	पात्र अधिकारियों के लिए लैपटॉप, कार्यालय उपयोग के लिए डेस्कटॉप आदि की खरीद के लिए। For procurement of laptops for entitled officers, desktops for office use, etc.
7	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण Investors Education & Protection Fund (IEPF) Authority	5475.00.001.03.11.71	0.70	0.23	पात्र अधिकारियों के लिए लैपटॉप की खरीद के लिए। For procurement of laptops for eligible officers.
8	गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) Serious Fraud Investigation Office (SFIO)	5475.00.001.03.13.71	5.00	1.25	आईसीटी उपकरण, फर्नीचर, पुस्तकालय की किताबें और सरकारी उपयोग के लिए विशेष सॉफ्टवेयर / उपकरणों की खरीद के लिए। For procurement of ICT Equipment,

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					furniture, library books, and specialized software/ tools for official use.
9	एमसीए (मुख्यालय) MCA (Headquaters)	5475.00.001.01.20.71	2.04	36.65	एमसीए 21 परियोजना के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है Additional Funds are required for MCA 21 Project

अनुलग्नक / Annexure

संस्कृति मंत्रालय
Ministry of Culture

मांग संख्या - 18
Demand No. - 18

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी National Gallery of Modern Art	4202.04.106.09.01.71	1.25	0.19	सीपीडब्ल्यूडी को लंबित बिलों के भुगतान के लिए For payment of pending bills to CPWD
2	अनुदान प्राप्त निकाय Grantee Bodies	2205.00.105.19.02.31	1.46	0.40	सामान्य अनुदान सहायता के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional expenditure under Grants-in-Aid General
3	शताब्दियाँ और वर्षगाँठ Centenaries and Anniversaries	2205.00.789.01.01.31	0.50	0.67	चल रहे स्मरणोत्सवों के संचालन के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet the committed liabilities for conducting ongoing commemorations
4	शताब्दियाँ और वर्षगाँठ Centenaries and Anniversaries	2205.00.789.01.01.35	0.50	0.21	चल रहे स्मरणोत्सवों के संचालन के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet the committed liabilities

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					for conducting ongoing commemorations
5	शताब्दियाँ और वर्षगाँठ Centenaries and Anniversaries	2205.00.789.01.01.35	0.50	0.79	चल रहे स्मरणोत्सवों के संचालन के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet the committed liabilities for conducting ongoing commemorations
6	वैश्विक सहभागिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग Global Engagement and International Co-Operation	2205.00.798.11.01.31	1.79	0.79	सामान्य अनुदान सहायता के तहत अतिरिक्त आवश्यकता के लिए। Towards additional requirement under GIA General.
7	कला संस्कृति विकास योजना Kala Sanskriti Vikas Yojana	2205.00.102.11.01.31	87.72	6.50	गुरु शिष्य परम्परा योजना के लंबित भुगतानों के लिए For pending payments of Guru Shishya Parampara Scheme
8	शताब्दियाँ और वर्षगाँठ Centenaries and Anniversaries	2205.00.102.12.01.31	19.94	4.00	चल रहे स्मरणोत्सवों के संचालन के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet the committed liabilities for conducting ongoing commemorations
9	शताब्दियाँ और वर्षगाँठ Centenaries and Anniversaries	2205.00.102.12.01.35	5.00	1.02	चल रहे स्मरणोत्सवों के संचालन के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet the committed liabilities for conducting ongoing commemorations
10	अकादमी को सहायता Support to Akademi	2205.00.102.15.02.36	88.70	0.16	कलाक्षेत्र फाउंडेशन को वेतन, ईएल नकदीकरण आदि के भुगतान के लिए For payment of Salaries, EL encashment etc. to

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Kalakshetra Foundation
11	शताब्दियाँ और वर्षगाँठ Centenaries and Anniversaries	2552.00.436.07.01.31	0.50	3.64	चल रहे स्मरणोत्सवों के संचालन के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet the committed liabilities for conducting ongoing commemorations
12	शताब्दियाँ और वर्षगाँठ Centenaries and Anniversaries	2552.00.436.07.01.31	0.50	0.24	चल रहे स्मरणोत्सवों के संचालन के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet the committed liabilities for conducting ongoing commemorations
13	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण Anthropological Survey of India	4202.04.108.03.01.71	0.20	0.27	राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कंप्यूटरों की खरीद हेतु To procure computers for the national research projects
14	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण Anthropological Survey of India	4202.04.108.03.01.71	0.20	0.20	राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कंप्यूटरों की खरीद हेतु To procure computers for the national research projects
15	राष्ट्रीय अभिलेखागार National Archives of India	4202.04.105.04.01.52	0.80	0.30	एयर कंडीशनिंग संयंत्रों और मशीनरी की खरीद के लिए। For AC plants and procurement of machineries
16	राष्ट्रीय अभिलेखागार National Archives of India	4202.04.105.04.01.52	0.80	0.20	एयर कंडीशनिंग संयंत्रों और मशीनरी की खरीद के लिए। For AC plants and procurement of machineries
17	राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी National Gallery of	4202.04.106.09.01.52	0.20	0.30	मशीनरी की खरीद के लिए For procurement of

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Modern Art				machinery
18	राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी National Gallery of Modern Art	4202.04.106.09.01.71	1.25	0.10	सीपीडब्ल्यूडी को लंबित बिलों के भुगतान के लिए For payment of pending bills to CPWD
19	राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण National Monuments Authority	4202.04.106.13.01.71	0.20	1.62	राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के ऑनलाइन आवेदन के पुनर्निर्माण हेतु For Revamping of Online Application of National Monument Authority

अनुलग्नक / Annexure

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
Ministry of Development of North Eastern Region

मांग संख्या - 23

Demand No. - 23

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएँ SCHEMES OF NORTH EASTERN COUNCIL	2552.00.796.01.00.35	175.00	3.53	एनईसी की योजनाओं के तहत स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure against various projects sanctioned under the Schemes of NEC
2	सचिवालय सामान्य सेवाएँ, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग (डोनर) मंत्रालय-स्थापना Secretariat General Services, Ministry of DoNER- Establishment	4075.00.001.01.07.71	0.25	0.10	आईटी उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure against purchase of IT equipment.
3	पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएँ SCHEMES OF NORTH EASTERN COUNCIL	2552.00.101.07.00.31	70.00	10.00	एनईसी की योजनाओं के तहत स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure against

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					various projects sanctioned under the Schemes of NEC
4	पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएँ SCHEMES OF NORTH EASTERN COUNCIL	4552.00.057.02.00.72	19.75	11.00	एनईसी की योजनाओं के तहत स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure against various projects sanctioned under the Schemes of NEC.
5	पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएँ SCHEMES OF NORTH EASTERN COUNCIL	4552.00.057.02.00.73	0.01	15.22	अगरतला-अखौरा परियोजना के लिए अतिरिक्त राशि की पूर्ति हेतु। To meet additional amount for Agartala-Akhaura Project.
6	पूर्वोत्तर विशेष ढांचागत विकास योजना (रोड ढांचागत के अतिरिक्त) NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)	4552.00.058.01.00.73	253.62	29.99	एनईएसआईडीएस - ओटीआरआई के तहत अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए। To meet additional demands under NESIDS - OTRI.
7	पूर्वोत्तर विशेष ढांचागत विकास योजना (रोड ढांचागत के अतिरिक्त) NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)	4552.00.058.01.00.73	253.62	4.99	एनईएसआईडीएस - ओटीआरआई के तहत अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए। To meet additional demands under NESIDS - OTRI.
8	पूर्वोत्तर विशेष ढांचागत विकास योजना (रोड ढांचागत के अतिरिक्त) NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT	4552.00.058.01.00.73	253.62	2.00	एनईएसआईडीएस - ओटीआरआई के तहत अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए। To meet additional demands under

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)				NESIDS - OTRI.
9	पूर्वोत्तर विशेष ढांचागत विकास योजना (रोड ढांचागत के अतिरिक्त) NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)	4552.00.796.04.00.73	90.00	5.00	एनईएसआईडीएस - ओटीआरआई के तहत अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए। To meet additional demands under NESIDS - OTRI.
10	पूर्वोत्तर विशेष ढांचागत विकास योजना (रोड ढांचागत के अतिरिक्त) NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)	4552.00.796.04.00.73	90.00	9.00	एनईएसआईडीएस - ओटीआरआई के तहत अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए। To meet additional demands under NESIDS - OTRI.
11	पूर्वोत्तर विशेष ढांचागत विकास योजना (रोड ढांचागत के अतिरिक्त) NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)	4552.00.796.04.00.73	90.00	4.99	एनईएसआईडीएस - ओटीआरआई के तहत अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए। To meet additional demands under NESIDS - OTRI.
12	पूर्वोत्तर विशेष ढांचागत विकास योजना (रोड ढांचागत के अतिरिक्त) NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)	4552.00.789.03.00.73	30.00	7.00	एनईएसआईडीएस - ओटीआरआई के तहत अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए। To meet additional demands under NESIDS - OTRI.
13	पूर्वोत्तर विशेष ढांचागत विकास योजना (रोड ढांचागत के अतिरिक्त) NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE	4552.00.789.03.00.73	30.00	4.99	एनईएसआईडीएस - ओटीआरआई के तहत अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए। To meet additional

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	DEVELOPMENT SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)				demands under NESIDS - OTRI.
--	--	--	--	--	---------------------------------

अनुलग्नक / Annexure

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
Ministry of Earth Sciences

मांग संख्या - 24

Demand No. - 24

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	डीएओ, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय DAO, Ministry of Earth Sciences	5475.00.001.02.07.71	0.07	0.05	कार्यालय के लिए सात पीसी की खरीद हेतु। For purchase of Seven PC for office.
2	डीएओ, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय DAO, Ministry of Earth Sciences	5475.00.001.02.07.52	0.01	0.01	वाटर डिस्पेंसर की खरीद के लिए। For purchase of water dispenser.
3	गहन महासागर मिशन Deep Ocean Mission	3403.00.101.11.01.31	236.47	39.50	मिशन की सहयोगी परियोजना के लिए अतिरिक्त निधि को पूरा करने हेतु। To meet additional funds for collaborative project of the mission.
4	मिशन मौसम Mission Mausam	3455.00.001.09.00.31	120.00	15.00	कार्यालय व्यय की अतिरिक्त खर्च की पूर्ति के लिए। To meet additional expenditure towards office expenses.
5	राष्ट्रीय महासागर	3403.00.004.05.02.31	12.00	1.00	कार्यालय व्यय की

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) National Institute of Ocean Technology (NIOT)				अतिरिक्त खर्च की पूर्ति के लिए। To meet additional expenditure towards office expenses.
6	राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) National Institute of Ocean Technology (NIOT)	3403.00.004.05.02.36	53.00	2.38	वेतन, चिकित्सा एवं एलटीसी और एनपीएस/ ओपीएस में योगदान आदि से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement related to Salary, medical & LTC and contribution to NPS/ OPS etc.
7	राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR)	3403.00.004.05.05.31	8.00	2.00	वेतन, चिकित्सा एवं एलटीसी और एनपीएस/ ओपीएस में योगदान आदि से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement related to Salary, medical & LTC and contribution to NPS/ OPS etc.
8	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM)	3455.00.004.02.01.31	39.00	11.00	पेंशन, एएमसी/ ओएमसी, अन्य संविदात्मक व्यय और अन्य कार्यालय व्यय से संबंधित अतिरिक्त निधियों की पूर्ति के लिए। To meet additional funds related to pension , AMC/ OMC, other contractual expenses and other office expenses .
9	भारतीय उष्णकटिबंधीय	3455.00.004.02.01.36	52.00	1.00	वेतन, चिकित्सा एवं

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM)				एलटीसी और एनपीएस/ ओपीएस में योगदान आदि से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement related to Salary, medical & LTC and contribution to NPS/ OPS etc.
10	राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस) National Centre for Earth Science Studies (NCESS)	3455.00.004.02.02.35	0.50	4.50	बिजली की व्यवस्था, फर्नीचर, अग्नि सुरक्षा आदि तथा नवीनीकरण के लिए एजेंसियों को भुगतान करना। To make payment to agencies for electric installation, furniture, fire & safety etc. and renovation.
11	राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस) National Centre for Earth Science Studies (NCESS)	3455.00.004.02.02.31	3.10	0.54	कार्यालय व्यय संबंधी अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure related to office expenses.
12	मिशन मौसम Mission Mausam	3455.00.001.09.00.31	120.00	25.00	कार्यालय व्यय संबंधी अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure related to office expenses.

अनुलग्नक / Annexure

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग
Department of School Education and Literacy

मांग संख्या - 25

Demand No. - 25

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)	2202.01.112.11.00.35	2.00	1.90	विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों को निधि जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता। Additional amount required for release of funds to UTs without Legislature.
2	समग्र शिक्षा SAMAGRA SHIKSHA	2202.01.796.23.01.35	45.48	9.56	विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों को निधि जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता। Additional amount required for release of funds to UTs without Legislature.
3	उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल (पीएम श्री) PM Schools for Rising India (PM SHRI)	2202.01.796.24.00.35	11.74	3.06	विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों को निधि जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता। Additional amount

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					required for release of funds to UTs without Legislature.
4	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2202.02.110.20.02.36	1870.02	136.57	एनवीएस के नियमित कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए। For payment of salary to regular employees of NVS.
5	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2202.02.789.24.03.31	270.81	6.26	छात्रों पर खर्च (मेस, यूनिफॉर्म, किताबें आदि), सामान्य प्रशासनिक खर्च, रखरखाव और मरम्मत, स्टाफ को अन्य भुगतान के लिए। For expenditure on students (mess, uniform, textbooks etc.), General Administrative Expenditure, Maintenance & Repair, other Payments to Staff.
6	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2202.02.789.24.03.36	367.42	26.71	एनवीएस के नियमित कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए। For payment of salary to regular employees of NVS.
7	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2202.02.796.25.03.31	133.72	3.09	छात्रों पर खर्च (मेस, यूनिफॉर्म, किताबें आदि), सामान्य प्रशासनिक खर्च, रखरखाव और मरम्मत, स्टाफ को अन्य भुगतान के लिए। For expenditure on students (mess, uniform, textbooks etc.), General Administrative

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Expenditure, Maintenance & Repair, other Payments to Staff.
8	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2202.02.796.25.03.36	184.27	13.40	एनवीएस के नियमित कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए। For payment of salary to regular employees of NVS.
9	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी) National Council of Educational Research and Training (NCERT)	2552.00.128.06.01.31	2.50	0.50	एनसीईआरटी के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन. ई. आर.) में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता। Additional funds required in the North Eastern Region (NER) of NCERT.
10	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2552.00.129.14.02.31	137.51	3.18	छात्रों पर खर्च (मेस, यूनिफॉर्म, किताबें आदि), सामान्य प्रशासनिक खर्च, रखरखाव और मरम्मत, स्टाफ को अन्य भुगतान के लिए। For expenditure on students (mess, uniform, textbooks etc.), General Administrative Expenditure, Maintenance & Repair, other Payments to Staff.
11	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2552.00.129.14.02.35	10.27	3.44	नए मंजूर जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) का निर्माण, सोलर/ इलेक्ट्रिक वॉटर हीटिंग सिस्टम की ज़रूरत, लड़कियों के लिए अतिरिक्त डॉरमेट्री, बहुउद्देशीय हॉल और

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					सेंट्रल कवर्ड आंगन का निर्माण और 5 नए मंजूर क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) साथ ही 4 आरओ जो अभी अस्थायी कैंपस में काम कर रहे हैं, के लिए पक्की बिल्डिंग की मांग। For construction of newly sanctioned Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNVs), requirement for solar/ electric water heating system, additional girls dormitory, construction of multi-purpose hall & central covered courtyard and demand for permanent buildings for 5 newly sanctioned Regional Offices (ROs) along with 4 ROs working in temporary campus.
12	समग्र शिक्षा Samagra Shiksha	2552.00.789.86.01.35	110.20	15.03	पूर्वोत्तर क्षेत्र को निधि जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता। Additional amount required for release of funds to North Eastern Region.
13	समग्र शिक्षा SAMAGRA SHIKSHA	2202.01.113.01.05.35	66.39	25.09	विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों को निधि जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता। Additional amount required for release of funds to UTs without Legislature.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

14	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2552.00.789.81.02.31	22.17	0.51	छात्रों पर खर्च (मेस, यूनिफॉर्म, किताबें आदि), सामान्य प्रशासनिक खर्च, रखरखाव और मरम्मत, स्टाफ को अन्य भुगतान के लिए। For expenditure on students (mess, uniform, textbooks etc.), General Administrative Expenditure, Maintenance & Repair, other Payments to Staff.
15	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2552.00.789.81.02.35	1.80	0.60	नए मंजूर जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) का निर्माण, सोलर/ इलेक्ट्रिक वॉटर हीटिंग सिस्टम की ज़रूरत, लड़कियों के लिए अतिरिक्त डॉरमेट्री, बहुउद्देशीय हॉल और सेंट्रल कवर्ड आंगन का निर्माण और 5 नए मंजूर क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) साथ ही 4 आरओ जो अभी अस्थायी कैंपस में काम कर रहे हैं, के लिए पक्की बिल्डिंग की मांग। For construction of newly sanctioned Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNVs), requirement for solar/ electric water heating system, additional girls dormitory, construction of multi-purpose hall & central covered courtyard and

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					demand for permanent buildings for 5 newly sanctioned Regional Offices (ROs) along with 4 ROs working in temporary campus.
16	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2552.00.789.81.02.36	45.70	3.32	एनवीएस के नियमित कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए। For payment of salary to regular employees of NVS.
17	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2552.00.796.85.03.31	14.48	0.33	छात्रों पर खर्च (मेस, यूनिफॉर्म, किताबें आदि), सामान्य प्रशासनिक खर्च, रखरखाव और मरम्मत, स्टाफ को अन्य भुगतान के लिए। For expenditure on students (mess, uniform, textbooks etc.), General Administrative Expenditure, Maintenance & Repair, other Payments to Staff.
18	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2552.00.796.85.03.36	24.24	1.76	एनवीएस के नियमित कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए। For payment of salary to regular employees of NVS.
19	उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल (पीएम श्री) PM Schools for Rising India (PM SHRI)	2202.01.789.23.00.35	0.12	0.07	विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों को निधि जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता। Additional amount required for release of funds to UTs

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					without Legislature.
20	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)	2202.01.796.04.02.35	0.50	13.19	विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों को निधि जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता। Additional amount required for release of funds to UTs without Legislature.
21	राष्ट्रीय बाल भवन National Bal Bhawan (NBB)	2202.01.800.39.01.36	6.50	1.00	एनबीबी के वेतन घटक में बढ़ोतरी के लिए। For increase in Salary component of the NBB.
22	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2202.02.110.20.02.31	1405.40	32.04	छात्रों पर खर्च (मेस, यूनिफॉर्म, किताबें आदि), सामान्य प्रशासनिक खर्च, रखरखाव और मरम्मत, स्टाफ को अन्य भुगतान के लिए। For expenditure on students (mess, uniform, textbooks etc.), General Administrative Expenditure, Maintenance & Repair, other Payments to Staff.
23	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2202.02.789.24.03.35	88.66	29.72	नए मंजूर जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) का निर्माण, सोलर/ इलेक्ट्रिक वॉटर हीटिंग सिस्टम की ज़रूरत, लड़कियों के लिए अतिरिक्त डॉरमेट्री, बहुउद्देशीय हॉल और सेंट्रल कवर्ड आंगन का निर्माण और 5 नए मंजूर क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) साथ ही 4 आरओ जो

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					अभी अस्थायी कैंपस में काम कर रहे हैं, के लिए पक्की बिल्डिंग की मांग। For construction of newly sanctioned Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNVs), requirement for solar/ electric water heating system, additional girls dormitory, construction of multi-purpose hall & central covered courtyard and demand for permanent buildings for 5 newly sanctioned Regional Offices (ROs) along with 4 ROs working in temporary campus.
24	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2202.02.796.25.03.35	41.23	13.82	नए मंजूर जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) का निर्माण, सोलर/ इलेक्ट्रिक वॉटर हीटिंग सिस्टम की ज़रूरत, लड़कियों के लिए अतिरिक्त डॉरमेट्री, बहुउद्देशीय हॉल और सेंट्रल कवर्ड आंगन का निर्माण और 5 नए मंजूर क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) साथ ही 4 आरओ जो अभी अस्थायी कैंपस में काम कर रहे हैं, के लिए पक्की बिल्डिंग की मांग। For construction of newly sanctioned Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNVs), requirement for solar/ electric water

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					heating system, additional girls dormitory, construction of multi-purpose hall & central covered courtyard and demand for permanent buildings for 5 newly sanctioned Regional Offices (ROs) along with 4 ROs working in temporary campus.
25	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2552.00.129.14.02.36	230.34	16.75	एनवीएस के नियमित कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए। For payment of salary to regular employees of NVS.
26	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS)	2552.00.796.85.03.35	1.20	0.40	नए मंजूर जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) का निर्माण, सोलर/ इलेक्ट्रिक वॉटर हीटिंग सिस्टम की ज़रूरत, लड़कियों के लिए अतिरिक्त डॉरमेट्री, बहुउद्देशीय हॉल और सेंट्रल क्वर्ड आंगन का निर्माण और 5 नए मंजूर क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) साथ ही 4 आरओ जो अभी अस्थायी कैंपस में काम कर रहे हैं, के लिए पक्की बिल्डिंग की मांग। For construction of newly sanctioned Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNVs), requirement for solar/ electric water heating system, additional girls dormitory,

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					construction of multi-purpose hall & central covered courtyard and demand for permanent buildings for 5 newly sanctioned Regional Offices (ROs) along with 4 ROs working in temporary campus.
27	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी) National Council of Educational Research and Training (NCERT)	2202.02.004.04.01.35	80.55	29.45	'भूमि और भवन' के तहत परियोजनाओं की आवश्यकता के लिए। For requirement for projects under 'Land and Building'.
28	उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल (पीएम श्री) PM Schools for Rising India (PM SHRI)	2202.01.001.11.03.35	3.03	2.52	विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों को निधि जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता। Additional amount required for release of funds to UTs without Legislature.
29	समग्र शिक्षा SAMAGRA SHIKSHA	2202.01.113.01.05.31	261.73	5.78	विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों को निधि जारी करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता। Additional amount required for release of funds to UTs without Legislature.
30	राष्ट्रीय बाल भवन National Bal Bhawan (NBB)	2202.01.800.39.01.31	16.80	1.20	बच्चों के लिए नए प्रोग्राम और दूर शुरू करना, स्वीकृत पदों को संविदा आधार पर अलग-अलग कार्यकलापों के लिए अलग-अलग इंस्ट्रक्टरों को नियुक्त

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					<p>करना, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार आउटसोर्स स्टाफ की दरों में वृद्धि, पेंशनभोगियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की संख्या में वृद्धि।</p> <p>For introduction of new programmes and tours for children, Engagement of various instructors for various activities against sanctioned post on Contractual basis, increase in rates of outsourced staff as per order issued by the State Govt. from time to time, increase in number of medical reimbursement bills of pensioners.</p>
--	--	--	--	--	--

अनुलग्नक / Annexure

उच्चतर शिक्षा विभाग
Department of Higher Education

मांग संख्या - 26
Demand No. - 26

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	आईएमएस-बीएचयू को अनुदान Grants to IMS - BHU	2202.03.789.32.02.36	5.36	0.69	वेतन भुगतान हेतु For payment of Salary
2	भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु अनुदान Grants for Promotion of Indian Languages	2202.05.102.13.00.36	34.08	0.97	वेतन भुगतान हेतु For payment of Salary
3	इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता Assistance to IGNOU & State Open Universities	2202.03.102.16.01.31	95.85	1.73	मिशन मोड भर्ती के तहत विभिन्न शिक्षण, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को भरने और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना के उन्नयन को ध्यान में रखते हुए In view of filling of several teaching, academic & non-academic positions under Mission Mode Recruitment, up-gradation of Information and Communication Technology (ICT)

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					infrastructure
4	इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता Assistance to IGNOU & State Open Universities	2202.03.789.13.01.31	10.22	0.94	मिशन मोड भर्ती के तहत अनेक शिक्षण, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को भरने और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना के उन्नयन को ध्यान में रखते हुए In view of filling of several teaching, academic & non-academic positions under Mission Mode Recruitment, up-gradation of ICT infrastructure
5	इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता Assistance to IGNOU & State Open Universities	2202.03.796.14.01.31	3.93	0.83	मिशन मोड भर्ती के तहत अनेक शिक्षण, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को भरने और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना के उन्नयन को ध्यान में रखते हुए In view of filling of several teaching, academic & non-academic positions under Mission Mode Recruitment, up-gradation of ICT infrastructure
6	विश्वस्तरीय संस्थाएं World Class Institutions	2202.03.102.23.18.31	89.54	60.23	योजना के तहत शेष लक्षित गतिविधियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required to complete remaining target activities under the scheme.
7	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central	2202.03.789.32.07.31	27.80	3.11	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) लोन के मूलनिधि के भुगतान हेतु

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Universities				कोष For repayment of Principal amount of Higher Education Financing Agency (HEFA) loan.
8	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.102.26.06.31	58.29	6.66	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) लोन के ब्याज के भुगतान के लिए For payment of Higher Education Financing Agency (HEFA) loan interest.
9	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीएस) और आईआईईएसटी को सहायता Support to National Institute of Technology (NITs) & IIST	2203.00.796.81.06.31	70.52	0.47	हाउसकीपिंग शुल्क, आउटसोर्सिंग शुल्क, पेंशन देनदारियों में वृद्धि और महंगाई राहत का संशोधित Increase in housekeeping charges, outsourcing Charges, pension liabilities, and revision of Dearness Relief.
10	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीएस) और आईआईईएसटी को सहायता Support to National Institute of Technology (NITs) & IIST	2203.00.796.81.06.35	30.18	1.53	राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों (एनआईटी) में दूसरे चरण के विस्तार के परिणामस्वरूप निधि की आवश्यकता बढ़ गई है। Second phase expansion in NITs has resulted in higher requirement of funds.
11	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) University Grants Commission (UGC)	2202.03.102.02.01.31	1672.40	107.20	पेंशन, नेट जेआरएफ/ एसआरएफ, सावित्रीबाई फुले योजना और अन्य छात्रवृत्तियों/ फेलोशिप से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए। For meeting expenditure related to Pension, NET JRF/ SRF, Savitribai

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Phule Scheme & Other Scholarships/ fellowships.
12	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) University Grants Commission (UGC)	2202.03.789.27.01.31	384.20	92.80	पेंशन, नेट जेआरएफ/ एसआरएफ, सावित्रीबाई फुले योजना और अन्य छात्रवृत्तियों/ फेलोशिप से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए। For meeting expenditure related to Pension, NET JRF/ SRF, Savitribai Phule Scheme & Other Scholarships/ fellowships
13	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) University Grants Commission (UGC)	2202.03.796.28.01.31	203.40	20.00	पेंशन, नेट जेआरएफ/ एसआरएफ, सावित्रीबाई फुले योजना और अन्य छात्रवृत्तियों/ फेलोशिप से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए। For meeting expenditure related to Pension, NET JRF/ SRF, Savitribai Phule Scheme & Other Scholarships/ fellowships
14	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.102.26.01.36	7937.72	186.09	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary
15	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.789.32.01.36	615.00	91.71	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary
16	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.796.34.01.36	298.28	32.20	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

17	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.796.34.06.31	2.19	1.34	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) लोन के ब्याज के भुगतान के लिए For payment of Higher Education Financing Agency (HEFA) loan Interest.
18	आईएमएस -बीएचयू को अनुदान Grants to IMS - BHU	2202.03.102.26.02.36	81.97	8.92	वेतन भुगतान हेतु For payment of Salary
19	आईएमएस -बीएचयू को अनुदान Grants to IMS - BHU	2202.03.796.34.02.36	2.67	0.39	वेतन भुगतान हेतु For payment of Salary
20	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.102.26.07.31	358.72	50.80	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) लोन के मूलनिधि के भुगतान हेतु कोष For repayment of Principal amount of Higher Education Financing Agency (HEFA) loan.
21	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (एनआईटीटीटीआरएस) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRS)	2203.00.789.01.00.31	1.78	4.00	नवीनीकरण, कार्यालय उपकरण की खरीद और स्थापना के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required for renovation, procurement of office equipment and installations.
22	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (एनआईटीटीटीआरएस) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRS)	2203.00.789.01.00.35	3.49	0.03	नवीनीकरण, कार्यालय उपकरण की खरीद और स्थापना के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required for renovation, procurement of office equipment and installations.
23	भारतीय प्रौद्योगिकी	2203.00.796.08.01.36	118.89	5.03	वेतन भुगतान हेतु For payment of Salary

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	संस्थानों (आईआईटीएस) को सहायता Support to Indian Institutes of Technology (IITS)				
24	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.796.34.07.31	13.48	1.09	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) लोन के मूलनिधि के भुगतान हेतु कोष For repayment of Principal amount of Higher Education Financing Agency (HEFA) loan.
25	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीएस) को सहायता Support to Indian Institutes of Technology (IITS)	2203.00.789.08.11.31	27.13	12.05	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) लोन के मूलनिधि के भुगतान हेतु कोष For repayment of Principal amount of Higher Education Financing Agency (HEFA) loan.
26	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए सहायता (आईआईटीएस) Support to Indian Institutes of Technology (IITS)	2203.00.796.08.11.31	13.50	5.18	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) लोन के मूलनिधि के भुगतान हेतु कोष For repayment of Principal amount of Higher Education Financing Agency (HEFA) loan.
27	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीएस) और आईआईईएसटी को सहायता Support to National Institute of Technology (NITs) & IIST	2203.00.789.81.06.36	152.39	6.35	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary
28	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.789.32.06.31	4.52	1.83	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) लोन के ब्याज के भुगतान के लिए For payment of Higher

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Education Financing Agency (HEFA) loan Interest.
29	उन्नत भारत अभियान (यूबीए) Unnat Bharat Abhiyan (UBA)	2203.00.789.40.05.31	1.50	1.50	उन्नत भारत अभियान के तहत गतिविधियों के संचालन और उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक नामांकन के कारण मांग में वृद्धि हुई है। Increased demand under Unnat Bharat Abhiyan with more enrollments of Higher Educational Institutions (HEIs)
30	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों आयोग National Commission for Minority Educational Institutions	2202.03.102.24.07.31	4.00	2.00	इस योजना के तहत कंप्यूटर सिस्टम के किराए और खरीद से संबंधित व्यय की मांग में वृद्धि हुई है। Increased demand under the scheme for expenses related to rent and purchase of computers system.
31	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (एनआईटीटीटीआरएस) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRS)	2203.00.003.02.00.36	76.95	10.34	वेतन भुगतान हेतु For payment of Salary
32	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीएस) और आईआईईएसटी को सहायता Support to National Institute of Technology (NITs) & IEST	2203.00.796.81.06.36	86.86	2.65	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary
33	उन्नत भारत अभियान (यूबीए)	2203.00.004.05.05.31	3.75	5.00	उन्नत भारत अभियान के तहत गतिविधियों के

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Unnat Bharat Abhiyan (UBA)				संचालन और उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक नामांकन के कारण मांग में वृद्धि हुई है। Increased demand under Unnat Bharat Abhiyan with more enrollments of Higher Educational Institutions (HEIs)
34	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीएस) को सहायता Support to Indian Institutes of Technology (IITS)	2203.00.112.05.09.36	3605.14	30.97	वेतन भुगतान हेतु For payment of Salary
35	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना Establishment of 3 Centres of Excellence in Artificial Intelligence (AI)	2203.00.004.05.11.31	7.55	32.00	डेटा सेंटर की स्थापना के लिए। For establishment of data Centers.
36	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान(संस्थानों) को सहायता (इलाहाबाद ग्वालियर जबलपुर और कांचीपुरम) Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad Gwalior Jabalpur and Kanchipuram)	2203.00.789.14.01.36	11.15	2.00	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary
37	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना Establishment of 3 Centres of Excellence in Artificial	2203.00.796.40.11.31	0.80	10.00	डेटा सेंटर की स्थापना के लिए। For establishment of data Centers.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Intelligence (AI)				
38	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना Establishment of 3 Centres of Excellence in Artificial Intelligence (AI)	2203.00.789.40.11.31	1.65	10.00	डेटा सेंटर की स्थापना के लिए। For establishment of data Centers.
39	प्रधानमंत्री की कन्या छात्रावास Prime Minister Girls' Hostel	2202.03.102.23.20.35	1.60	4.00	योजना के तहत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required under the scheme.
40	विश्वस्तरीय संस्थाएं World Class Institutions	2202.03.789.28.18.35	66.30	48.00	योजना के तहत शेष लक्षित गतिविधियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required to complete remaining target activities under the scheme.
41	विश्वस्तरीय संस्थाएं World Class Institutions	2202.03.796.29.18.31	11.88	31.91	योजना के तहत शेष लक्षित गतिविधियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required to complete remaining target activities under the scheme.
42	विश्वस्तरीय संस्थाएं World Class Institutions	2202.03.796.29.18.35	33.24	31.71	योजना के तहत शेष लक्षित गतिविधियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required to complete remaining target activities under the scheme.
43	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	2203.00.003.02.00.31	22.05	9.00	नवीनीकरण, कार्यालय उपकरण की खरीद और स्थापना के लिए अतिरिक्त

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	(एनआईटीटीटीआरएस) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRS)				निधि की आवश्यकता है। Additional funds required for renovation, procurement of office equipment and installations.
44	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (एनआईटीटीटीआरएस) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRS)	2203.00.003.02.00.35	43.20	1.95	नवीनीकरण, कार्यालय उपकरण की खरीद और स्थापना के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required for renovation, procurement of office equipment and installations.
45	भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को सहायता Support to Indian Institutes of Management (IIMS)	2203.00.112.79.01.31	9.11	42.01	नवस्थापित आईआईएम गुवाहाटी के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है Additional amount required for newly established IIM Guwahati
46	भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को सहायता Support to Indian Institutes of Management (IIMS)	2203.00.789.09.01.31	0.61	10.00	नवस्थापित आईआईएम गुवाहाटी के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है Additional amount required for newly established IIM Guwahati
47	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (एनआईटीटीटीआरएस) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRS)	2203.00.789.01.00.36	6.21	6.31	वेतन भुगतान हेतु For payment of Salary
48	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (एनआईटीटीटीआरएस) National Institutes of Technical Teachers Training & Research	2203.00.796.01.00.35	1.31	0.02	नवीनीकरण, कार्यालय उपकरण की खरीद और स्थापना के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required for renovation, procurement of office

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	(NITTTTRS)				equipment and installations.
49	विश्वस्तरीय संस्थाएं World Class Institutions	2202.03.789.28.18.31	23.70	17.29	योजना के तहत शेष लक्षित गतिविधियों के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required to complete remaining target activities under the scheme.
50	प्रधानमंत्री कन्या छात्रावास Prime Minister Girls' Hostel	2202.03.796.29.20.35	0.10	2.00	योजना के तहत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required under the scheme.
51	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीएस) को सहायता Support to Indian Institutes of Technology (IITS)	2203.00.112.05.09.31	3439.58	83.41	फेलोशिप राशि और पेंशन आदि में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए To cover the increase in fellowship amount and pension etc,
52	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीएस) को सहायता Support to Indian Institutes of Technology (IITS)	2203.00.789.08.01.36	238.97	4.00	वेतन भुगतान हेतु For payment of Salary
53	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीएस) को सहायता Support to Indian Institutes of Technology (IITS)	2203.00.112.05.19.31	409.37	82.78	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) लोन के मूलनिधि के भुगतान हेतु कोष For repayment of Principal amount of Higher Education Financing Agency (HEFA) loan.
54	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई) Board Of Apprenticeship Training (Bombay	2203.00.789.02.00.31	0.77	0.60	हाउसकीपिंग शुल्क, आउटसोर्सिंग शुल्क, पेंशन देनदारियों में वृद्धि और महंगाई राहत का संशोधित Due to increase in housekeeping charges,

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Cacutta Kanpur And Chennai)				outsourcing charges, pension liabilities, and revision of Dearness Relief
55	प्रधानमंत्री कन्या छात्रावास Prime Minister Girls' Hostel	2202.03.789.28.20.35	0.30	2.00	योजना के तहत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required under the scheme.
56	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (एनआईटीटीटीआरएस) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRS)	2203.00.796.01.00.31	0.67	2.00	नवीनीकरण, कार्यालय उपकरण की खरीद और स्थापना के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required for renovation, procurement of office equipment and installations.
57	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीएस) को सहायता Support to Indian Institutes of Technology (IITS)	2203.00.789.08.01.31	227.99	21.00	फेलोशिप राशि और पेंशन आदि में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए To cover the increase in fellowship amount and pension etc,
58	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीएस) को सहायता Support to Indian Institutes of Technology (IITS)	2203.00.796.08.01.31	113.43	11.09	फेलोशिप राशि और पेंशन आदि में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए To cover the increase in fellowship amount and pension etc,
59	भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को सहायता Support to Indian Institutes of Management (IIMS)	2203.00.796.09.01.31	0.28	8.10	नवस्थापित आईआईएम गुवाहाटी के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है Additional amount required for newly established IIM Guwahati
60	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (एनआईटीटीटीआरएस) National Institutes of Technical Teachers	2203.00.796.01.00.36	2.34	1.85	वेतन भुगतान हेतु For payment of Salary

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Training & Research (NITTTRS)				
61	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई) Board Of Apprenticeship Training (Bombay Ccutta Kanpur And Chennai)	2203.00.003.05.00.31	13.84	2.00	हाउसकीपिंग शुल्क, आउटसोर्सिंग शुल्क, पेंशन देनदारियों में वृद्धि और महंगाई राहत का संशोनिधि Due to increase in housekeeping charges, outsourcing charges, pension liabilities, and revision of Dearness Relief
62	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई) Board Of Apprenticeship Training (Bombay Ccutta Kanpur And Chennai)	2203.00.796.02.00.31	0.39	0.40	हाउसकीपिंग शुल्क, आउटसोर्सिंग शुल्क, पेंशन देनदारियों में वृद्धि और महंगाई राहत का संशोनिधि Due to increase in housekeeping charges, outsourcing charges, pension liabilities, and revision of Dearness Relief
63	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद All India Council for Technical Education (AICTE)	2203.00.796.25.01.31	10.80	1.98	वेतन और भत्तों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required due to increase in pay & allowances
64	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीएस) और आईआईईएसटी को सहायता Support to National Institute of Technology (NITs) & IEST	2203.00.112.88.06.35	673.34	11.45	राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों (एनआईटी) में दूसरे फेज़ के विस्तार के लिए और अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required for second phase expansion in NITs.
65	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीएस) और आईआईईएसटी को सहायता	2203.00.112.88.06.36	1937.75	101.00	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Support to National Institute of Technology (NITs) & IIST				
66	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER)	2203.00.112.85.01.36	365.44	2.41	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary
67	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER)	2203.00.789.78.01.36	28.42	1.47	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary
68	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) All India Council for Technical Education (AICTE)	2203.00.112.45.01.31	142.20	17.01	वेतन और भत्तों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required due to increase in pay & allowances
69	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) All India Council for Technical Education (AICTE)	2203.00.789.25.01.31	27.00	1.87	वेतन और भत्तों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required due to increase in pay & allowances
70	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईएसईआर को सहायता Support to National Institute of Technology (NITs) & IIST	2203.00.112.88.06.31	1573.16	30.21	हाउसकीपिंग शुल्क, आउटसोर्सिंग शुल्क, पेंशन देनदारियों में वृद्धि और महंगाई राहत में संशोधन Increase in housekeeping charges, outsourcing Charges, pension liabilities, and revision of Dearness Relief.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

71	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता Support to National Institute of Technology (NITs) & IIST	2203.00.789.81.06.31	123.72	1.23	हाउसकीपिंग शुल्क, आउटसोर्सिंग शुल्क, पेंशन देनदारियों में वृद्धि और महंगाई राहत में संशोधन Increase in housekeeping & outsourcing charges, pension liabilities, and revision of Dearness Relief.
72	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीएस) और आईआईईएसटी को सहायता Support to National Institute of Technology (NITs) & IIST	2203.00.789.81.06.35	52.95	3.55	राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों (एनआईटी) में दूसरे फेज़ के विस्तार के लिए और अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds required for second phase expansion in NITs.
73	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER)	2203.00.112.85.01.31	383.44	1.64	छात्रवृत्ति/ छात्रवृत्तियों में वृद्धि, प्रयोगशाला और कार्यालय में उपयोग होने वाली वस्तुओं की संशोधित दर, मरम्मत/ रखरखाव व्यय और संविदा कर्मचारियों के संशोधित वेतन के कारण अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। Adidionality reuiqred due to increased student fellowships/ scholarships, revised rate of laboratory and office consumable, repair/ maintenance expenditures, and revised contract staff wages
74	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) Support to Indian	2203.00.789.78.01.31	29.82	0.25	छात्रवृत्ति/ छात्रवृत्तियों में वृद्धि, प्रयोगशाला और कार्यालय में उपयोग होने

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Institute (s) of Science Education & Research (IISER)				वाली वस्तुओं की संशोधित दर, मरम्मत/ रखरखाव व्यय और संविदा कर्मचारियों के संशोधित वेतन के कारण अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। Adidionality required due to increased student fellowships/ scholarships, revised rate of laboratory and office consumable, repair/ maintenance expenditures, and revised contract staff wages
75	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER)	2203.00.796.78.01.31	12.74	0.11	छात्रवृत्ति/ छात्रवृत्तियों में वृद्धि, प्रयोगशाला और कार्यालय में उपयोग होने वाली वस्तुओं की संशोधित दर, मरम्मत/ रखरखाव व्यय और संविदा कर्मचारियों के संशोधित वेतन के कारण अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। Adidionality required due to increased student fellowships/ scholarships, revised rate of laboratory and office consumable, repair/ maintenance expenditures, and revised contract staff wages
76	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER)	2203.00.796.78.01.36	12.14	1.12	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

77	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलोर को सहायता Support to Indian Institute of Science (IISc) Bangalore	2203.00.112.86.03.31	306.71	5.50	फेलोशिप/ छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन, पेंशन देयता, महंगाई भत्ता (डीए), किराया और रखरखाव में वृद्धि, बिजली और पानी के शुल्क में वृद्धि, संविदा कर्मचारियों के वेतन में संशोनिधि के कारण मांग में वृद्धि हुई है। Increase demand due to revision in the rates of fellowship/ scholarships, pension liability, enhancement in Dearness Allowance (DA), repair & maintenance, upward revision in electricity & water tariff, revised contract staff wages
78	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलोर को सहायता Support to Indian Institute of Science (IISc), Bangalore	2203.00.789.79.01.31	24.01	2.50	फेलोशिप/ छात्रवृत्ति की दरों में संशोनिधि, पेंशन देयता, महंगाई भत्ता (डीए), किराया और रखरखाव में वृद्धि, बिजली और पानी के शुल्क में वृद्धि, संविदा कर्मचारियों के वेतन में संशोनिधि के कारण मांग में वृद्धि हुई है। increase demand due to revision in the rates of fellowship/ scholarships, pension liability, enhancement in DA, repair & maintenance, upward revision in electricity & water tariff, revised contract staff wages
79	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलोर को सहायता	2203.00.796.79.01.31	13.78	1.50	फेलोशिप/ छात्रवृत्ति की दरों में संशोनिधि, पेंशन देयता, महंगाई भत्ता (डीए),

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Support to Indian Institute of Science (IISc), Bangalore				किराया और रखरखाव में वृद्धि, बिजली और पानी के शुल्क में वृद्धि, संविदा कर्मचारियों के वेतन में संशोनिधि के कारण मांग में वृद्धि हुई है। increase demand due to revision in the rates of fellowship/ scholarships, pension liability, enhancement in DA, repair & maintenance, upward revision in electricity & water tariff, revised contract staff wages
80	उन्नत भारत अभियान (यूबीए) Unnat Bharat Abhiyan (UBA)	2203.00.796.40.05.31	0.75	1.50	उन्नत भारत अभियान के तहत गतिविधियों के संचालन और उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक नामांकन के कारण मांग में वृद्धि हुई है। Increased demand under Unnat Bharat Abhiyan with more enrollments of Higher Educational Institutions (HEIs)
81	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान(संस्थानों) को सहायता (इलाहाबाद ग्वालियर जबलपुर और कांचीपुरम) Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad Gwalior Jabalpur and Kanchipuram)	2203.00.796.72.01.36	5.36	1.00	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary
82	एसएलआईईटी एनईआरआईएसटी	2203.00.112.82.03.31	44.00	0.03	हाउसकीपिंग शुल्क के भुगतान और महंगाई राहत

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	एनआईएफएफटी रांची सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों के लिए सहायता Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar				में संशोनिधि के लिए। For payment of housekeeping charges and revision in Dearness Relief.
83	एसएलआईईटी एनईआरआईएसटी एनआईएफएफटी रांची सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों के लिए सहायता Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar	2203.00.112.82.03.36	99.25	8.60	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary
84	एसएलआईईटी एनईआरआईएसटी एनआईएफएफटी रांची सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों के लिए सहायता Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar	2203.00.789.72.03.36	7.78	5.08	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary
85	एसएलआईईटी एनईआरआईएसटी एनआईएफएफटी रांची सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों के लिए सहायता Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar	2203.00.796.73.03.36	3.41	3.28	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary.
86	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान(संस्थानों) को	2203.00.112.81.01.36	124.49	4.00	वेतन भुगतान के लिए For payment of Salary

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

सहायता (इलाहाबाद ग्वालियर जबलपुर और कांचीपुरम) Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad Gwalior Jabalpur and Kanchipuram)					
---	--	--	--	--	--

अनुलग्नक / Annexure

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
Ministry of Electronics and Information Technology

मांग संख्या - 27

Demand No. - 27

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास R&D in Information Technology, Electronics and CCBT	2852.07.102.06.00.31	934.28	11.02	इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में चल रही और नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में अतिरिक्त आवश्यकता है। Additional requirement is towards implementation of ongoing and new R&D projects in Electronics, IT and Emerging Technology sectors.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

2	भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम Modified Programme for Development of Semiconductors and Display Ecosystem in India	2852.07.102.13.01.35	0.62	1.00	इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता है। Additional requirement is towards renovation of the office of India Semiconductor Mission (ISM).
3	प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक (सीसीए) Controller of Certifying Authorities (CCA)	2852.07.103.03.01.31	3.00	0.50	एसएसएल रूट सेटअप और वेब ट्रस्ट सर्टिफिकेशन के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Requirement of additional funds towards SSL Root set up and Web Trust Certification.
4	सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-एमईटी) Centre for Materials for Electronics Technology (C-MET)	2852.07.188.03.00.31	10.00	2.00	सी-एमईटी केंद्रों के संचालन और रखरखाव के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Requirement of additional funds towards operation and maintenance of centres of C-MET.
5	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) Digital India Corporation (DIC)	2852.07.188.04.00.31	5.00	2.50	डीआईसी कार्यालय को इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन से नोएडा में किराए की इमारत में स्थानांतरित करने और डीआईसी की विस्तारित गतिविधियों को देखते हुए परिचालन व्यय के लिए। For relocation of DIC Office from Electronics Niketan to a rented building in Noida and operational expenditure in view of expanded activity of

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					DIC.
6	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) Digital India Corporation (DIC)	2852.07.188.04.00.36	9.00	0.50	डीआईसी में विस्तारित संचालन को सहायता देने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए वेतन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए। To meet the salary expenses in view of requirement of additional human resources to support the expanded operation in DIC.
7	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण Unique Identification Authority of India	3454.02.206.01.09.31	410.00	15.00	नए नामांकन और एमबीयू के लिए रजिस्ट्रारों को दी जाने वाली संशोधित वित्तीय सहायता के साथ-साथ 7 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अनिवार्य निःशुल्क नामांकन सेवा को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds are required to meet the revised financial assistance to Registrars for new enrollment and MBU as well as mandatory free enrollment service for the age group 7 to 15.
8	साइबर सुरक्षा (सीईआरटी-इन और एनसीसीसी) Cyber Security (CERT-In & NCCC)	4859.02.004.17.17.71	144.00	2.95	विभिन्न साइबर सुरक्षा उपकरणों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की खरीद और उन्नयन के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds are required towards procurement and

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					upgradation of various cyber security tools, software and hardware.
9	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Manufacturing Clusters)	2852.07.102.04.00.35	150.00	17.94	हाल ही में स्वीकृत ईएमसी परियोजनाओं की मांगों को पूरा करने के लिए। For meeting with the claims of recently approved EMC projects.
10	राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क कार्यक्रम National Knowledge Network Programme	2852.07.789.11.01.31	0.01	40.19	विस्तारित परियोजना अवधि के साथ एन के एन कार्यक्रम के निरंतर कार्यान्वयन के लिए बैंडविड्थ शुल्क, लीड लाइन कनेक्टिविटी आदि जैसे परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए। For meeting with operational expenses like bandwidth charges, leased line connectivity etc for continuing implementation of NKN Programme with extended project duration.
11	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Ministry of Electronics and Information Technology	5475.00.001.01.30.52	1.00	0.50	सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन भवन में केंद्रीकृत एसी प्रणाली के उन्नयन के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds are required towards upgradation of

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					centralised AC system in Electronics Niketan building through CPWD.
12	राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क कार्यक्रम National Knowledge Network Programme	2852.07.796.11.01.31	0.01	29.79	विस्तारित परियोजना अवधि के साथ एनकेएन कार्यक्रम के निरंतर कार्यान्वयन के लिए बैंडविड्थ शुल्क, लीड लाइन कनेक्टिविटी आदि जैसे परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए। For meeting with operational expenses like bandwidth charges leased line connectivity, etc for continuing implementation of NKN Programme with extended project duration.
13	राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क कार्यक्रम National Knowledge Network Programme	2852.07.789.11.01.31	0.01	15.00	विस्तारित परियोजना अवधि के साथ एनकेएन कार्यक्रम के निरंतर कार्यान्वयन के लिए बैंडविड्थ शुल्क, लीड लाइन कनेक्टिविटी आदि जैसे परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए। For meeting with operational expenses like bandwidth charges, leased line connectivity etc for continuing implementation of NKN Programme with extended project duration.
14	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास	2852.07.102.06.00.31	934.28	15.00	अतिरिक्त आवश्यकता इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में चल रही और नई

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	R&D in Information Technology, Electronics and CCBT				अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में है। Additional requirement is towards implementation of ongoing and new R&D projects in Electronics, IT and Emerging Technology sectors.
15	साइबर सुरक्षा (सीईआरटी-इन और एनसीसीसी) Cyber Security (CERT-In & NCCC)	4859.02.004.17.17.71	144.00	15.00	विभिन्न साइबर सुरक्षा उपकरणों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की खरीद और उन्नयन के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds are required towards procurement and upgradation of various cyber security tools, software and hardware.
16	राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क कार्यक्रम National Knowledge Network Programme	2852.07.796.11.01.31	0.01	15.00	विस्तारित परियोजना अवधि के साथ एनकेएन कार्यक्रम के निरंतर कार्यान्वयन के लिए बैंडविड्थ शुल्क, लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी आदि जैसे परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए। For meeting with operational expenses like bandwidth charges leased line connectivity, etc for continuing implementation of NKN Programme with extended project duration.
17	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन	2852.07.102.04.00.35	150.00	15.00	यह अतिरिक्त राशि हाल ही में स्वीकृत ईएमसी परियोजनाओं की मांगों

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	(एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Manufacturing Clusters)			को पूरा करने के कारण है। Additional requirement is towards contribution for the ongoing and new project of Electronics Manufacturing Clusters in various states.
--	--	--	--	--

अनुलग्नक / Annexure

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forests and Climate Change

मांग संख्या - 28

Demand No. - 28

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	राष्ट्रीय तटीय मिशन National Coastal Mission	3435.04.104.04.04.31	1.20	5.50	राष्ट्रीय तटीय मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं को लागू करने के लिए और अधिक निधि की आवश्यकता है। More funds required for implementing the Projects in National Coastal Mission.
2	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण Botanical Survey of India	5425.00.208.13.01.72	20.00	11.61	निदेशालय के प्रशासनिक-सह-सभागार भवन, बीएसआई मुख्यालय कोलकाता के अंडुल रोड स्थित गेस्ट हाउस और बीजीआईआर के भूनिर्माण कार्य से संबंधित पूंजीगत कार्यों के लिए आवश्यक निधि। Funds required for capital work related to Directorate Administrative-cum-auditorium Building,

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Guest House of BSI Head Quarter Kolkata at Andul Road, and BGIR Land Scaping Work.
3	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान National Zoological Park	4406.01.070.10.05.71	0.05	0.03	चार डेस्कटॉप कंप्यूटरों की खरीद के लिए और अधिक निधि की आवश्यकता है। More funds are required for the procurement of four Desktops.
4	राष्ट्रीय हरित अधिकरण National Green Tribunal	5425.00.208.13.04.72	5.00	3.00	भोपाल में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए आवश्यक निधि। Funds required for construction of office Building at Bhopal.
5	भारतीय वन सर्वेक्षण Forest Survey of India	4406.01.070.10.04.71	0.30	0.60	सर्वर, वर्कस्टेशन की खरीद और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए और अधिक निधि की आवश्यकता है। More funds are required for the purchase of servers, workstation and software upgradation.

अनुलग्नक / Annexure

विदेश मंत्रालय
Ministry of External Affairs

मांग संख्या - 29
Demand No. - 29

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	स्वायत्त निकायों और अन्य संस्थानों की सहायता-भारतीय विश्व कार्य परिषद- सामान्य सहायता अनुदान Assistance to Autonomous Bodies and Other Institutions-Indian Council of World Affairs-Grants in Aid-General	2061.00.188.02.00.31	12.00	4.00	अनुसंधान और व्यावसायिक संविदाओं पर होने वाले व्यय, कार्यालय व्यय और कार्यविधियों के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds are required towards expenditure on Research and Professional Contract, office expenses and Activities.
2	स्वायत्त निकायों और अन्य संस्थानों की सहायता - विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली - वेतन सहायता अनुदान Assistance to Autonomous Bodies and Other Institutions - Research and Information System for Developing	2061.00.188.03.00.36	12.51	1.25	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली हेतु वेतन भुगतान के बिल/ दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds are required towards the settlement of bills/ claims of payment of salaries for Research and

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Countries - Grant in Aid - Salaries				Information System for Developing Countries.
3	स्वायत्त निकायों और अन्य संस्थानों की सहायता - भारतीय विश्व कार्य परिषद - वेतन सहायता अनुदान Assistance to Autonomous Bodies and Other Institutions - Indian Council of World Affairs - Grant in Aid Salaries	2061.00.188.02.00.36	2.79	0.57	भारतीय वैश्विक मामले परिषद के पदाधिकारियों के वेतन पर व्यय के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds are required towards expenditure on Salaries for officials in Indian Council of World Affairs.
4	स्वायत्त निकायों और अन्य संस्थानों की सहायता-भारतीय विश्व कार्य परिषद-पूंजीगत आस्तियों के लिए सहायता अनुदान Assistance to Autonomous Bodies and Other Institutions-Indian Council of World Affairs-Grants for Creation of Capital Assets	2061.00.188.02.00.35	0.69	2.31	भवन, फर्नीचर और फिक्स्चर, उपकरण, कंप्यूटरीकरण और पुस्तकालय की पुस्तकों और पत्रिकाओं पर खर्च के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional funds are required towards the expenditure on Building, Furniture & Fixture, Equipment, Computerisation and library books and journal

अनुलग्नक / Annexure

आर्थिक कार्य विभाग
Department of Economic Affairs

मांग संख्या - 30
Demand No. - 30

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ Secretariat-General Services	4070.00.001.31.01.52	0.50	11.20	बजट प्रेस के लिए मशीनें और विभाग के लिए अन्य उपकरण खरीदने हेतु। For procurement of machines for Budget press and other equipment for the department.
2	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ (सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण) Secretariat-General Services (Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment)	4070.00.001.31.01.71	11.52	1.08	डीईए के अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन डेटाबेस की सदस्यता की बढ़ती मांग के कारण। due to increased demand of subscription of online database by the officers of DEA.
3	ऋण का पुनर्भुगतान - निजी क्षेत्र अवसंरचना सुविधा II - केएफडब्ल्यू	7465.00.101.06.00.55	2.95	0.41	विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण। Due to Exchange rate fluctuations.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

को अवसंरचना लीजिंग और वित्तीय सेवाएं Repayment of Loan - Private sector Infrastructure Facility II-Infrastructure Leasing and Financial Services to KFW				
--	--	--	--	--

अनुलग्नक / Annexure

व्यय विभाग
Department of Expenditure

मांग संख्या - 31
Demand No. - 31

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on other Administrative Services	4070.00.003.12.01.52	0.20	0.05	जिम उपकरण, 10 केवी यूपीएस और वाणिज्यिक आरओ की खरीद के लिए। For purchase of Gym equipment, 10 KV UPS and Commercial RO.
2	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on other Administrative Services	4070.00.003.12.01.71	0.49	0.67	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) चेन्नई और आरटीसी मुंबई के लिए 102 ए. आई. ओ. कंप्यूटरों की खरीद और इंटरैक्टिव पैनलों की खरीद के लिए भुगतान। Payment towards procurement of 102 All-in-One (AIO) Computers and purchase of Interactive Panels for Regional Training Centre (RTC) Chennai and RTC Mumbai.

अनुलग्नक / Annexure

वित्तीय सेवाएं विभाग
Department of Financial Services

मांग संख्या - 32
Demand No. - 32

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	मशीनरी और उपकरण Machinery and Equipment	4070.00.001.31.14.52	2.00	0.15	कोलकाता स्थित ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) के कार्यालय परिसर के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त प्रावधान। Additional provision for renovation of office premises of Debt Recovery Appellate Tribunal(DRAT), Kolkata.
2	भारत-स्विट्जरलैंड सहयोग-छठे समझौते के तहत दावों का निपटारा करने के लिए नाबार्ड To settle claims under Indo-Swiss Cooperation-VI NABARD	2416.00.101.05.03.31	0.80	0.02	दावा के निपटान के लिए। For claim settlement.
3	प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)	2235.60.102.04.02.33	423.01	77.74	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सब्सिडी की आवश्यकता में वृद्धि के कारण। Due to increase in subsidy requirement for the FY. 2025-26.

अनुलग्नक / Annexure

प्रत्यक्ष कर
Direct Taxesमांग संख्या - 36
Demand No. - 36वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	आवास पर पूंजीगत व्यय - तैयार फ्लैटों का अधिग्रहण Capital outlay on housing-Acquisition of ready built flats	4216.01.111.01.00.72	80.00	12.01	रिहायशी, आवास की खरीद के लिए महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) को भुगतान। Payment to Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) for purchase of residential accommodation.

अनुलग्नक / Annexure

अप्रत्यक्ष कर
Indirect Taxesमांग संख्या - 37
Demand No. - 37वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Fiscal Services	4047.00.005.03.01.71	11.98	0.94	आईसीटी उपकरण और सेवाएं खरीदने के लिए For purchase of ICT equipment and services
2	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Fiscal Services	4047.00.005.03.08.52	0.33	0.11	मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए For purchase of Machinery & Equipment.
3	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Fiscal Services	4047.00.005.03.10.71	10.00	36.93	क्लाउड एनवायरनमेंट में अप्रत्यक्ष करों का लेखांकन एवं लेखा समाधान पोर्टल (एआरपीआईटी) होस्ट करने के साथ-साथ रिसोर्स सपोर्ट और सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदने के लिए For hosting Accounting & Reconciliation Portal of Indirect Taxes

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					(ARPIT) in cloud environment along with purchase of resource support and software licence
4	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Fiscal Services	4047.00.037.04.01.52	3.92	1.97	मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए For purchase of Machinery & Equipment.
5	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Fiscal Services	4047.00.005.03.09.52	7.07	8.29	मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए For purchase of Machinery & Equipment.
6	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Fiscal Services	4047.00.005.03.02.52	1.13	3.23	मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए For purchase of Machinery & Equipment.
7	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Fiscal Services	4047.00.037.04.02.52	10.00	12.19	मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए For purchase of Machinery & Equipment.
8	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Fiscal Services	4047.00.037.04.04.52	3.05	1.85	मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए For purchase of Machinery & Equipment.
9	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Fiscal Services	4047.00.037.04.06.52	1.00	0.23	मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए For purchase of Machinery & Equipment.
10	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Fiscal Services	4047.00.005.03.01.52	0.27	0.22	मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए For purchase of Machinery & Equipment.

अनुलग्नक / Annexure

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
Indian Audit and Accounts Department

मांग संख्या - 38

Demand No. - 38

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	लेखापरीक्षा पर पूंजीगत व्यय Capital Outlay on Audit	4016.00.102.01.05.71	0.42	0.10	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरणों के लिए अतिरिक्त निधि। Additional fund for ICT.
2	लेखापरीक्षा पर पूंजीगत व्यय Capital Outlay on Audit	4016.00.102.01.05.71	0.42	0.08	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरणों के लिए अतिरिक्त निधि। Additional fund for ICT.
3	लेखापरीक्षा पर पूंजीगत व्यय Capital Outlay on Audit	4016.00.102.01.09.71	86.55	12.39	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरणों के लिए अतिरिक्त निधि। Additional fund for ICT
4	लेखापरीक्षा पर पूंजीगत व्यय Capital Outlay on Audit	4016.00.102.01.01.52	6.48	0.30	मशीनरी और उपकरणों के लिए अतिरिक्त निधि। Additional fund for Machinery and Equipment.
5	लेखापरीक्षा पर पूंजीगत व्यय Capital Outlay on	4016.00.102.01.02.52	3.85	0.24	मशीनरी और उपकरणों के लिए अतिरिक्त निधि। Additional fund for

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Audit				Machinery and Equipment.
6	लेखापरीक्षा पर पूंजीगत व्यय Capital Outlay on Audit	4016.00.102.01.03.71	0.92	0.06	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरणों के लिए अतिरिक्त निधि। Additional fund for ICT.

अनुलग्नक / Annexure

मत्स्यपालन विभाग
Department of Fisheries

मांग संख्या - 43
Demand No. - 43

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025- 2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	मत्स्य संस्थान Fisheries Institutes	4405.00.103.13.00.71	0.83	0.09	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure for Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment.
2	मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि Fisheries And Aquaculture Infrastructure Development Fund	2405.00.103.22.00.33	29.00	0.50	मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के अंतर्गत सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for Subsidies under Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund.

अनुलग्नक / Annexure

पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying

मांग संख्या - 44

Demand No. - 44

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु समिति Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals (CCSEA)	2403.00.800.18.00.31	0.70	0.44	कार्यालय व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for Office Expenses.
2	लघु पशुनिधि संस्थान Small Livestock Institutes	4403.00.103.15.00.71	0.12	0.02	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment.
3	दिल्ली दुग्ध योजना Delhi Milk Scheme	4404.00.102.05.00.52	0.01	0.39	मशीनरी और उपकरणों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure for Machinery and

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Equipment
4	डेयरी विकास (ईएपी) Dairy Development (EAP)	6404.00.102.13.00.55	475.45	74.39	डेयरी विकास के अंतर्गत ऋण और अग्रिमों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for Loans & Advances under Dairy Development.

अनुलग्नक / Annexure

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
Ministry of Food Processing Industries

मांग संख्या - 45

Demand No. - 45

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली, हरियाणा National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Kundli, Haryana	2408.01.103.18.01.35	20.00	6.00	सिविल/ मरम्मत कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for civil/ repair works.
2	मेगा खाद्य पार्क स्कीम Scheme for Mega Food Parks	2408.01.103.19.01.33	27.00	3.00	इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for subsidies under the scheme.
3	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना स्कीम Scheme for Infrastructure for Agro-processing Clusters	2408.01.789.01.01.33	6.00	4.00	इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for subsidies under the scheme.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

4	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन / विस्तार स्कीम Scheme for Creation/ Expansion of Food Processing & Preservation Capacities	2408.01.789.01.03.33	30.08	8.30	इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for subsidies under the scheme.
5	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other General Economic Services	5475.00.001.01.05.52	0.23	0.08	मशीनरी और उपकरणों पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Machinery & Equipment.
6	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली, हरियाणा National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Kundli, Haryana	2408.01.103.18.01.31	28.26	1.60	सिविल/ मरम्मत कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for civil/ repair works.
7	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली, तमिलनाडु National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Thanjavur, Tamil Nadu	2408.01.103.20.01.35	13.00	2.59	सिविल/ मरम्मत कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for civil/ repair works.
8	कृषि प्रसंस्करण क्लस्ट्रो के लिए अवसंरचना स्कीम Scheme for Infrastructure for Agro-processing Clusters	2408.01.103.19.02.31	3.00	1.54	इस योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for Grants in aid General under the scheme.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

9	खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना स्कीम Scheme for Food Safety and Quality Assurance Infrastructure	2408.01.789.01.05.33	10.50	7.50	इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for subsidies under the scheme.
10	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली, हरियाणा National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Kundli, Haryana	2408.01.103.18.01.36	23.81	0.60	सिविल/ मरम्मत कार्यो के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for civil/ repair works.

अनुलग्नक / Annexure

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
Department of Health and Family Welfare

मांग संख्या - 46

Demand No. - 46

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जेआईपीएमईआर), पुडुचेरी Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry	2210.05.105.33.01.31	340.02	15.77	संस्थान के दैनिक खर्चों को पूरा करने और उसके सुचारु संचालन को पूरा करने के लिए है। For meeting enhanced day to day expenditure and proper functioning of the Institute.
2	विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) समर्थित राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (एनपीएस) World Health Organisation (WHO) supported National Polio Surveillance Project (NPS)	2211.00.109.14.00.31	49.99	50.01	विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा समर्थित राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (एनपीएस) की निर्धारित देनदारी को पूरा करने के लिए। To meet the committed liability of WHO supported National Polio Surveillance Project (NPS).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

3	बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम National Programme for Health Care for Elderly	2210.06.101.43.00.35	30.00	18.00	चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आईएमएस), बीएचयू में राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र (एनसीए) के निर्माण के लिए। For construction of National Centre of Ageing (NCA) at Institute of Medical Sciences (IMS), BHU.
4	संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएएचपी) National Commission for Allied & Health Care Professions (NCAHP)	2210.05.105.62.00.36	1.58	0.16	एनसीएएचपी के अंतर्गत भौतिक और डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना। To create physical and digital infrastructure under NCAHP.
5	नए एम्स की स्थापना व्यय Establishment Expenditure of New AIIMS	2210.05.105.66.00.31	2050.00	238.00	दैनिक कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए एम्स की स्थापना व्यय पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए। For meeting additional requirement under the Establishment Expenditure of New AIIMS for day to day activities.
6	राष्ट्रीय अंधता एवं दृश्य क्षति नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी एवं वीआई) National Programme for Control of Blindness and Visual Impairment (NPCB&VI)	2210.06.101.80.00.31	2.00	1.00	नेत्र शल्य चिकित्सकों के प्रशिक्षण, समीक्षा बैठक/ कार्यशाला आदि पर व्यय की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थानों और केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में आयोजित बैठकों का खर्च। For meeting expenditure on Training of eye surgeons, Review

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					meeting/ Workshop etc. at Regional Institutes of Ophthalmology and Central Govt. Hospitals .
7	लाला राम स्वरूप संस्थान/ राष्ट्रीय क्षय रोग एवं श्वसन रोग संस्थान (एनआईटीआरडी) Lala Ram Swarup Intittute/ National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases (NITRD)	2210.05.105.64.00.35	40.00	2.00	पुरानी एक्स-रे मशीनों और कार्यालय उपकरणों आदि को बदलने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional fund is required to replace old X-Ray machines and office equipments etc.
8	भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर Pasteur Institute of India, Coonoor	2210.06.106.02.96.31	0.50	0.10	आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन भुगतान और कार्यालय संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए। For payment of salary of outsourcing staff and procurement of office peripherals.
9	कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी, वर्धा , सेवाग्राम में मेडिकल कॉलेज Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram	2210.05.105.35.00.31	34.56	3.69	आउटसोर्सिंग स्टाफ के वेतन भुगतान और कार्यालय के सहायक उपकरणों की खरीद के लिए अधिक निधि की आवश्यकता है। Required more fund for payment of salary of outsourcing staff and procurement of office peripherals.
10	भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर Pasteur Institute of India, Coonoor	2210.06.106.02.02.35	2.00	2.42	फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर, बिजली के सामान आदि जैसी आधिकारिक वस्तुओं की खरीद के लिए। For procurement of official items such as photocopier machine,

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					computers, electric items etc.
11	नर्सिंग सेवाओं का विकास Development of Nursing Services	2210.06.003.11.02.31	26.00	0.49	बिजली और पानी के बकाया बिलों का भुगतान करने के लिए। For making payment of arrears of electricity and water charges.
12	कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, नई दिल्ली (केएससीएच) Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi (KSCH)	4210.01.110.03.00.72	0.10	10.40	कलावती सरन चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल के नए भवन के निर्माण के लिए। For construction of new building of KSCH.
13	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi	2210.05.105.26.01.31	18.91	2.07	अतिरिक्त निधि का उपयोग पुर्जों/ सहायक वस्तुओं की खरीद, विकास कार्यों, उपभोग्य सामग्रियों की दरों में वृद्धि, दवाओं, बिजली और पानी के शुल्क में वृद्धि, श्रम दर में वृद्धि आदि के लिए किया जाएगा। Additional fund for purchase of spares/ accessories, development works, hike in rate of consumables, medicine, electricity & water charge, hike in manpower rates etc.
14	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ Post-Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER),	2210.05.105.31.00.36	1450.00	0.86	वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में विभिन्न पदों की भर्ती और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए। For payment of annual increment in salary ,

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Chandigarh				Recruitment of various posts for PGIMER, Chandigarh and Retirement benefits to staff.
15	संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय आयोग National Commission for Allied & Health Care Professions	2210.05.105.62.00.35	1.00	10.00	ऑनलाइन पोर्टल के निर्माण, लैन/ वाई-फाई, कंप्यूटरों की खरीद और ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए। For creation of online portal, LAN/ Wi-Fi, procurement of computers and e-office implementation.
16	सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ Secretariat - Social Services	4250.00.001.01.17.71	6.00	9.00	अतिरिक्त इंटरनेट पॉइंट, टेलीफोन कंसोल और कंप्यूटर की खरीद। Procurement of additional internet points, telephone console and computers.
17	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्ल्यू), नई दिल्ली National Institute of Health and Family Welfare (NIHFW), New Delhi	2211.00.003.01.00.31	26.00	11.80	सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एलएमआईएस) के कार्यान्वयन के लिए For implementation of SAKSHAM -Learning Management Information System (LMIS)
18	पी.एच.ओ. में प्रवेश बिंदुओं की निगरानी क्षमता को मजबूत करना Strengthening surveillance capacity of Points of Entry at PHOs	4210.04.200.33.03.71	0.75	0.19	क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर आदि की खरीद हेतु For procurment of desktop computers, laptops and printers etc., for regionals offices

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

19	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ Rural Health Training Centre, Najafgarh	4211.00.800.06.00.52	0.50	0.45	ऑडियोमीटर, आईसीयू/ एनआईसीयू/ पीआईसीयू और शवगृह के उपकरण जैसे पालना आदि की खरीद के लिए। For procurement of Audiometer, ICU/ NICU/ PICU & Mortuary equipment like basinet, etc.
20	आपदा और महामारी की तैयारी को मजबूत करने के तहत स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्रों की स्थापना Setting up of Health Emergency Operation Centres under Strengthening Disaster and Epidemic Preparedness	4210.04.200.33.02.71	20.00	12.96	डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर आदि की थोक खरीद के लिए। For bulk procurement of desktop computers, laptops and printers etc.
21	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), नई दिल्ली (मुख्य संस्थान) National Centre for Disease Control (NCDC), New Delhi (Main Institution)	4210.04.101.15.01.71	0.23	0.10	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए कंप्यूटरों की तत्काल खरीद। Urgent procurement of computers for contractual staff engaged under the Programme Management Unit.
22	नए एम्स की स्थापना व्यय Establishment Expenditure of New AIIMS	2210.05.105.66.00.36	4665.00	865.00	दैनिक कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए एम्स की स्थापना व्यय पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए। For meeting additional requirement in salary for newly recruited staffs under the Establishment Expenditure of New

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					AIIMS.
23	ई-स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए कार्यक्रम (पीएसईटीएस) Programme for Strengthening of e-Health and Telemedicine Services (PSETS)	2210.06.101.81.00.31	45.97	2.39	डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे नए एआई समाधानों का परिनियोजन और समर्थन के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, जिसमें पीएमयू, आईटी समर्थन, क्लाउड समर्थन, फील्ड परिनियोजन के लिए मानव संसाधन समर्थन, ऑनबोर्डिंग और समाधान शामिल हैं। Additional fund required for new AI solutions like Diabetic retinopathy deployment and support including a PMU, IT support, cloud support, HR support for field deployment, on-boarding & resolutions.
24	सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ Secretariat - Social Services	4250.00.001.01.17.71	6.00	1.00	अतिरिक्त इंटरनेट पॉइंट, टेलीफोन कंसोल और कंप्यूटर की खरीद के लिए। For procurement of additional internet points, telephone console, and computers.
25	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएनएस), बेंगलुरु National Institute of Mental Health & Neuro Sciences (NIMHANS),	2210.05.105.29.00.35	155.00	6.40	मस्तिष्क संग्रहालय की स्थापना से संबंधित चल रहे कार्यों के लिए एक नए ओपीडी ब्लॉक के निर्माण हेतु अग्रिम भुगतान के लिए। For advance payment for the construction of a new OPD block for ongoing works related

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Bengaluru				to the establishment of the Brain Museum.
26	बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम National Programme for Health Care for Elderly	2210.06.101.43.00.31	11.39	6.49	विभिन्न क्षेत्रीय वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्रों (आरजीसी) को दैनिक व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए निधि जारी करना। To release of funds to various Regional Geriatric Centres (RGCs) for meeting the day to day expenditure need.
27	भारतीय फार्माकोपिया आयोग Indian Pharmacopoeia Commission	2210.06.104.05.00.35	5.00	1.25	आईपीसी, गाजियाबाद के एएलआरसी भवन के आंतरिक साज-सज्जा और उपकरणों एवं फर्नीचर आदि की खरीद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet internal finishing and procurement of equipments and furniture etc.of ALRC building of IPC,Ghaziabad.
28	राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम National Organ Transplant Programme	2210.06.101.69.00.31	5.50	1.84	क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (गुवाहाटी, मुंबई) और राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम, केरल) को निधि जारी करने के लिए। For release of fund to Regional Organ and Tissue Transplant Organizations (ROTTOS)

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					(Guwahati, Mumbai) and State Organ and Tissue Transplant Organisations (SOTTOs) (HP, J&K, Arunachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Odisha, Puducherry, Sikkim, Kerala).
29	आरसीएच और हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के लिए फ्लेक्सिबल पूल Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and National Urban Health Mission	2210.06.001.11.00.31	45.60	10.70	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) प्रोग्रामेटिक पूल और अन्य प्रतिबद्ध देनदारियों के तहत अतिरिक्त मांग। Additional Demand under National Health Mission (NHM) Programmatic pool and other committed liabilities.
30	अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai	4210.01.110.09.00.71	1.00	0.05	कार्यालयीय उपयोग के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप की खरीद हेतु। For procurment of desktop computers, laptops for official use.
31	अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences, New Delhi	4210.03.105.08.00.72	15.00	3.50	नए मेडिकल कॉलेज के भवन एवं संरचना निर्माण के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता। For additional requirement of fund under Building & Structure for new medical college.
32	अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच एवं पीएच), कोलकाता All India Institute of	4210.04.112.01.00.52	0.40	0.20	पुरानी एक्स-रे मशीनों को बदलने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। Additional amount is required to replace old

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Hygiene and Public Health (AIHH & PH), Kolkata				X-Ray machines.
33	आरसीएच और हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के लिए फ्लेक्सिबल पूल Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and National Urban Health Mission	2210.06.001.11.01.31	28.31	2.45	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) प्रोग्रामेटिक पूल और अन्य प्रतिबद्ध देनदारियों के तहत अतिरिक्त मांग। Additional Demand under National Health Mission (NHM) Programmatic pool and other committed liabilities.
34	राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (एनएएमएस) National Academy of Medical Sciences (NAMS)	2210.05.105.72.00.31	1.20	0.01	सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना और क्रियान्वयन के लिए For planning and execution of implementation of Continuing Medical Education (CME) & Training programmes.
35	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi	2210.05.105.28.01.31	1603.36	275.34	उपभोग्य सामग्रियों और दिन-प्रतिदिन के खर्चों में वृद्धि को पूरा करने के लिए, प्रतिष्ठान और रोगी देखभाल आदि के लिए और रोगियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए। To meet increase in expenditure on consumables & day to day expenses, for establishment and patient care etc and maintaining minimum

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					essential requirements to cope up increased patient footfall.
36	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन को मजबूत करना Strengthening National Programme Management of the National Rural Health Mission (NRHM)	2211.00.001.07.00.31	153.40	14.75	विभिन्न राज्यों में निर्धारित दायित्वों को पूरा करने के लिए। To meet out committed liabilities at various States.
37	राष्ट्रीय लोक स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, मुंबई National Institute of Public Health Training & Research, Mumbai	4211.00.800.09.00.73	0.15	0.15	आवासीय कर्मचारी क्वार्टर परिसर में सीसीटीवी और एसी लगाने के लिए। For CCTV and AC installation at residential staff quarters complex.
38	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जेआईपीएमईआर), पुडुचेरी Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry	2210.05.105.33.01.35	150.00	30.00	जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी, कराईकल और यानम के विभिन्न विभागों में नए उपकरणों की खरीद। Procurement of New equipment at various departments at JIPMER Puducherry, Karaikal and Yanam.
39	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ Post-Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh	2210.05.105.31.00.35	390.00	40.00	एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर, एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर, सैटेलाइट सेंटर संगरूर, ऊना, फिरोजपुर और मुख्य अस्पताल के लिए उपकरणों की खरीद तथा पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए। For advanced Neurosciences centre, advance mother and child care centre,

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					satellite centre Sangrur, Una , Ferozpur and for procurement of equipment for main hospital, and replacement of old equipment.
40	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi	2210.05.105.28.01.35	540.00	10.00	विभिन्न ब्लॉकों में अत्याधुनिक अवसंरचना और मशीनरी एवं उपकरणों के उन्नयन की बढ़ती मांग। Augmented demand for state of art infrastructure and updation of machinery & equipment in various Blocks.
41	राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (एनएएमएस) National Academy of Medical Sciences (NAMS)	2210.05.105.72.00.36	1.70	0.01	नियमित कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए To cater for dearness allowance and increment to regular staff
42	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) National Centre for Disease Control (NCDC)	4210.04.101.15.01.71	0.23	0.17	अतिरिक्त कंप्यूटर और सहायक उपकरण आदि की खरीद के लिए। For procurement of additional Computers and peripherals etc.
43	लाला राम स्वरूप संस्थान/ राष्ट्रीय क्षय रोग एवं श्वसन रोग संस्थान (एनआईटीआरडी) Lala Ram Swarup Intittute/ National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases (NITRD)	2210.05.105.64.00.31	47.00	3.56	बिजली और पानी के बकाया बिलों के भुगतान और आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए। For payment of arrears of electricity and water charges and salary of oursourced staff.

अनुलग्नक / Annexure

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
Department of Health Researchमांग संख्या- 47
Demand No. - 47वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और मार्गदर्शन के लिए अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण और समन्वय के लिए अनुदान सहायता योजनाएं (जीआईए) Grant-in-aid (GIA) Scheme for Inter - Sectoral Convergence & Coordination for Promotion and Guidance on Health Research	2552.00.286.09.00.31	0.70	2.25	योजना की अंतर-क्षेत्रीय/संयुक्त परियोजनाओं के लिए चुने गए प्रस्तावों के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता। Additional funds required for the proposals selected for inter-sectoral/Joint Projects of the Scheme.
2	राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान यूनिट Model Rural Health Research Units (MRHRUs) in the States	2552.00.286.13.03.31	5.85	2.19	एमआरएचआरयू के निर्माण की लागत, मौजूदा एम. आर. एच. आर. यू. को उपकरण प्रदान करने और आवर्ती तथा प्रशासनिक खर्चों के लिए निधि की आवश्यकता। Additional funds required for cost of construction of MRHRUs, providing equipment to existing MRHRUs, and for Recurring and Administrative expenses.
3	अन्य समाज सेवाओं पर पुंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Social Services	4250.00.001.01.15.71	0.40	0.10	एल2 नेटवर्क स्विच, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि जैसे आईसीटी उपकरणों की खरीद के लिए विभिन्न प्रस्ताव के कारण Due to various proposals for

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					procurement of ICT equipment such as L2 network switches, computers, printers etc.
4	राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान यूनिट Model Rural Health Research Units (MRHRUs) in the States	2210.05.105.51.03.31	52.68	19.88	एमआरएचआरयू के निर्माण की लागत, मौजूदा एमआरएचआरयू को उपकरण प्रदान करने और आवर्ती तथा प्रशासनिक खर्चों के लिए निधि की आवश्यकता। Additional funds required for cost of construction of MRHRUs, providing equipment to existing MRHRUs, and for Recurring and Administrative expenses.
5	महामारी को फैलने से रोकने के उपकरणों का विकास Development of Tools to Prevent Outbreak of Epidemics	2210.06.101.40.00.31	3.49	0.18	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग-भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (डीएचआरआईसी. एमआर) की चल रही परियोजनाओं के प्रति वर्तमान देनदारियों को पूरा करने हेतु To meet the current liabilities towards the ongoing projects of Department of Health Research- Indian Council of Medical Research (DHR-ICMR)
6	अन्य समाज सेवाओं पर पुंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Social Services	4250.00.001.01.15.71	0.40	0.09	एल2 नेटवर्क स्विच, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए विभिन्न प्रस्ताव के कारण Due to various proposals for procurement of Information and Communication Technology (ICT) equipment such as L2 network switches, computers, printers etc.
7	राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान यूनिट Model Rural Health Research Units (MRHRUs) in the States	2552.00.286.13.03.31	5.85	0.30	एमआरएचआरयू के निर्माण की लागत, एमआरएचआरयू को उपकरण प्रदान करने और आवर्ती और प्रशासनिक खर्चों के लिए निधि की आवश्यकता। Additional funds required for cost of construction of MRHRUs, providing equipment to existing MRHRUs, and for Recurring and Administrative expenses.

अनुलग्नक / Annexure

भारी उद्योग मंत्रालय
Ministry of Heavy Industries

मांग संख्या- 48
Demand No. - 48

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Capital Goods Sector	2852.06.101.38.01.35	117.50	0.79	योजना के तहत अधिक दावे प्राप्त होने के कारण। Due to receipt of more claims under the scheme.
2	केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) Central Manufacturing Technology Institute (CMTI)	2852.06.101.38.02.36	20.03	0.57	अनुदान सहायता वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Grants-in-Aid Salaries.
3	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय Capital Outlay on Other General Economic Services	5475.00.001.01.40.52	0.55	0.03	मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Machinery and Equipment.
4	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय Capital Outlay on Other General Economic Services	5475.00.001.01.40.71	0.55	0.02	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों के अंतर्गत होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Information, Computer, Telecommunications(ICT) equipment.

अनुलग्नक / Annexure

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

मांग संख्या- 49
Demand No. - 49

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	स्थापना व्यय Establishment Expenditure	4070.00.001.35.01.71	0.02	0.05	केटीएस (टेलीफोन सिस्टम), कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए माइक्स आदि से संबंधित लंबित बिलों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet the additional expenditure towards pending bills relating to KTS (Telephone System), mikes for conference hall etc.
2	अन्य केंद्रीय विविध व्यय Other Central Miscellaneous Expenditure	2245.80.102.13.01.31	15.00	10.00	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के संदर्भ में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet the additional expenditure towards National Institute of Disaster Management (NIDM).
3	अन्य केंद्रीय विविध व्यय Other Central Miscellaneous Expenditure	2245.80.102.13.01.31	15.00	3.00	एनआईडीएम में कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति संबंधी बकाया राशि के लिए आवश्यक अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure required for salary and retirement dues of staff at NIDM.
4	स्थापना व्यय Establishment Expenditure	4250.00.101.03.00.71	5.50	5.00	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीद के लिए किए

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					<p>जाने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet the additional expenditure with towards National Disaster Management Authority (NDMA) for procurement of IT equipment.</p>
--	--	--	--	--	--

अनुलग्नक / Annexure

मंत्रिमंडल
Cabinetमांग संख्या- 50
Demand No. - 50वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सचिवालय सामान्य सेवाएं कैबिनेट सचिवालय (मुख्य + पी.ए.ओ.) Secretariat - General Services Cabinet Secretariat (Main+ Pao)	4075.00.001.01.05.52	0.30	0.10	कार्यालय उपकरण खरीदने और नए कार्यालय की स्थापना करने के लिए धन की आवश्यकता है। Funds are required for procurement of office equipment, and new office setup.
2	मंत्रिपरिषद् कैबिनेट सचिवालय सचिवालय (मुख्य + पी.ए.ओ.) राष्ट्रीय अभिसमय रासायनिक हथियार अभिसमय को सहायता डेस्क के लिए अनुदान Council of Ministers Cabinet Secretariat Secretariat (Main+Pao) Grants for Help Desks to National Authority Chemical Weapons Convention	2013.00.106.01.02.31	0.80	0.21	सीडब्ल्यूसी जागरूकता कार्यक्रमों के लिए निधियों की आवश्यकता। Funds are required for CWC awareness programmes.
3	सचिवालय-सामान्य सेवाएं प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार	4075.00.001.01.06.71	0.20	0.22	क्लाउड सेवाओं और ई-ऑफिस के लिए एनआईसीएसआई को भुगतान करने और आईटी उपकरणों की

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	का कार्यालय Secretariat - General Services Office of Principal Scientific Advisor				खरीद के लिए निधियों की आवश्यकता है। Funds are required for payment to NICSII for cloud services and e-office and procurement of IT equipment.
4	सचिवालय सामान्य सेवाएं कैबिनेट सचिवालय (मुख्य + पी.ए.ओ.) Secretariat - General Services Cabinet Secretariat (Main+ Pao)	4075.00.001.01.05.71	2.00	0.55	सेंट्रल विस्टा के खर्चों को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता है। Funds are required to meet the expenditure for Central Vista.
5	सचिवालय सामान्य सेवाएं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय Secretariat - General Services National Security Council Secretariat	4075.00.001.01.31.71	5.00	9.00	जीओबी-3 में आईटी सेवाएं स्थापित करने और विदेशों के बीच संपर्क लाइन को सुरक्षित करने के लिए नए आईटी उपकरण खरीदने हेतु निधियों की आवश्यकता है। Funds are required for purchase of new IT equipment for setting up IT services at GOB-3 and to secure line between foreign countries.

अनुलग्नक / Annexure

पुलिस
Policeमांग संख्या- 51
Demand No. - 51वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल आधुनिकीकरण Central Reserve Police Force Modernisation	4055.00.201.04.00.52	60.00	15.03	डिजिटल वीएचएफ रेडियो सेटों की खरीद के लिए। For procurement of digital VHF radio sets.
2	केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण विद्यालय -सहायता अनुदान (सामान्य) Central Detective Training School Grants-in-Aid-General	2055.00.003.02.01.31	0.04	0.04	बेंगलुरु और अगरतला में नए सीडीटीआई की स्थापना के लिए। For establishing of new CDTIs at Bengaluru and Agartala.
3	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो - सहायता अनुदान (सामान्य) Bureau of Police Research and Development Grantsin-Aid-General	2055.00.004.01.04.31	0.05	0.05	रिक्त पदों को भरने के कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के लिए। On account of filling up of vacant post.
4	असम राइफल्स - सामान्य Assam Rifles- General	4055.00.202.04.00.78	7.50	69.68	अदालत के आदेश के अनुपालन में काकचिंग (मणिपुर) में भूमि अधिग्रहण के लिए। For acquisition of land at Kakching (Manipur) in compliance of the court order.
5	सीमा सुरक्षा बल - आधुनिकीकरण Border Security Force- Modernisation	4055.00.203.01.07.52	55.00	30.00	महत्वपूर्ण संचार प्रणालियों, निगरानी उपकरणों, चिकित्सा प्रणालियों, प्रशिक्षण सिमुलेटरों, यूएवी और आवश्यक बुनियादी वस्तुओं के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					To meet additional requirement for payment of critical communication systems, surveillance equipment, medical systems, training simulators, UAVs and essential infrastructure items.
6	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल-सामान्य Central Reserve Police Force- General	4055.00.201.03.00.71	59.25	7.95	एचएफ रेडियो और उसके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है। Additional fund is required for purchase of HF Radio with accessories.
7	असम राइफल्स - सीमावर्ती चौकियाँ Assam Rifles- Border Out Posts	4055.00.202.03.00.73	100.00	24.99	असम राइफल्स-सीमावर्ती चौकियों में कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) पर विभिन्न कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet the additional expenditure for various works at Company Operating Bases (COB) in Assam Rifles-Border Out Posts.
8	केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय Central Detective Training School	4055.00.210.04.01.52	1.76	1.34	केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण विद्यालय के अंतर्गत सभागार में एलईडी लाइटें चालू करने के लिए बजट मद 'मशीनरी और उपकरण' के तहत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। Additional fund is required under the Budget Head 'Machinery and Equipment' for the activation of the LED of the Auditorium under Central Detective Training School.
9	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NARCOTICS CONTROL BUREAU	4055.00.216.12.01.71	2.77	2.70	16 नए स्थानों पर सीएमएस सुविधा की स्थापना के लिए। For installation of CMS facility at 16 new locations.
10	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड – आधुनिकीकरण NATIONAL SECURITY GUARD- MODERNISATION	4055.00.204.04.00.72	35.00	15.00	मानेसर स्थित आवासीय क्वार्टरों के उन्नयन कार्य हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional fund is required for work of upgradation of quarters at Manesar.
11	सीमा सुरक्षा बल – स्वच्छता	4055.00.203.01.96.72	40.00	10.00	सीमा सुरक्षा बल- स्वच्छता कार्य

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	कार्य योजना Border Security Force- Swachta Action Plan				योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards various works in Border Security Force- Swachta Action Plan.
12	सशस्त्र सीमा बल -सामान्य SSB General	4055.00.213.04.00.52	23.70	30.00	बीपी जैकेट और एचएपी (बुलेट रेज़िस्टेंस प्लेट्स) लेवल-VI की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure towards purchasing of BP Jacket and HAP (Bullet Resistance Plates) level-VI.
13	दिल्ली पुलिस के यातायात एवं संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण MODERNISATION OF TRAFFIC & COMMUNICATION NETWORK OF DELHI POLICE	4055.00.212.09.01.72	5.00	1.50	दिल्ली पुलिस के यातायात संचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet additional requirement under Modernization of traffic communication network of Delhi Police.
14	आसूचना ब्यूरो INTELLIGENCE BUREAU	4055.00.216.10.01.78	300.00	85.00	वस्तु शीर्ष-"भूमि" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Object Head - "Land".
15	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NARCOTICS CONTROL BUREAU	4055.00.216.12.01.78	50.00	1.00	रायपुर में भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक धनराशि। Funds required for procurement of land at Raipur.
16	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण National Investigation Agency	4055.00.216.13.01.71	16.59	12.17	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional fund requirement under - Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment.
17	असूचना ब्यूरो Intelligence Bureau	4055.00.216.10.01.71	175.00	28.10	विभिन्न परियोजनाओं और आईबी के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधि की

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					आवश्यकता है। Additional fund is required for various projects and payment towards committed liabilities under IB.
18	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- आधुनिकीकरण Central Industrial Security Force- Modernisation	4055.00.205.03.00.52	20.00	19.12	सीआईएसएफ में सुरक्षा संबंधी विभिन्न वस्तुओं की खरीद के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional fund is required for the procurement of various security related items in CISF.
19	सशस्त्र सीमा बल- सीमावर्ती चौकियाँ Sashastra Seema Bal- Border Out Posts	4055.00.213.03.00.78	45.00	10.45	एसएसबी में विभिन्न फ्रंटियरों के अंतर्गत 47 वन बीओपी के एनपीवी के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। For meeting additional expenditure towards payment on account of NPV of 47 forest BOPs under various Frontiers in SSB.
20	इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम Intelligent Traffic Management System	4055.00.212.13.00.52	0.01	0.07	विभिन्न वाहन खरीद प्रस्तावों के भुगतान के लिए। For making the payment of various proposals for purchasing of vehicles.
21	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- आधुनिकीकरण Central Industrial Security Force- Modernisation	4055.00.205.03.00.75	23.70	0.90	त्रिची स्थित आयुध कारखाने में सुरक्षा संबंधी विभिन्न वस्तुओं की खरीद के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional fund is required for procurements of various security related items at Ordnance Factory Trichy.
22	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड- सामान्य National Security Guard- General	4055.00.204.02.00.71	3.16	4.52	एनआईडीएमएस प्रोजेक्ट के लिए हार्डवेयर भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता। Additional fund is required for payment of Hardware for NIDMS Project.
23	असम राइफल्स – बीओपी (सीमा चौकी) ASSAM RIFLES- BOP	4055.00.202.03.00.73	100.00	25.00	असम राइफल्स में कंपनी के परिचालन अड्डों (सीओबी) के लिए हुए अतिरिक्त खर्चों को पूरा करना। Meeting additional expenditure incurred for Company Operating Bases (COBs) at Assam Rifles.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

24	राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो सामान्य National Crime Record Bureau General	4055.00.216.07.01.71	19.75	7.83	एनसीआरबीजी के तहत विभिन्न आईटी संबंधी वस्तुओं की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। Additional fund is required for procurement of various IT related items under NCRBG.
25	राष्ट्रीय पुलिस अकादमी सामान्य National Police Academy General	4055.00.210.01.03.52	4.59	2.41	मशीनरी और उपकरणों के उन्नयन के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Additional fund is required for upgradation of machinery and equipment.
26	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण National Investigation Agency	4055.00.216.13.01.71	16.59	1.24	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional fund requirement under - Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment.
27	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आवासीय भवन National Security Guard Residential Buildings	4055.00.204.04.00.72	35.00	9.99	मानेसर में कार्टरों के उन्नयन कार्य के लिए। For work of upgradation of quarters at Manesar.
28	राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU	4055.00.216.07.01.71	19.75	4.42	एनसीआरबी के तहत आईटी उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। For meeting additional expenditure towards procurement of IT items under NCRB.

अनुलग्नक / Annexure

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
Andaman and Nicobar Islandsमांग संख्या- 52
Demand No. - 52वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य Medical and Public Health	2210.05.105.52.00.36	38.00	13.05	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान सोसायटी (एएनआईएमईआरएस) के कर्मचारियों के वेतन हेतु। For salary of employees of Andaman & Nicobar Islands Medical Education and Research Society (ANIMERS).
2	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिस्य Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.001.33.07.72	1.33	0.18	दक्षिण अंडमान में कार्यालयों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए। For repair and renovation of offices in South Andaman.
3	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिस्य Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.001.33.09.72	0.10	0.80	अग्नि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के लिए। For installation of fire safety equipments.
4	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिस्य Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.800.33.00.73	0.00	0.00	सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना के लिए (पुनर्विनियोजन राशि रु. 0.001 करोड़ है)। For installation of Solar Roof Top Panel (Amount re-appropriated is Rs. 0.001 crore).
5	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिस्य Capital Outlay on Education, Sports, Art	4202.01.203.02.01.72	0.60	0.20	सभागार और कॉलेज भवनों के नवीनीकरण के लिए। For renovation of auditorium and college buildings.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	and Culture				
6	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	4202.01.203.02.02.72	0.38	0.07	टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन (टीजीसीई) के मुख्य भवन के नवीनीकरण के लिए । For renovation of main building of Tagore Government College of Education (TGCE).
7	फसल पालन Crop Husbandry	2401.00.105.16.00.33	0.50	0.10	खरीफ मौसम के लिए नीम लेपित यूरिया और डीएपी जैव-कीटनाशकों की खरीद हेतु। For purchase of Neem Coated Urea and DAP Bio-pesticides for Kharif season.
8	फसल पालन Crop Husbandry	2401.00.110.06.00.33	0.13	0.03	खरीफ मौसम के लिए नीम लेपित यूरिया और डीएपी जैव-कीटनाशकों की खरीद हेतु। For purchase of Neem Coated Urea and DAP Bio-pesticides for Kharif season.
9	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	4202.01.203.02.05.73	0.05	0.10	सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना के लिए। For installation of Solar Roof Top Panels.
10	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परव्यय Capital Outlay on Social Security and Welfare	4235.02.102.03.00.71	0.01	0.14	कंप्यूटरों की खरीद के लिए। For procurement of computers.
11	वन और वन्यजीवन पर पूंजीगत परव्यय Capital Outlay on Forestry and Wildlife	4406.01.105.02.00.71	0.55	0.20	डीजीपी, मैपिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ई-स्मार्ट सॉफ्टवेयर सुरक्षा ऑडिट और वीएचएफ, एचएफ लाइसेंस नवीनीकरण जैसे आईटी उपकरणों की खरीद के लिए। For procurement of IT equipment like DGPs, Mapping software license, E-Smart Software security audits and VHF, HF license renewals.
12	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय Capital Outlay on Other Rural Development Programme	4515.00.101.01.00.73	0.29	0.02	सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना के लिए। For installation of Solar Roof Top Panels.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

13	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधानों पर पूंजीगत व्यय Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	5425.00.600.03.00.72	0.05	0.05	जेनसेट शेड के निर्माण के लिए । For construction of Genset shed.
14	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधानों पर पूंजीगत व्यय Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	5425.00.600.03.00.72	0.05	0.00	हैंड रेल सहित रैंप के निर्माण के लिए (पुनर्विनियोजन राशि रु. 0.0012 करोड़ है) । For construction of ramp with hand rails (Amount re-appropriated is Rs. 0.0012 crore).

अनुलग्नक / Annexure

लक्षद्वीप
Lakshadweep

मांग संख्या- 56
Demand No. - 56

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Public Works	4059.01.051.30.00.72	12.00	3.00	यह अतिरिक्त खर्च अलग-अलग द्वीपों में सिविल स्टेशन की इमारतों के लिए ठेकेदारों को निर्माण प्रभार के पेमेंट की वजह से हुआ है। For payment of construction charges to contractors for Civil Station buildings in various Islands.
2	जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	4215.01.102.07.00.73	5.00	9.00	यह अतिरिक्त रकम डीसैलिनेशन प्लांट, पानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आदि के लिए पाइपलाइन बनाने की लागत को पूरा करने के लिए है। For meeting the cost of construction of pipelines for desalination plants, water distribution network, etc.

अनुलग्नक / Annexure

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
Ministry of Housing and Urban Affairs

मांग संख्या- 60
Demand No. - 60

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	राजघाट समाधि समिति Rajghat Samadhi Committee	2059.80.001.24.01.31	4.60	2.64	राजघाट समाधि समिति के कार्यालय भवन के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए। For renovation & upgradation of office building of Rajghat Samadhi Committee.
2	एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं MRTS and Metro Projects	2217.80.001.15.00.31	5.00	5.00	बैंगलोर मेट्रो द्वारा जारी किए गए बिलों की प्रतिपूर्ति और उत्तर प्रदेश के शहरों (अयोध्या, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ), चेन्नई क्षेत्र और सूरत शहर के लिए सीएमपी के विभिन्न प्रस्तावों के लिए। For reimbursement of bills raised by Bangalore Metro and various proposals of CMP for cities of UP(Ayodhya, Kanpur, Agra, Aligarh, Lucknow), Chennai region and Surat City.
3	सचिवालय सामान्य सेवाएँ Secretariat General Services	4217.60.001.01.00.71	3.37	0.35	आईटी उपकरणों की खरीद के लिए। For procurement of IT equipment.

अनुलग्नक / Annexure

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
Ministry of Information and Broadcasting

मांग संख्या- 61
Demand No. - 61

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान, पुणे Films television Institute of India, Pune	2220.01.105.04.01.35	33.51	3.52	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Grants for creation of capital assets.
2	भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान, पुणे Films television Institute of India, Pune	2220.01.105.04.01.36	22.49	2.51	सहायता अनुदान वेतन के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Grants in aid salaries.
3	सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान Satyajit Ray Film & Television Institute	2220.01.105.06.01.31	24.30	4.05	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Grants in aid General.
4	भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान, पुणे Films television Institute of India, Pune	2220.01.105.04.01.31	32.89	0.19	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Grants in aid General.
5	भारत के प्रेस महापंजीयक Press Registrar General of India	4220.60.001.02.05.71	0.25	0.03	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरणों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					requirement under information, computer, telecommunication equipment.
6	फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार Development Communication & Dissemination of Filmic Content	2552.00.212.05.00.31	36.30	2.80	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Grants in aid General.
7	भारतीय जनसंचार संस्थान Indian Institute of Mass Communication	2220.60.003.01.01.31	19.95	3.00	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Grants in aid General.
8	फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार Development Communication & Dissemination of Filmic Content	4220.01.052.10.00.52	1.10	2.49	मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। to meet additional requirement under machinery and equipment.
9	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम National Film Development Corporation	2220.01.105.19.01.31	16.90	5.82	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Grants in aid General.
10	फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार Development Communication & Dissemination of Filmic Content	2220.01.105.17.01.31	311.59	10.88	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Grants in aid General.
11	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम National Film Development Corporation	2220.01.105.19.96.31	0.10	0.29	स्वच्छता कार्य योजना अनुदान के तहत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Swacchata Action Plan Grants in aid General.
12	प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास Broadcasting Infrastructure and Network Development	2552.00.218.04.00.35	45.00	5.00	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Grants for creation of capital assets.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

13	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम National Film Development Corporation	2220.01.105.19.01.31	16.90	6.84	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Grants in aid General.
14	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम National Film Development Corporation	2220.01.105.19.01.31	16.90	3.05	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Grants in aid General.
15	सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान Satyajit Ray Film & Television Institute	2220.01.105.06.01.31	24.30	3.84	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Grants in aid General.
16	सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान Satyajit Ray Film & Television Institute	2220.01.105.06.01.35	14.00	5.16	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। To meet additional requirement under Grants for creation of capital assets.

अनुलग्नक / Annexure

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

मांग संख्या- 62
Demand No. - 62

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ Secretariat Economic Services	5475.00.001.01.02.71	5.00	0.30	आईसीटी उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of ICT equipment.
2	अनुसंधान और विकास एवं राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन Research and Development and Implementaion of National Water Mission	2701.80.004.11.01.31	3.41	3.64	जीआईए-जनरल के तहत अनुसंधान एवं विकास के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure under GIA-General for R & D.
3	अनुसंधान और विकास एवं राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन Research and Development and Implementaion of National Water Mission	2701.80.004.11.03.35	9.00	0.75	अनुसंधान एवं विकास के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for R&D.
4	फरक्का बैराज परियोजना Farakka Barrage Project	5075.01.201.03.00.71	2.50	1.00	आईसीटी उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipments.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

5	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ Secretariat Economic Services	5475.00.001.01.03.71	0.08	0.07	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipments.
6	कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण Krishna Water Disputes Tribunal	5475.00.001.03.02.71	0.02	0.02	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipments.
7	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड Upper Yamuna River Board	4701.80.800.03.00.71	0.05	0.10	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipments.
8	राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण National Dam Safety Authority	5475.00.001.03.05.71	0.60	0.25	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipments..
9	लेखा नियंत्रक कार्यालय- डीओडब्ल्यूआर Office of controller of Accounts-DoWR	5475.00.001.01.03.52	0.06	0.01	मशीनरी और उपकरणों पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure for Machinery & Equipment.
10	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय National River Conservation Directorate	5425.00.208.16.01.71	0.15	0.05	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					of Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipments.
11	सिंचाई जनगणना Irrigation Census	2552.00.442.12.00.31	4.00	0.40	सिंचाई जनगणना के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for Irrigation Census.
12	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना National River Conservation Plan	3435.04.101.06.08.31	15.00	20.00	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for National River Conservation Plan.
13	केंद्रीय जल आयोग Central Water Commission	4701.80.001.02.00.71	5.00	0.70	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipments.
14	अनुसंधान और विकास एवं राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन Research and Development and Implementaion of National Water Mission	2701.80.004.11.03.31	6.00	0.50	अनुसंधान एवं विकास के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for R&D.
15	अनुसंधान और विकास एवं राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन Research and Development and Implementaion of National Water Mission	4701.80.004.05.01.71	3.00	0.25	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipments.
16	बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम Flood Management and Border Areas Programme	4711.01.001.32.00.52	1.40	1.35	मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of Machinery and Equipment.
17	केंद्रीय जल आयोग Central Water Commission	4701.80.001.02.00.52	0.20	0.20	मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					To meet additional expenditure under Machinery & Equipment.
18	नदी बेसिन प्रबंधन River Basin Management	4701.80.800.09.02.52	0.63	0.05	मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Machinery & Equipment.
19	नदी घाटी प्रबंधन River Basin Management	2701.80.800.21.02.31	44.00	6.60	नदी बेसिन प्रबंधन के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for River Basin Management.
20	बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम Flood management and Border Areas Programme	4711.01.001.32.00.71	0.18	0.22	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipments.
21	कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण Modernization of command area development and water management	4701.80.001.04.01.71	0.00	2.22	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipments.
22	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ Secretariat Economic Services	5475.00.001.01.02.71	5.00	0.19	सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipments.

अनुलग्नक / Annexure

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour and Employment

मांग संख्या- 64
Demand No. - 64

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Social Services	4250.00.201.29.01.71	2.00	0.30	संस्थान के अंतर्गत पुराने कंप्यूटरों को बदलने के लिए डिजिटल उपकरणों के लिए भुगतान। For Payment towards digital equipment to replace outdated computers under establishment.
2	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Social Services	4250.00.201.18.05.52	0.20	0.09	प्रतिष्ठान के अंतर्गत बहुक्रियाशील जेरोक्स मशीन, स्कैनर और अन्य संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए। For procurement of multifunction xerox machines, scanner and other related equipments under establishment.

अनुलग्नक / Annexure

विधि और न्याय
Law and Justiceमांग संख्या- 65
Demand No. - 65

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली Legal Aid Defense Counsel System	2014.00.119.04.01.31	195.84	99.99	जमीनी स्तर पर कानूनी सहायता क्लीनिकों के विस्तार के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for expansion of legal aid clinics at grass root level.
2	सचिवालय (राजभाषा खंड) Secretariat (Official Languages Wing)	4075.00.001.01.19.71	0.10	0.20	आईटी बुनियादी ढांचे की खरीद और नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement and revamping of IT infrastructure.
3	सचिवालय (विधि कार्य विभाग) Secretariat (Department of Legal Affairs)	4075.00.001.01.20.52	0.32	0.40	मुख्य सचिवालय में मशीनरी की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement of machinery in Main Secretariat
4	सचिवालय (न्याय विभाग) Secretariat (Department of Justice)	4075.00.001.01.22.71	0.25	0.15	आईटी बुनियादी ढांचे की खरीद और नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement and revamping of IT infrastructure.
5	सचिवालय (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) Secretariat (National Legal Services Authority)	4075.00.001.01.23.71	0.08	0.07	राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण में आईटी अवसंरचना की खरीद और नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement and revamping of IT infrastructure in National

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Legal Services Authority.
6	राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण National Legal Service Authority	2014.00.119.01.00.31	200.00	20.00	जमीनी स्तर पर कानूनी सहायता क्लीनिकों के विस्तार और सार्वजनिक कल्याण संगठनों (पीएलवी) की क्रमिक भागीदारी के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for expansion of legal aid clinics at grass root level and incremental engagement of PLVs.
7	सचिवालय (विधायी विभाग) Secretariat (Legislative Department)	4075.00.001.01.21.52	0.52	0.94	मशीनरी की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement of machinery.
8	सचिवालय (न्याय विभाग) Secretariat (Department of Justice)	4075.00.001.01.22.52	0.25	0.38	मशीनरी की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement of machinery.
9	भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (आईआईएसी) India International Arbitration Centre (IIAC)	2014.00.800.19.01.31	1.50	0.06	आईआईएसी के सामान्य प्रशासनिक खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for General Administrative expenses of IIAC.
10	भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र India International Arbitration Centre	2014.00.800.19.01.35	1.00	4.00	आईआईएसी के लिए नए कार्यालय स्थान हेतु अतिरिक्त निधियां। Additional funds for new office space for IIAC.
11	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी National Judicial Academy	2014.00.800.02.00.31	9.00	2.47	एनजेए के सामान्य प्रशासन के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for general administration of NJA.
12	राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधार मिशन National Mission For Justice Delivery and Legal Reforms	4075.00.001.03.06.52	0.01	0.01	मशीनरी की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement of machinery.
13	भारतीय विधि संस्थान Indian Law Institute	2014.00.800.20.01.31	0.50	0.12	आईएलआई के सामान्य प्रशासन के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for general administration of ILI.
14	भारतीय विधि संस्थान Indian Law Institute	2014.00.800.20.01.36	3.76	2.05	वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for payment of salaries.
15	सचिवालय (विधि कार्य विभाग)	4075.00.001.01.20.71	0.57	1.03	आईटी अवसंरचना की खरीद और नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Secretariat (Department of Legal Affairs)				निधियां। Additional funds for procurement and revamping of IT infrastructure.
16	संबद्ध कार्यालय (आयकर अपीलीय अधिकरण Attached Offices (Income Tax Appellate Tribunal)	4075.00.001.02.09.71	1.00	0.46	आईटी अवसंरचना की खरीद और नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement and revamping of IT infrastructure.
17	विधि आयोग Law Commission	4075.00.001.02.10.71	0.10	0.07	आईटी अवसंरचना की खरीद और नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement and revamping of IT infrastructure.
18	सचिवालय (विधि साहित्य प्रकाशन) Secretariat (Vidhi Sahitya Prakashan)	4075.00.001.02.11.52	0.01	0.19	मशीनरी की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement of machinery.
19	सचिवालय (विधि साहित्य प्रकाशन) Secretariat (Vidhi Sahitya Prakashan)	4075.00.001.02.11.71	0.05	0.33	आईटी अवसंरचना की खरीद और नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement and revamping of IT infrastructure.
20	एकीकृत वाद एजेंसी Unified Litigation Agency	4075.00.001.03.05.71	0.10	0.10	आईटी अवसंरचना की खरीद और नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement and revamping of IT infrastructure.
21	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी National Judicial Academy	2014.00.800.02.96.31	1.00	0.40	एनजेए के सामान्य प्रशासन के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for general administration of NJA.
22	निर्वाचन (निर्वाचन आयोग हेतु ईवीएम) Election (Evms For Election Commission)	4070.00.101.01.00.52	18.62	66.36	चुनाव कराने के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी की खरीद हेतु अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement of EVMs and VVPATs for conducting of election.
23	सचिवालय (राजभाषा खंड) Secretariat (Official Languages Wing)	4075.00.001.01.19.52	0.05	0.03	मशीनरी की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for procurement of machinery.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

24	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी National Judicial Academy	2014.00.800.02.00.31	9.00	0.04	एनजेए के सामान्य प्रशासन के लिए अतिरिक्त निधियां। Additional funds for general administration of NJA.
25	सचिवालय (विधायी विभाग) Secretariat (Legislative Department)	4075.00.001.01.21.71	1.61	0.97	आईटी अवसंरचना की खरीद और नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त धनराशि। Additional funds for procurement and revamping of IT infrastructure.

अनुलग्नक / Annexure

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

मांग संख्या- 68
Demand No. - 68

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	एमएसएमई चैंपियन योजना MSME Champion Scheme	2851.00.102.95.04.31	47.01	0.79	निधि की अतिरिक्त आवश्यकता एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 4.0 के तहत एमएसएमई इनोवेटिव के इनक्यूबेशन घटक के संबंध में 34 अनुमोदित विचारों के लिए मेजबान संस्थानों (एचआई) को जारी करने के लिए 70% वित्तीय सहायता की पहली किस्त के लिए है। Excess requirement of Fund is towards 70% of Financial Assistance as 1st Installment for releasing to Host Institutes (HIs) for 34 approved ideas under MSME IDEA HACKATHON 4.0 in respect of Incubation Component of MSME Innovative.
2	खरीद और विपणन सहायता योजना Procurement and Marketing Support	2851.00.102.97.02.33	50.90	1.40	प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) के आयोजन के खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। पीबीडी भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारतीय प्रवासी भारतीयों से संपर्क स्थापित करना है। Excess fund is required to meet the expenditure for organizing Pravasi Bharatiya Divas (PBD), a flagship program of the Government of India aimed at engaging with the Indian Diaspora.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

3	टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर/टीआई) Tool Rooms & Technical Institutions (TR/TIs)	2851.00.102.99.06.36	1.00	5.72	देशभर के केंद्रीय सैन्य कक्षों के वैधानिक दायित्वों, जिनमें ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और 7वें सीपीसी के बकाया शामिल हैं, के निपटान के लिए आवश्यक व्यय को पूरा करने हेतु अतिरिक्त धनराशि। Excess of fund required to meet the expenditure to clear statutory liabilities including gratuity, leave encashment and 7th CPC arrears of Central Tool Rooms across the country.
4	टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर/टीआई) Tool Rooms & Technical Institutions (TR/TIs)	2851.00.789.67.04.31	38.00	10.75	अतिरिक्त आवश्यकता लेखा मद के अंतर्गत प्राप्त अधिक प्रस्तावों को पूरा करने के कारण है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त मांग। Excess requirement is due to meet more proposals received under the head of accounts. Additional Demand for Reimbursement of Training fees in respect of SC & ST candidates.
5	टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर/टीआई) Tool Rooms & Technical Institutions (TR/TIs)	2851.00.796.66.05.31	15.00	3.43	अतिरिक्त आवश्यकता लेखा मद के अंतर्गत प्राप्त अधिक प्रस्तावों को पूरा करने के कारण है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त मांग। Excess requirement is due to meet more proposals received under the head of accounts. Additional Demand for Reimbursement of Training fees in respect of SC & ST candidates.
6	खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएस) Procurement and Marketing Support(PMS)	2851.00.102.97.02.33	50.90	1.25	पीएमएस योजना के घटक 5(II)(सी) के अंतर्गत "ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाने" पर प्रतिपूर्ति की अतिरिक्त मांग के कारण। Due to Additional Demand for reimbursement on "Adoption of e-Commerce Platform" under component 5(II)(C) of PMS Scheme.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

7	निधियों की निधि Fund of Funds	4552.00.101.01.00.54	70.00	27.59	अतिरिक्त मांग के कारण राष्ट्रीय विकास क्षेत्र (एनईआर) के लाभ के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Excess fund is required for the benefit of NER on account of additional demand.
8	निधियों की निधि Fund of Funds	4851.00.796.03.00.54	60.20	1.45	कार्यान्वयन एजेंसी, एनवीसीएफएल को एआईएफ के लिए अतिरिक्त मांग के कारण अतिरिक्त आवश्यकता है, जिसे मदर फंड द्वारा अधिकतम 20% तक समर्थित किया जाएगा, जो बदले में एमएसएमई में योगदान की गई राशि के पांच गुना तक निवेश किया जाएगा। Excess requirement due to additional demand to the implementing agency, NVCFL for AIF supported by Mother Fund to the maximum extent of 20%, which in turn would get invested in MSMEs to the extent of five times the amount contributed.
9	खरीद और विपणन सहायता योजना Procurement and Marketing Support	2851.00.102.97.02.33	50.90	0.34	पीएमएस योजना के घटक 5(I)क के अंतर्गत घरेलू व्यापार मेलों में भाग लेने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) के लिए प्राप्त अधिक प्रस्तावों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Excess of fund is required due to meet more proposals received for MSEs participated in Domestic Trade Fairs under component 5(I)A of the PMS Scheme
10	एसपीआईसी - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग SPIC-International Cooperation	2851.00.102.68.02.31	14.68	0.20	एस.पी.आई.सी. योजना के तहत अमेरिका के सैन डिएगो में 3 से 6 जून, 2024 तक आयोजित होने वाले जैव अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एम.एस.एम. प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Excess fund is required due to for participation of MSMEs delegation in Bio International Convention from 3rd to 6th June, 2024 at San Diego, USA under SPIC Scheme.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

11	खादी ग्रामोद्योग विकास योजना -Khadi vikas yojana Khadi Gramodyog Vikas Yojana -Khadi Vikas Yojana	2851.00.105.15.10.31	38.90	5.34	अतिरिक्त निधि का उपयोग एफबीआई (हनी मिशन), एबीएफपीआई, एचएमपीएफआई, एमबीआई (पॉटरी इंडस्ट्री) और सेवा उद्योग के अंतर्गत प्राप्त अतिरिक्त प्रस्तावों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। Excess is to meet more proposals received under the head of accounts FBI (Honey Mission), ABFPI, HMPFI, MBI (Pottery Ind) and Service Industry.
12	खादी ग्रामोद्योग विकास योजना -ग्रामोद्योग विकास योजना Khadi Gramodyog Vikas Yojana - Gramodyog Vikas Yojana	2851.00.789.62.11.31	9.95	1.37	अतिरिक्त निधि का उपयोग एफबीआई (हनी मिशन), एबीएफपीआई, एचएमपीएफआई, एमबीआई (पॉटरी इंडस्ट्री) और सेवा उद्योग के अंतर्गत प्राप्त अतिरिक्त प्रस्तावों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। Excess is to meet more proposals received under the head of accounts FBI (Honey Mission), ABFPI, HMPFI, MBI (Pottery Ind) and Service Industry.
13	खादी ग्रामोद्योग विकास योजना -ग्रामोद्योग विकास योजना Khadi Gramodyog Vikas Yojana - Gramodyog Vikas Yojana	2851.00.796.61.11.31	5.15	0.71	एफबीआई (हनी मिशन), एबीएफपीआई, एचएमपीएफआई, एमबीआई (मिट्टी के बर्तन उद्योग) और सेवा उद्योग के तहत जारी किए जाने हेतु आवश्यकता से अधिक निधि अपेक्षित है। Excess of fund required towards release under FBI (Honey Mission), ABFPI, HMPFI, MBI (Pottery Ind) and Service Industry.

खान मंत्रालय
Ministry of Mines

मांग संख्या- 69
Demand No. - 69

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	अन्य अनुसंधान कार्यक्रम Other Research Programmes	2853.02.102.04.04.31	15.00	7.00	स्वीकृत नई, चालू और पूर्ण हो चुकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए किश्तें जारी करने हेतु। For releasing installments to approved new, ongoing and completed science and technology projects.
2	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड Bharat Gold Mines Limited	2853.02.800.04.00.31	8.00	1.40	बढ़ी हुई संपत्ति कर और वैधानिक खर्चों के भुगतान के लिए। For payment towards increased property tax and statutory expenses.
3	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड Bharat Gold Mines Limited	2853.02.800.04.00.31	8.00	0.30	बढ़ी हुई संपत्ति कर और वैधानिक खर्चों के भुगतान के लिए। For payment towards increased property tax and statutory expenses.
4	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की गतिविधियाँ Geological Survey of India Activities	4853.01.102.01.01.52	40.00	1.00	खनिज अन्वेषण में प्रयुक्त होने वाले हाइड्रोस्टैटिक रिग्स की खरीद से संबंधित लंबित बिलों का भुगतान करना। To clear the pending bills related to procurement of hydrostatic rigs used in mineral exploration.
5	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की गतिविधियाँ Geological Survey of India Activities	4853.01.102.01.01.73	0.01	6.19	जीएसआई के दो अनुसंधान तटीय जहाजों की खरीद के लिए माईलस्टोन भुगतान करने हेतु। For making milestone payment for procurement of

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					two research coastal vessels of GSI.
6	भारतीय खान ब्यूरो की गतिविधियाँ Indian Bureau of Mines Activities	4853.01.102.02.01.71	1.03	0.08	कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की खरीद हेतु। For procurement of computers & software for office related work.
7	राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान National Institute of Rock Mechanics	2853.02.102.04.01.35	3.50	0.49	एनआईआरएम की परीक्षण प्रयोगशाला को केजीएफ से बेंगलुरु स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए। To facilitate the relocation of the testing laboratory of NIRM from KGF to Bengaluru.

अनुलग्नक / Annexure

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
Ministry of Minority Affairs

मांग संख्या- 70
Demand No. - 70

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सचिवालय Secretariat	4250.00.001.01.11.71	1.00	0.25	नए ज्वाइन करने वाले स्टेनोग्राफर के लिए नए कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदने हेतु। For purchase of new computers and printers for newly joined Stenographers.

अनुलग्नक / Annexure

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
Ministry of New and Renewable Energy

मांग संख्या- 71
Demand No. - 71

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान National Institute of Bio Energy	2810.00.104.05.02.35	4.00	0.97	पूँजीगत परिसंपत्तियों और उपकरणों की खरीद पर व्यय Expenditure for capital assets and equipment's purchase
2	राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान National Institute of Bio Energy	2810.00.104.05.02.36	3.00	0.53	अनुदान सहायता और वेतन पर होने वाले व्यय के लिए। For expenditure on Grants in Aid Salary.
3	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान National Institute of Solar Energy	2810.00.104.05.03.35	12.00	0.09	प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की खरीद हेतु। For procurement of equipment(s) for laboratory.

अनुलग्नक / Annexure

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

मांग संख्या- 74
Demand No. - 74

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सिविल सेवा और क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक सहायता World Bank Assistance For National Programme for Civil Services & Capacity Building	2070.00.003.03.09.31	30.00	8.18	कर्मयोगी भारत के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी), प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी), क्लाउड सेवा प्रदाता (सीएसपी) से संबंधित प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करने के लिए। For meeting the committed expenditure in r/o Project Management Consultancy (PMC), Managed Service Provider (MSP), Cloud Service Provider (CSP) for Karmayogi Bharat.
2	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की योजना Scheme of D/o Administrative Reforms & Public Grievances	2070.00.800.42.01.31	12.50	2.00	30 चालू परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयता के लिए। For committed liability of 30 ongoing projects.
3	सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम National Programme for Civil Services & Capacity Building	2070.00.003.18.03.31	20.00	6.00	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी), मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर (एमएसपी), क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर (सीएसपी) और किराए से संबंधित प्रतिबद्ध व्यय के लिए आवश्यक निधि। Funds required for committed expenditure in r/o

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Project Management Consultancy (PMC), Managed Service Provider (MSP), Cloud Service Provider (CSP) and rent.
4	सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम National Programme for Civil Services & Capacity Building	2070.00.003.18.03.35	1.00	0.18	कार्यालय उपकरण, सर्वर के लिए एयर कंडीशनर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण, स्टूडियो रूम उपकरण। Towards office equipment, air conditioners for servers, video conferencing equipment, studio room equipment.
5	बुनियादी ढांचे में सुधार और आवश्यक सुविधाओं का उन्नयन (एलबीएसएनएए) Improvement of Infrastructure And Upgradation of Essential Facilities (LBSNAA)	4059.80.051.05.03.72	25.00	1.00	तिब्बती होम फाउंडेशन (टीएचएफ) द्वारा हाल ही में अधिग्रहित संपत्ति पर सिविल और विद्युत कार्यों के लिए। For civil and electric works at newly acquired Tibetan Home Foundation (THF) property.
6	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग Department of Personnel and Training	4070.00.001.31.26.71	3.30	0.20	लैपटॉप की खरीद और पुराने एआईओ और डेस्कटॉप कंप्यूटरों के प्रतिस्थापन के लिए। For purchase of laptops and Replacement of obsolete AIOs and desktops.
7	सीबीआई के लिए व्यापक आधुनिकीकरण और भूमि की खरीद/ कार्यालय/ आवासीय भवनों का निर्माण Comprehensive modernization & purchase of land/ construction of office/ residence buildings for CBI.	4055.00.800.05.04.72	27.00	2.84	लंबित बिलों के भुगतान के लिए। For meeting payment of pending bills.
8	कर्मचारी चयन आयोग Staff Selection Commission	4075.00.001.01.25.71	0.90	0.16	अधिकारियों की परीक्षा संबंधी तकनीकी/कार्यात्मक आवश्यकताओं के व्यय को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता है। Funds required to meet the expenditure for exam related technical/functional requirements of the officials.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

9	सीबीआई के लिए व्यापक आधुनिकीकरण और भूमि की खरीद/ कार्यालय/ आवासीय भवनों का निर्माण Comprehensive modernization & purchase of land/ construction of office/ residence buildings for CBI.	4055.00.800.05.04.72	27.00	9.44	मैदानगढ़ी, नई दिल्ली में आवासीय परिसर के निर्माण और एनबीसीसी तथा अन्य संगठनों को भुगतान के लिए। For construction of Residential Complex at Maidangarhi, New Delhi and payment to NBCC and other organizations.
10	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए मोटर वाहन और मशीनरी की खरीद Purchase of Motor Vehicle and Machinery for CBI	4055.00.800.05.05.52	1.25	1.26	सीबीआई मुख्यालय के महत्वपूर्ण आईटी उपकरणों के लिए यूपीएस समाधान हेतु निधियों की आवश्यकता है। Funds are required for UPS solution for critical IT Equipment for CBI headquarters
11	क्षमता निर्माण आयोग (सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) Capacity Building Commission (National Programme for Civil Services & Capacity Building)	4059.01.800.05.02.71	0.24	0.11	नए संवादात्मक पैनल सहित सम्मेलन कक्ष के नवीनीकरण के लिए। For renovation of conference hall involving new interactive panel.
12	अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाओं का उन्नयन (एलबीएसएनएए) Improvement of Infrastructure and upgradation of Essential Facilities (LBSNAA)	4059.80.051.05.03.71	0.90	3.03	कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए। For procurement of computer hardware, software and telecommunication equipment.
13	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग Department of Pension & Pensioners Welfare	4070.00.001.31.27.71	0.42	0.18	कंप्यूटर और प्रिंटर की खरीद के लिए। For procurement of PCs and Printers.
14	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LalBahadur Shastri National Academy of Administration	4070.00.001.31.31.71	2.00	1.68	क्लाउड, विविध वस्तुओं और लाइसेंस, जीपीयू सर्वर और स्टोरेज, एचपी मोबाइल वर्कस्टेशन (लैपटॉप), स्वेगटैम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए। For meeting the expenditure

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					towards Cloud, Miscellaneous items & Licenses, GPU Server & Storage, HP mobile workstation (Laptop), SWAGTAM, Video Conferencing infrastructure.
15	सार्वजनिकउद्यम चयन बोर्ड Public Enterprises Selection Board	4070.00.001.31.33.71	0.05	0.03	ऑल-इन-वन डेस्कटॉप कंप्यूटरों की खरीद के लिए। For procurement of all in one desktop computers.
16	केंद्रीय सूचना आयोग Central Information Commission	4070.00.001.31.34.71	0.78	0.10	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए। To meet expenditure on ICT infrastructure.

अनुलग्नक / Annexure

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
Ministry of Petroleum and Natural Gas

मांग संख्या- 76
Demand No. - 76

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	भारत में व्यापारिक जहाजों के ध्वजीकरण को बढ़ावा देने की योजना Scheme for promotion of flagging of merchant ships in India	2852.06.102.29.01.33	100.00	5.00	तेल विपणन कंपनियों के बिलों के भुगतान के लिए। For payment of bills of Oil Marketing Companies.
2	गुफाओं के निर्माण के दूसरे चरण के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान Payment to ISPRL for construction of caverns phase-II	4802.03.101.01.01.72	100.00	5.00	चांडीखोल में आईएसपीआरएल फेज-II में भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान के कारण अतिरिक्त राशि। Additionality on account of payment towards land acquisition in ISPRL Phase-II at Chandikhol

अनुलग्नक / Annexure

योजना मंत्रालय
Ministry of Planning

मांग संख्या- 77
Demand No. - 77

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	नीति आयोग - मुख्यालय NITI Aayog Headquarters	5475.00.001.01.10.52	1.50	1.85	आवश्यक कार्यालय उपकरण की खरीद के लिए। For procurement of essential office equipment.
2	नीति आयोग - मुख्यालय NITI Aayog Headquarters	5475.00.001.01.10.71	6.00	0.25	आईटी उपकरण और संबंधित सेवाओं की खरीद के लिए। For procurement of IT equipment and related services.

अनुलग्नक / Annexure

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय
Ministry of Ports, Shipping and Waterways

मांग संख्या- 78
Demand No. - 78

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	लाइटहाउस का निर्माण और सुधार Construction and Improvement of Lighthouses	5051.03.101.01.00.78	0.05	1.18	जेगरी लाइटहाउस के लिए भूमि की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए। To meet additional expenditure for purchase of Land for Jegri Lighthouse.
2	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ Secretariat-Economic Services	5475.00.001.01.19.71	1.75	0.80	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना के प्रणाली उन्नयन और रखरखाव के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for system upgradation and maintenance of ICT infrastructure.
3	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता द्वारा हल्दिया चैनल में रखरखाव और ड्रेजिंग Maintenance & Dredging In Haldia Channel By Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata	3051.01.108.01.00.33	0.01	33.00	कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह को ड्रेजिंग सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for Dredging assistance to Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata.
4	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता और हल्दिया चैनल द्वारा हुगली नदी और हल्दिया चैनल की नदी ड्रेजिंग और रखरखाव River Dredging And	3051.01.108.02.00.33	0.01	17.00	कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह को ड्रेजिंग सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for Dredging assistance to Syama Prasad

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Maintenance Of River Hooghly And Haldia Channel By Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata And Haldia Channel				Mookerjee Port, Kolkata.
--	--	--	--	--	--------------------------

अनुलग्नक / Annexure

विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power

मांग संख्या- 79
Demand No. - 79

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सीईए अवस्थापना CEA Establishment	4801.80.001.01.02.52	0.23	0.00	नई मशीनरी की खरीद के लिए (पुनर्विनियोजन राशि 0.004 करोड़ रुपये थी)। For purchase of new machinery (Re-appropriation amount was Rs. 0.004 crore).
2	सीईए अवस्थापना CEA Establishment	4801.80.001.01.02.71	1.65	0.68	नए कंप्यूटर खरीदने के लिए For purchase of new computers
3	सुधार से जुड़ी वितरण योजना (रिफॉर्म लिंकड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम) Reform Linked Distribution Scheme	2801.05.190.01.01.31	240.00	100.00	नोडल एजेंसी फीस और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) प्रभार के भुगतान के कारण Due to payment of nodal agency fees and Project Management Agency (PMA) charges.
4	एमओपी अवस्थापना MoP Establishment	4801.80.001.01.01.71	3.22	0.06	नए कंप्यूटर खरीदने के लिए For purchase of new computers

अनुलग्नक / Annexure

लोक सभा
Lok Sabhaमांग संख्या- 81
Demand No. - 81वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय निदेशन और प्रशासन Capital Outlay on Miscellaneous General Services Direction & Administration	4075.00.001.01.28.71	8.25	1.21	डिजिटल संसद परियोजना 2.0 के सेवा प्रदाता और अन्य डिजिटलीकरण कार्यों के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता को भुगतान हेतु। For payment to the service provider of Digital Sansad Project 2.0 and to another service provider for other digitalisation work.

अनुलग्नक / Annexure

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
Ministry of Road Transport and Highways

मांग संख्या- 86
Demand No. - 86

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सड़क विंग के अंतर्गत कार्य-अन्य योजनाएँ Works under Road Wings-Other schemes	5054.01.337.01.02.73	61397.37	653.02	राष्ट्रीय राजमार्ग (ओरिजिनल) के तहत चल रहे कामों और नई मंजूर परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet additional expenditure under National Highways (Original) for ongoing works and newly sanctioned projects.
2	सड़क विंग के अंतर्गत कार्य-अन्य योजनाएँ Works under Road Wings-Other schemes	5054.01.337.01.02.73	61397.37	136.99	राष्ट्रीय राजमार्ग (ओरिजिनल) के तहत चल रहे कामों और नई मंजूर परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet additional expenditure under National Highways (Original) for ongoing works and newly sanctioned projects.
3	बाह्य सहायता प्राप्त योजना के लिए समकक्ष निधि- एशियाई विकास बैंक Counterpart Fund for externally Aided Scheme- Asian Development Bank	5054.01.337.01.15.73	3.00	26.00	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) की चल रही परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure for National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL) for ongoing projects.
4	राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य National Highways Original Works	5054.01.337.03.01.73	657.97	15.00	अंतर-खाता हस्तांतरण के लिए। Towards inter account transfer.

अनुलग्नक / Annexure

ग्रामीण विकास विभाग
Department of Rural Development

मांग संख्या- 87
Demand No. - 87

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीए) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGA)	2505.02.789.02.00.35	11976.00	150.00	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी (अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना घटक हेतु) का भुगतान करना। For payment of wages (for Development Action Plan for Scheduled Castes component) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीए) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGA)	2505.02.796.02.00.35	10715.00	750.00	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी (अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना घटक हेतु) का भुगतान करना। For payment of wages (for Development Action Plan for Scheduled Tribes component) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.
3	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीए) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGA)	2505.02.101.02.00.35	40339.00	1898.95	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी (अन्य घटक हेतु) का भुगतान करना। For payment of wages (for Others component) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Scheme.
4	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीए) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGA)	2505.02.796.02.00.35	10715.00	101.05	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी (अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना घटक हेतु) का भुगतान करना। For payment of wages (for Development Action Plan for Scheduled Tribes component) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.
5	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीए) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGA)	2505.02.796.02.00.35	10715.00	331.61	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी (अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना घटक हेतु) का भुगतान करना। For payment of wages (for Development Action Plan for Scheduled Tribes component) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.
6	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीए) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme	2505.02.101.02.00.35	40339.00	100.00	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी (अन्य घटक हेतु) का भुगतान करना। For payment of wages (for Others component) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

अनुलग्नक / Annexure

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
Department of Scientific and Industrial Research

मांग संख्या- 91
Demand No. - 91

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	राष्ट्रीय प्रयोगशाला-सामान्य सहायता अनुदान National Lab - Grants in Aid General	3425.60.151.02.00.31	3306.92	44.74	सी एस आई आर की मौजूदा ज़रूरत के आधार पर आर एंड डी को सपोर्ट करना और ट्रांसनेशनल इंडस्ट्रीज़ के लिए सीएसआईआर पायलट प्लांट्स लगाना। To support the CSIR ongoing need based R&D and to establish CSIR Pilot Plants for Transnational Industries.

अनुलग्नक / Annexure

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

मांग संख्या- 92
Demand No. - 92

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद National Council for Vocational Education and Training	2230.03.102.20.00.36	1.08	1.62	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को अनुदान सहायता और वेतन जारी करने के लिए। For release of Grants in aid Salaries to National Council for Vocational Education and Training (NCVETs).
2	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय - सचिवालय Ministry of Skill Development & Entrepreneurship – Secretariat	4250.00.001.01.13.72	0.50	2.38	कौशल भवन के संबंध में एनबीसीसी को भुगतान करने के लिए। For payment to NBCC in connection with Kaushal Bhawan.

अनुलग्नक / Annexure

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
Department of Empowerment of Persons with Disabilities

मांग संख्या- 94
Demand No. - 94

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सहायक यंत्रों /उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids /Appliances	2235.02.101.10.02.31	210.90	1.42	योजना के अंतर्गत शिविर गतिविधियों एवं मुख्यालय गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों से अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण। Due to the receipt of a higher number of proposals from implementing agencies for the distribution of aids and appliances to Persons with Disabilities (PwDs) through camp activities and headquarters activities under the scheme.
2	दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act	2235.02.101.10.15.31	62.21	15.00	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों से दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी)के लिए सुगम्य भवनों के निर्माण, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन आदि हेतु योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण। Due to receipt of more number of proposals from States/UTs/implementing agencies for creating accessible buildings for Persons with Disabilities

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					(PwDs), for providing skill trainings and conducting awareness generation programs etc. under the scheme.
3	दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act	2235.02.101.10.15.31	62.21	30.09	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों से दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी)के लिए सुगम्य भवनों के निर्माण, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन आदि हेतु योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण Due to receipt of more number of proposals from States/UTs/implementing agencies for creating accessible buildings for Persons with Disabilities (PwDs), for providing skill trainings and conducting awareness generation programs etc. under the scheme.
4	दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act	2235.02.789.01.26.31	19.10	3.40	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों से दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी)के लिए सुगम्य भवनों के निर्माण, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन आदि हेतु योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण Due to receipt of more number of proposals from States/UTs/implementing agencies for creating accessible buildings for Persons with Disabilities (PwDs), for providing skill trainings and conducting awareness generation programs etc. under the scheme.
5	दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act	2235.02.796.03.27.31	9.89	1.56	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों से दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी)के लिए सुगम्य भवनों के निर्माण, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन आदि हेतु योजना के

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					<p>अंतर्गत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण Due to receipt of more number of proposals from States/UTs/implementing agencies for creating accessible buildings for Persons with Disabilities (PwDs), for providing skill trainings and conducting awareness generation programs etc. under the scheme.</p>
--	--	--	--	--	---

अनुलग्नक / Annexure

अंतरिक्ष विभाग
Department of Space

मांग संख्या- 95
Demand No. - 95

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	निर्देशन और प्रशासन- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय (इसरो मु.) / Direction & Administration - Indian Space Research Organisation Headquarters (ISRO Hq)	3402.00.001.01.00.31	9.00	0.88	के.वी.- एन.ए.एल. के भुगतान की बढ़ी हुई आवश्यकता के लिए। Increased requirement towards KV-NAL payment
2	निर्देशन और प्रशासन- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय (इसरो मु.) / Direction & Administration - Indian Space Research Organisation Headquarters (ISRO Hq)	3402.00.001.01.00.35	0.01	0.42	के. वी.- एन.ए.एल. के नवीकरण और सुधार कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि। Additional funds towards renovation and rectification works for KV NAL.
3	अंतरिक्ष अनुप्रयोग - आपदा प्रबंधन सहायता Space Applications - Disaster Management Support	3402.00.102.10.00.31	1.00	0.07	इसरो - आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम के तहत एन.ई.आर.- डी.आर.आर. परियोजना परिकल्पना हिस्सों को पूरा करने के लिए एनईएसएसी को और निधि की आवश्यकता है। Additional funds required to enable NESAC to execute the envisaged elements of NER-DRR Project under ISRO -

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Disaster Management Support Programme.
4	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी - समानव मिशन पहल / मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) Space Technology - Manned Mission Initiatives/Human Space Flight Programme (Gaganyaan)	5402.00.101.35.00.72	40.00	5.01	जी.आई.सी.एफ. के निर्माण के कार्यों की प्रगति के लिए अतिरिक्त धनराशि। Additional requirement towards progress of construction activities of GICF
5	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी - सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास Space Technology – Semi Cryogenic Engine Development	5402.00.101.37.00.52	15.00	32.50	एस.आई.ई.टी. में तरल पदार्थ सर्विसिंग प्रणाली स्थापित के लिए अतिरिक्त धनराशि। Additional requirement towards establishment of Fluids Servicing System at SIET
6	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी - इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स (आई.पी.आर.सी.) Space Technology – ISRO Propulsion Complex (IPRC)	5402.00.101.48.00.71	7.70	0.85	नेटवर्क स्विच, सर्वर और हाई-एंड कंप्यूटर इत्यादि की खरीद की ओर बढ़ी हुई आवश्यकता के लिए। Increased requirement towards network switches, servers and consolidated procurement of high end computers etc
7	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी - इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स (आई.पी.आर.सी.) Space Technology – ISRO Propulsion Complex (IPRC)	5402.00.101.48.00.71	7.70	1.45	वीडियो वॉल के नवीकरण, हाई-एंड कंप्यूटर समेकित खरीद आदि के लिए अतिरिक्त निधि। Additional funds towards renovation of video wall, consolidated procurement of high-end computers etc.
8	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी - त्रिध्वनिक पवन सुरंग सुविधा परियोजना Space Technology – Trisonic Wind Tunnel Facility Project	5402.00.101.49.00.52	0.95	35.94	मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को प्राप्त दावों और करों में बदलाव के भुगतान का निपटान के लिए अतिरिक्त धनराशि। Additional requirement towards settlement of payment to M/s TATA project Ltd. towards the claims received and variation in taxes.
9	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी – रिसोर्ससैट-3 एवं 3ए Space Technology – Resourcesat-3 & 3a	5402.00.101.58.00.52	3.49	2.81	रिसोर्ससैट-3 और 3ए परियोजना के लिए एन.आर.एस.सी. द्वारा हाई डेटा रेट सिस्टम की खरीद की बढ़ी हुई आवश्यकता के लिए।

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Increased requirement towards procurement of high data rate system by NRSC for the Resourcesat 3&3A project
10	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी - यू.आर.राव उपग्रह केंद्र Space Technology - U R Rao Satellite Centre	5402.00.101.70.00.52	93.43	7.00	लीनियर आई.सी. टेस्टर के भुगतान के लिए, अतिरिक्त धनराशि। Additional requirement towards payment of Linear IC tester
11	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी - मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एच.एस.एफ.सी) Space Technology - Human Spaceflight Centre (HSFC)	5402.00.101.75.00.71	9.92	0.08	एच.एस.एफ.सी. कैम्पस, देवनहल्ली में नई अवसंरचना बनाने के लिए अतिरिक्त धनराशि। Additional requirement towards setting up of new infrastructure at HSFC Campus, Devanahalli

अनुलग्नक / Annexure

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
Ministry of Statistics and Programme Implementation

मांग संख्या- 96
Demand No. - 96

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	भारतीय सांख्यिकी संस्थान Indian Statistical Institute	3454.02.202.01.00.35	10.14	0.38	कोलकाता (नया शैक्षणिक भवन, बिजली आपूर्ति में वृद्धि) और तेजपुर केंद्र (कैंपस निर्माण) में प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी) द्वारा अनुमोदित निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। Additional funds required for completion of Delegated investment Board (DIB) approved construction projects at Kolkata (New Academic Building, power augmentation) and Tezpur Centre (Campus construction).
2	भारतीय सांख्यिकी संस्थान Indian Statistical Institute	3454.02.202.01.00.35	10.14	1.62	विभिन्न केंद्रों के साथ-साथ पुस्तकालय और डीन के कार्यालय में कंप्यूटर, फर्नीचर और उपकरण जैसी पूंजीगत आस्तियों की खरीद के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। Additional funds are required for procurement of Capital assets like computers, furniture and equipment at different Centres and also at Library and Dean's office.

अनुलग्नक / Annexure

इस्पात मंत्रालय
Ministry of Steelमांग संख्या- 97
Demand No. - 97वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना Scheme for Promotion of Research and Development in Iron and Steel Sector	2852.80.004.01.00.31	1.80	1.00	अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के लिए। For the ongoing projects under the Research & Development Scheme.
2	सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ Secretariat- Economic Services	5475.00.001.01.12.71	0.96	0.08	कंप्यूटर और लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए For procurement of computers and licensed software.

अनुलग्नक / Annexure

वस्त्र मंत्रालय
Ministry of Textiles

मांग संख्या- 98
Demand No. - 98

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम National Handloom Development Programme	2552.00.796.41.01.31	14.00	0.19	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लंबित देनदारियों और आगामी आयोजनों के लिए होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए। To meet the expenditure in North Eastern Region for pending liabilities and forthcoming events.
2	कौशल विकास हेतु एकीकृत योजना (समर्थ) Integrated Scheme for Skill Development (SAMARTH)	2552.00.796.41.09.31	1.00	3.00	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under North Eastern Region.
3	राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन National Technical Textiles Mission	2852.08.202.63.14.35	220.00	14.50	अगली किस्त के भुगतान और अनुसंधान और विकास एवं शिक्षा क्षेत्र में आगामी स्वीकृत परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए। To meet the expenditure towards next installment releases and upcoming approved projects in R&D and Education.
4	कच्चे माल की आपूर्ति योजना Raw Material Supply Scheme	2851.00.789.54.05.31	55.00	1.00	परिवहन सब्सिडी और मूल्य सब्सिडी के लिए। For Transport subsidy and Price subsidy.
5	हस्तशिल्प विकास आयुक्त Development Commissioner	4851.00.104.17.00.71	0.60	0.72	संस्थान की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर की खरीद हेतु। For purchase of software

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Handicraft				towards Establishment.
6	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ Secretariat-Economic Service	5475.00.001.01.44.71	1.70	0.50	डिजिटल उपकरणों की खरीद से संबंधित देनदारियों के संबंध में। To meet additional expenditure towards purchase of digital equipment.
7	एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम Integrated Wool Development Programme	2851.00.108.17.06.31	3.76	5.50	चल रही परियोजनाओं के साथ-साथ नई स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए। To meet the increased demand of the implementing agencies for the ongoing projects as well as for newly sanctioned projects.
8	राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम National Handicraft Development Programme	2851.00.104.38.13.31	90.00	14.00	वार्षिक कैलेंडर के अनुसार स्वीकृत गतिविधियों का संचालन करना और नई उत्पादक कंपनियों का गठन करना। To conduct sanctioned activities as per annual calendar and to form new producer companies.
9	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम National Handicraft Development Programme	2851.00.104.38.13.35	28.00	8.00	सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) अवसंरचना परियोजनाओं के भुगतान के लिए। Towards payment of Common Facility Centres (CFC) infra projects.
10	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ Secretariat-Economic Service	5475.00.001.01.44.71	1.70	0.40	कंप्यूटर, वीसी सिस्टम आदि की खरीद से संबंधित जरूरी बिलों का भुगतान करने के लिए। In order to settle urgent bills pertaining to purchase of Computer, VC system etc.
11	रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान Grants towards Development of Silk Industry	2851.00.107.01.02.31	281.88	12.00	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet the additional expenditure under Grants-in-Aid General.
12	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम National Handloom Development Programme	2851.00.103.48.01.31	78.00	10.72	प्रचार विपणन एवं प्रदर्शनी अनुभाग / मेगा क्लस्टर अनुभाग की विशेष परियोजना के लिए For special project of Publicity Marketing & Exhibition section / mega cluster section

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

13	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम National Handloom Development Programme	2851.00.103.48.01.35	60.00	19.12	गोवा में हथकरघा हाट, हस्तशिल्प हथकरघा गांवों में स्थायी और अर्ध-स्थायी संरचनाओं के निर्माण और मेगा क्लस्टर की विशेष परियोजना के अंतर्गत आवश्यकताओं के लिए। For construction of permanent and semi-permanent structure in handloom haat, craft handloom village Goa and requirement under special project of mega cluster.
14	कच्चे माल की आपूर्ति योजना Raw Material Supply Scheme	2851.00.103.48.06.31	85.00	26.00	परिवहन सब्सिडी और मूल्य सब्सिडी के लिए। For Transport subsidy and Price subsidy.
15	एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम Integrated Wool Development Programme	2851.00.108.17.06.35	7.10	2.02	चल रही परियोजनाओं के साथ-साथ नई स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए। To meet the increased demand of the implementing agencies for the ongoing projects as well as for newly sanctioned projects.
16	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम National Handloom Development Programme	2851.00.789.54.01.35	3.00	3.70	हथकरघा हाट और हथकरघा गांवों में स्थायी/अर्ध-स्थायी संरचनाओं के निर्माण के लिए For construction of permanent/semi-permanent structure in Handloom Haat and Handloom villages
17	सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों को सहायता Support to PSU	2852.08.202.68.00.31	0.01	50.00	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी) को पुनरुद्धार योजना, वीआरएस योजना को लागू करने और लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए धनराशि आवंटित करना। For allocation of funds to Central Cottage Industries Corporation of India Limited(CCIC) to implement the revival plan, VRS scheme and to clear pending liabilities.
18	कच्चे माल की आपूर्ति योजना Raw Material Supply Scheme	2851.00.103.48.06.31	85.00	1.00	परिवहन सब्सिडी और मूल्य सब्सिडी के लिए For Transport subsidy and Price subsidy

अनुलग्नक / Annexure

पर्यटन मंत्रालय
Ministry of Tourism

मांग संख्या- 99
Demand No. - 99

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	पर्यटन महानिदेशालय Directorate General of Tourism	3452.80.001.01.01.18	2.26	0.23	अवसंरचना परियोजनाओं के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet the additional expenditure for Annual Maintenance Charges
2	पर्यटन महानिदेशालय Directorate General of Tourism	3452.80.001.01.99.28	10.00	0.55	पेशेवर सेवाओं के तहत नियुक्त कर्मचारियों के भुगतान के लिए। For payment for manpower hired under Professional Services.
3	पर्यटन महानिदेशालय Directorate General of Tourism	3452.80.001.01.99.19	0.50	0.05	टोनर और कार्ट्रिज की खरीद के लिए For procurement of toners and cartridges
4	होटल प्रबंधन, केटरिंग प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान को अनुदान Grants to Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition	3452.80.003.01.00.31	3.90	3.00	अलग-अलग संस्था के नियमित व्यय को पूरा करना। To meet the recurring expenditure of the various institutes.
5	पर्यटन महानिदेशालय Directorate General of Tourism	5452.01.102.23.01.52	0.20	0.20	टेलीफोन उपकरण / टीवी / फोटो कॉपी मशीन की स्थापना / खरीद के लिए For installation/purchase of Telephone instrument/TV/Photo copy

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					machine
6	पर्यटन महानिदेशालय Directorate General of Tourism	5452.01.102.23.01.71	3.50	0.56	आईसीटी उपकरणों की खरीद के लिए। For procurement of ICT equipment.
7	पर्यटन महानिदेशालय Directorate General of Tourism	3452.80.001.01.01.16	0.15	0.04	मुद्रण और प्रकाशन के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Printing and Publication.
8	पर्यटन महानिदेशालय Directorate General of Tourism	3452.80.001.01.99.28	10.00	3.01	हायर किए गये पेशेवर सेवाओं के लिए। For payment to hired professional services.
9	पर्यटन महानिदेशालय Directorate General of Tourism	3452.80.001.01.99.19	0.50	0.23	टोनर और कार्ट्रिज की खरीद के लिए For procurement of toners and cartridges

महिला और बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women and Child Development

मांग संख्या- 101
Demand No. - 101

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) National Commission for Women(NCW)	2235.02.103.35.00.36	7.00	1.40	नवनियुक्त अधिकारियों को वेतन जारी करने हेतु For release of salary to new appointed officials
2	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी Central Adoption Resource Agency (CARA)	2235.02.102.43.02.35	1.20	6.37	भवन के नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) को भुगतान हेतु For payment to National Buildings Construction Corporation Limited (NBCC) for the renovation of the Building
3	सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) Savitribai Phule National Institute of Women And Child Development (SPNIWCD)	2235.02.102.43.01.35	1.00	1.20	रांची के नए क्षेत्रीय केंद्र में फर्नीचर और उपकरण खरीदने और बाल मार्गदर्शन केंद्र बनाने के लिए। For the purchase of furniture and equipment at New Regional Centre of Ranchi and to set up the Child Guidance Centre.
4	राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) National Commission for Women(NCW)	2235.02.103.35.00.31	4.99	1.41	आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं जागरूकता कार्यक्रम हेतु For payment of salary to outsourced staff, medical reimbursement and awareness programme
5	राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)	2235.02.103.71.01.31	15.00	7.20	आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	National Commission for Women(NCW)				जागरूकता कार्यक्रम हेतु For payment of salary to outsourced staff, medical reimbursement and awareness programme
6	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) National Commission for protection of child rights (NCPCR)	2235.02.102.43.03.31	18.21	4.04	परीक्षा पर्व 7.0, आईटी सेवा भुगतान, सलाहकार फर्मों की नियुक्ति जैसी लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए For payment of pending liabilities like Pariksha Parv 7.0, IT Service Payment, engagement of consultant firms
7	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (CARA) Central Adoption Resource Agency (CARA)	2235.02.102.26.00.36	5.12	0.15	अधिकारियों की नई नियुक्ति के लिए वेतन भुगतान हेतु For payment of salary to new appointment of officers
8	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी Central Adoption Resource Agency (CARA)	2235.02.102.43.02.35	1.20	7.22	भवन के निर्माण के लिए एनबीसीसी को प्रतिबद्ध देनदारियों के भुगतान के लिए For payment of committed liabilities to NBCC for the construction of the Building
9	सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) Savitribai Phule National Institute of Women And Child Development (SPNIWCD)	2235.02.102.17.01.36	26.80	1.20	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन का कम्यूटेशन आदि के भुगतान के लिए, रिक्त पदों को भरने के लिए For payment of retirement benefits like Gratuity, Commutation of pension etc of employees, for filling up of vacant posts
10	सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) Savitribai Phule National Institute of Women And Child Development (SPNIWCD)	2235.02.102.17.01.31	34.50	0.90	कर्मचारियों के ग्रेच्युटी, पेंशन के कम्यूटेशन आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के माध्यम से छात्रावास ब्लॉक, प्रशासनिक भवन के नवीनीकरण के लिए एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी की निधि आवश्यकता को पूरा करना। To meet the fund requirement of SPNIWCD for payment of retirement benefits like Gratuity, Commutation of pension etc.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					of employees, and for renovation of Hostel block, Administrative Building through Central Public Works Department (CPWD).
11	सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) Savitribai Phule National Institute of Women And Child Development (SPNIWCD)	2235.02.102.43.01.31	25.00	2.10	कर्मचारियों के ग्रेच्युटी, पेंशन के कम्प्यूटेशन आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के माध्यम से छात्रावास ब्लॉक, प्रशासनिक भवन के नवीनीकरण के लिए एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी की निधि आवश्यकता को पूरा करना। To meet the fund requirement of SPNIWCD for payment of retirement benefits like Gratuity, Commutation of pension etc. of employees, and for renovation of Hostel block, Administrative Building through Central Public Works Department (CPWD).
12	सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) Savitribai Phule National Institute of Women And Child Development (SPNIWCD)	2235.02.102.43.01.35	1.00	1.76	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी के क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से छात्रावास खंड, प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए For construction of hostel block, Administrative Building through Central Public Works Department (CPWD) and Regional Centers of SPNIWCD

अनुलग्नक / Annexure

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
Ministry of Youth Affairs and Sports

मांग संख्या- 102
Demand No. - 102

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/कार्यक्रम/इकाई का नाम Name of the Scheme/Programme/ Entity	लेखा शीर्ष - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	नेहरू युवा केंद्र संगठन Nehru Yuva Kendra Sangathan	2204.00.103.32.01.31	118.00	4.50	नियमित गतिविधियों और अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए तथा एनवाईकेएस के फील्ड कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए। For regular activities and approved programs and meeting the establishment expenditure of the field offices of NYKS.
2	नेहरू युवा केंद्र संगठन Nehru Yuva Kendra Sangathan	2204.00.103.32.96.31	2.00	0.50	नियमित गतिविधियों और अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए तथा एनवाईकेएस के फील्ड कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए। For regular activities and approved programs and meeting the establishment expenditure of the field offices of NYKS.
3	राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम National Young Leaders Programme	2204.00.103.33.05.31	5.93	7.66	विकसित भारत युवा संसद (वीबीवाईपी) के वर्तमान संस्करण के आयोजन के लिए प्रस्ताव को बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet the requirement of enhanced proposal for conducting the present edition of Viksit Bharat Youth Parliament (VBYP).
4	राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम National Young	2204.00.796.09.03.31	0.79	1.01	अनुसूची जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Leaders Programme				आवंटन के लिए। Towards allocation under Development Action Plan for Schedule Tribes (DAPST).
5	राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम National Young Leaders Programme	2552.00.273.14.04.31	0.90	1.19	विकसित भारत युवा संसद (वीबीवाईपी) के वर्तमान संस्करण के संचालन के लिए प्रस्ताव को बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet the requirement of enhanced proposal for conducting the present edition of Viksit Bharat Youth Parliament (VBYP).
6	राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम National Young Leaders Programme	2204.00.789.09.03.31	1.55	1.93	अनुसूची जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के तहत आवंटन के लिए। Towards allocation under Development Action Plan for Schedule Tribes (DAPSC).
7	राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम National Programme for Youth and Adolescent Development	2204.00.103.33.01.31	13.50	14.90	राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 2026-वीबीवाईएलडी आयोजित करने के लिए। To conduct National Youth Festival, 2026-VBYLD.
8	भारतीय खेल प्राधिकरण Sports Authority of India	2204.00.104.11.02.35	40.00	2.53	एसएआई के तहत खेल उपकरण की खरीद और खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए। For procurement of sports equipment and creation of sports infra under SAI.
9	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला National Dope Testing Laboratory	2204.00.104.58.01.31	11.90	5.50	सामान्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए। For general establishment related expenditure.
10	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला National Dope Testing Laboratory	2204.00.104.58.96.31	0.10	0.05	सामान्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए। For general establishment related expenditure.
11	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय National Sports University	2204.00.104.64.01.31	0.07	0.01	प्रशासनिक व्यय और वेतन के भुगतान के लिए। For administrative expenditure and payment of salary.
12	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय National Sports University	2204.00.104.64.01.35	0.50	0.50	उत्तर-पूर्व में विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए। For construction of the

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					university in the North-East.
13	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय National Sports University	2204.00.104.64.96.31	0.03	0.02	प्रशासनिक व्यय और वेतन के भुगतान के लिए। For administrative expenditure and payment of salary.
14	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान Laxmi Bai National Institute of Physical Education	2552.00.274.15.00.36	4.00	0.10	एलएनआईपीई ग्वालियर और एनईआरसी गुवाहाटी के वेतन के वितरण के लिए For disbursement of salaries of LNIPE Gwalior and NERC Guwahati
15	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय National Sports University	2552.00.274.23.01.31	5.90	1.96	प्रशासनिक व्यय और वेतन के भुगतान के लिए। For administrative expenditure and payment of salary.
16	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय National Sports University	2552.00.274.23.01.35	51.22	13.93	उत्तर-पूर्व में विश्वविद्यालय के चल रहे निर्माण के लिए। For the ongoing construction of the university in the North-East.
17	राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता योजना Assistance to National Sports Federations	2204.00.104.62.00.35	10.00	9.80	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर, नई दिल्ली के अवसंरचना के उन्नयन के लिए। For upgradation infrastructure of Jawaharlal Nehru Stadium Complex, New Delhi.
18	राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम National Programme for Youth and Adolescent Development	2204.00.789.09.01.31	4.40	0.48	अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के तहत आवंटन के लिए। Towards allocation under Development Action Plan for Schedule Tribes (DAPSC).
19	राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम National Programme for Youth and Adolescent Development	2204.00.789.09.01.31	4.40	5.33	अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के तहत आवंटन के लिए। Towards allocation under Development Action Plan for Schedule Tribes (DAPSC).
20	खेलो इंडिया KHELO INDIA	2204.00.796.04.06.31	25.00	2.81	अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत आवंटन के लिए। Towards allocation under Development Action Plan for Schedule Tribes (DAPST).
21	राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम National Programme	2204.00.796.09.01.31	2.20	0.50	अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत आवंटन के लिए।

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	for Youth and Adolescent Development				Towards allocation under Development Action Plan for Schedule Tribes (DAPST).
22	राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम National Programme for Youth and Adolescent Development	2204.00.796.09.01.31	2.20	2.67	अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत आवंटन के लिए। To meet the mandated allocation under Development Action Plan for Schedule Tribes (DAPST).
23	भारतीय खेल प्राधिकरण Sports Authority of India	2552.00.274.03.01.31	11.00	12.46	पारिश्रमिक के भुगतान और प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए। For payment of remuneration and administrative requirements.
24	युवा कार्यक्रम सचिवालय Secretariat Youth Affairs	4250.00.001.01.21.52	0.22	0.10	मशीनरी और उपकरण के तहत व्यय के लिए। For expenditure under Machinery and Equipment.
25	युवा कार्यक्रम विभाग Secretariat Youth Affairs	4250.00.001.01.21.71	1.40	0.40	आईसीटी उपकरणों की खरीद के लिए। For procurement of ICT equipment.
26	राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र National Centre of Sports Science & Research	2204.00.104.61.01.35	6.00	41.14	उपकरण / कंप्यूटर / आईटी की खरीद और अवसंरचना विकास (एनसीएसएसआर केंद्र) के लिए। For procurement of Equipment/ Computers /IT and Infrastructure Development (NCSSR Centre).
27	राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र National Centre of Sports Science & Research	2204.00.104.61.01.31	4.00	27.50	सामान्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए। For general establishment related expenditure.
28	राष्ट्रीय सेवा योजना (डीएपीएससी) National Service Scheme(Dapsc)	2552.00.789.46.09.31	4.00	20.20	अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के तहत आवंटन की ओर। Towards allocation under Development Action Plan for Schedule Tribes (DAPSC).
29	भारतीय खेल प्राधिकरण Sports Authority of India	2204.00.104.11.02.31	187.50	37.54	सामान्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए। For general establishment related expenditure.

अनुलग्नक/ Annexure

नागर विमानन मंत्रालय
Ministry of Civil Aviation

मांग संख्या - 8

Demand No. - 8

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्षक - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	स्वायत्त निकायों को सहायता - एईआरए को अनुदान सहायता Assistance To Autonomous Bodies - Grants-in-aid to AERA	3053.80.188.02.01.36	6.24	1.75	वेतन और भत्तों पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards salary & allowances.
2	स्वायत्त निकायों को सहायता - आईजीआरयूए को अनुदान Assistance To Autonomous Bodies - Grants-in-aid to IGRUA	3053.80.188.01.01.35	0.01	24.99	आईजीआरयूए द्वारा 5 प्रशिक्षण विमानों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet additional expenditure for procurement of 05 trainer aircrafts by IGRUA.
3	स्वायत्त निकायों को सहायता - आरजीएनएयू को अनुदान सहायता Assistance To Autonomous Bodies - Grants-in-aid to RGNAU	3053.80.188.03.01.36	1.50	1.90	वेतन और भत्तों पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards salary & allowances.
4	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता - नागरिक उड्डयन	3053.80.190.07.00.31	0.01	0.34	एयरो स्पोर्ट्स के विकास के लिए सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	संस्थानों को अनुदान सहायता विमानन खेलों के संवर्धन/ विकास के लिए Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grants-in-aid to Institutions in Civil Aviation for Promotion/ Development of Aero Sports				को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure for Grants in aid General for development of Aero Sports.
5	स्वायत्त निकायों को सहायता - एईआरए को अनुदान सहायता Assistance To Autonomous Bodies - Grants-in-aid to AERA.	3053.80.188.02.01.31	11.21	1.85	पेशेवर सेवाओं पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards professional services.
6	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता - क्षेत्रीय संपर्क योजना Assistance to Public Sector and Other Undertakings -Regional Connectivity Scheme	3053.80.190.11.01.35	300.00	8.04	आरसीएस उड़ान योजना के द्वितीय चरण के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet the additional expenditure of Phase-II of RCS UDAN scheme.
7	नागरिक उड्डयन महानिदेशक Director General of Civil Aviation	5053.80.001.01.01.52	17.74	0.53	मशीनरी और उपकरणों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet the additional expenditure for payment towards Machinery & Equipment.
8	नागरिक उड्डयन महानिदेशक Director General of Civil Aviation	5053.80.001.01.01.71	2.35	0.05	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet the additional expenditure for procurement of ICT equipment.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

9	वैमानिकी निरीक्षण नियंत्रक Controller of Aeronautical Inspection	5053.80.101.01.01.71	0.60	0.07	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet the additional expenditure for procurement of ICT equipment.
10	वैमानिकी निरीक्षण नियंत्रक Controller of Aeronautical Inspection	5053.80.101.01.01.71	0.60	0.32	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। To meet the additional expenditure for procurement of ICT equipment.
11	निर्देशन एवं प्रशासन - संबद्ध कार्यालय Direction and Administration - Attached Offices	5475.00.001.02.01.52	0.30	3.75	विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एआईबी) प्रयोगशाला की स्थापना के लिए व्यय की पूर्ति हेतु। To meet expenditure for establishment of Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) lab.
12	निर्देशन एवं प्रशासन - संबद्ध कार्यालय Direction and Administration - Attached Offices	5475.00.001.02.01.52	0.30	3.25	विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एआईबी) प्रयोगशाला की स्थापना के लिए व्यय की पूर्ति हेतु। To meet expenditure for establishment of Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) lab.
13	निर्देशन एवं प्रशासन - संबद्ध कार्यालय Direction and Administration - Attached Offices	5475.00.001.02.01.52	0.30	0.17	विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एआईबी) प्रयोगशाला की स्थापना के लिए व्यय की पूर्ति हेतु। To meet expenditure for establishment of Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) lab.

अनुलग्नक/ Annexure

भारी उद्योग मंत्रालय
Ministry of Heavy Industries

मांग संख्या - 48

Demand No. - 48

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्षक - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय Capital Outlay on Other General Economic Services	5475.00.001.01.40.71	0.50	0.02	भारी उद्योग मंत्रालय में कंप्यूटर और प्रिंटर स्थापित करने के लिए धनराशि की आवश्यकता थी। The funds were required for purchase of computers and printers for installing in the Ministry of Heavy Industries.

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

मांग संख्या - 68

Demand No. - 68

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्षक - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने के लिए (रैंप) Raising and Accelerating MSMEs Performance (RAMP)	2851.00.102.99.10.31	108.71	57.00	इस योजना के अंतर्गत प्राप्त नए प्रस्ताव के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु। For additional expenditure for new proposal received under the scheme.

अनुलग्नक/ Annexure

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
Department of Scientific and Industrial Research

मांग संख्या - 91

Demand No. - 91

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्षक - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	नेशनल लैब - ग्रांट्स इन एड जनरल National Lab - Grants in Aid General	3425.60.151.02.00.31	3170.00	3.79	साइंटिफिक रिसर्च के अलग-अलग डोमेन में प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा फंड। Additional fund for executing projects in various domains of Scientific research.
2	नेशनल लैब - ग्रांट इन एड सैलरी National Lab - Grants in Aid Salaries	3425.60.151.02.00.36	1915.80	0.43	अलग-अलग फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करना, जैसे मंजूर पोस्ट पर भर्ती, मौजूदा स्टाफ़ के लिए इंक्रीमेंट और महंगाई भत्ता बढ़ाना वगैरह। To address various financial requirements viz. recruitment against sanctioned posts, increments for existing staff and enhancement of Dearness Allowance etc.
3	पीएसीई - सामान्य सहायता अनुदान PACE - Grants in Aid General	3425.60.200.60.01.31	0.02	0.27	पीएसीई में एक चालू परियोजना और दो नई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है। Additional fund sought for ongoing project and two new projects sanctioned in PACE.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

4	ए2के प्लस अनुदान सहायता सामान्य A2K Plus Grants in Aid General	3425.60.200.62.01.31	2.24	0.12	ए2के+ योजना के तहत चल रही और नई परियोजनाओं को सहायता देने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। Additional fund required to support ongoing and new projects under the scheme A2K+.
5	पीएसीई - सब्सिडी PACE - Subsidies	3425.60.200.60.01.33	0.06	0.03	एक चालू परियोजना और दो नई स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि। Additional fund for ongoing project and two newly sanctioned projects.
6	पीआरआईएसएम-सहायता अनुदान सामान्य PRISM-Grants in Aid General	3425.60.200.59.01.31	1.40	0.03	पी.आर.आई.एस.एम. में चल रही परियोजनाओं और नई स्वीकृत परियोजनाओं के लिए। For ongoing projects and new sanctioned projects in PRISM.
7	PACE - ऋण और अग्रिम PACE - Loans and Advances	7425.00.800.19.00.55	0.60	0.31	नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृत और निधि की पहली किस्त जारी करना, एनआरडीसी को पेशेवर शुल्क जारी करना और ऋण पर सब्सिडी जारी करना। For new projects sanctioned and release of 1st installment of funds and release of professional charges to NRDC and subsidies on loans .
8	नेशनल लैब - ग्रांट्स इन एड सैलरी National Lab - Grants in Aid Salaries	3425.60.151.02.00.36	1915.80	10.09	विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीआईए वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। Additional funds required for GIA Salaries to support various financial requirements.

अनुलग्नक/ Annexure

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
Ministry of Youth Affairs and Sports

मांग संख्या - 102

Demand No. - 102

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

(₹ करोड़ में ₹ in Crore)

1	2	3	4	5	6
क्र. सं. S.No.	योजना/ कार्यक्रम/ इकाई का नाम Name of the Scheme/ Programme/ Entity	लेखा शीर्षक - (15 अंक) Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	भारतीय खेल प्राधिकरण Sports Authority of India	2204.00.104.11.02.35	22.00	8.50	एसएआई की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भुगतान के लिए अतिरिक्त धन Additional funds for payment for infrastructural projects of SAI,